सप्तम-पंचवर्षीय-योजना

की

तृतीय वार्षिक जिला योजना

1987-88

जनपद- टिहरी गढ़वाल.

NIEPA DC
D03697

54254
309.26
कि
UTT-S

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 3697
Date 22/4/87

:: प्राक्कथन ::

विशिष्ट स्थानीय क्षेत्रीय आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय सम्भाव्य क्षमता, योग्यता तथा संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाते हुए योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन एवं गति देने हेतु नियोजन एवं विकास प्रणाली के विकेन्द्रिकरण की आवश्यकता हुई । फलस्वरूप उत्तर-प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981-82 से विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली अपनायी है । जो पूर्णरूपेण सफल सिद्ध हुई है । प्रदेश के कुल आयोजनागत परिव्यय का 52प्रतिशत परिव्यय जिला सैक्टर की योजनाओं में निर्धारित मानक के आधार पर जनपदों को आवंटित किया जाता है ।

वर्ष 1985-86 से सप्तम योजना प्रारंभ की जा चुकी है । सप्तम योजना के निर्देशक सिद्धान्त भी पूर्व की भांति मूलरूप से विकास की दर मे वृद्धि, सामाजिक - न्याय, आत्म-निर्भरता, दक्षता एवं उत्पादकता में सुधार है । अतः उपरोक्त सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, पर्वतीयक्षेत्र की विकास रणनीति के अनुसार प्राथमिकताओं के दृष्टिगत-शुद्धेपेयजल , विद्युत प्रकाश, सिंचाई, शिक्षा पर विशेष बल देकर जनपद की योजना की संरचना की गयी है ।

शासन के विचारोपरान्त गत वर्ष 1986-87 में 14196हजार रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । अतः गत वर्ष के परिव्यय में 27•6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 1987-88 के लिये 18184•9 हजार रुपये की योजना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा शुभकामनाओं के साथ जनपद के सर्वांगीण विकास हेतु अनुमोदित की जाती है ।

आशा है कि जनता के सहयोग से तथा विकास कार्यों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयास से जनपद प्रगति कर सकेगा ।

दिनांक- अक्टूबर 15,1986.

(राम औतार दीक्षित)
पर्वतीय विकास मंत्री,
उत्तर-प्रदेश ।

प्रस्तावित वार्षिक जिला योजना वर्ष 1987-88

:: अनुक्रमणिका ::

क्रमांक	विषय		पृष्ठ संख्या
1	2		3
0	आधार भूत आँकड़े		I To XV
1-	अध्याय-1	भूमिका	1-4
2-	अध्याय-2	अवस्थापना	5
3-	अध्याय-3	प्रशासनिक एवं संस्थागत ढाँचा	6-10
4-	अध्याय-4	आर्थिक कार्यकलाप	11-13
5-	अध्याय-5	सेवा योजन सम्बन्धी समस्यायें	14
6-	अध्याय-6	पिछड़े समुदाय की समस्यायें	15-16
7-	अध्याय-7	स्थानीय संसाधन	17-18
8-	अध्याय-8	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	19
9-	अध्याय-9	पिछड़े समुदायों के लिये कार्यक्रम	20-21
10-	अध्याय-10	जिला योजना की रणनीति	22
11-	अध्याय-11	वर्ष 1987-88 की जिला योजना का विस्तृत विवरण	23-63

खण्ड द्वितीय (तालिका में)

1-	जी0एन0-1	विभागवार परिव्यय	1-4
2-	जी0एन0-2	योजना/कार्यक्रमवार परिव्यय	1-59
3-	जी0एन0-3	भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि	1-51
4-	स्पेशल कम्पोनेंट प्लान-		
	(अ)-	एक दृष्टि में	1-2
	(ब)-	विस्तृत परिव्यय/उपलब्धि	1-18
5-	ट्राईबल सब प्लान:-		
	(अ)-	एक दृष्टि में	1-2
	(ब)-	विस्तृत परिव्यय/उपलब्धि/लक्ष्य	1-15
6-	विभागों के पास पी0एल0 ए0 में अवशेष		16
7-	मानचित्र:-		
		1- प्राकृतिक- सड़कें, वर्षा, पर्वत आदि ।	
		2- शस्य स्वरूप तथा उद्योग केन्द्र ।	
		3- विद्युत ।	
		4- प्रशासनिक एवं विभिन्न सुविधा केन्द्र ।	
		5- सिंचाई ।	

-**********-

-*********-

-*******-

00*00

000

0

(I)

आधार भूत आँकड़े

जिला- टिहरी गढ़वाल,
वर्ष:- 1984-85

1	2	3
1- कुल ग्रामों की संख्या	(1981)	2020
2- कुल गैर आबाद ग्रा0की सं0	(1981)	67
3- विकास खण्डों की सं0(नाम सहित)		
1- थौलधार 2-जौनपुर	तीसरा नं0	चौथा नं0
3- चम्बा 4-भिलंगना	7	8
5- प्रतापनगर 6-जाखणीधार	10	
7- जखोली 8-कीर्तिनगर		
9- देवप्रयाग 10-नरेन्द्रनगर		
4- तहसीलों की सं0 (नामसहित)		
1- टिहरी 2-प्रतापनगर 3-देवप्रयाग		
5- कुल क्षेत्रफल(वर्ग कि0मी0)	(1983-84)	4421
6- भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र हेक्टेयर	(1983-84)	572465
7- वनों के अन्तर्गत क्षेत्र हजार हे0	(1983-84)	397323
8- कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई हुई भूमि हेक्टेयर	,, ,,	8020
~~9- कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षेत्र हे0~~		
9- ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि का क्षे0 हेक्टेयर	,, ,,	8013
10-कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षे0हे0	,, ,,	64783
11-स्थाई चारागाह हे0	,, ,,	14585
12-अन्य उद्यानों/वृक्षों की फसलों का क्षेत्र हेक्टेयर	,, ,,	655
13-वर्तमान परती भूमि हेक्टेयर	,, ,,	2858
14-अन्य परती भूमि हेक्टेयर	,, ,,	2778
15-शुद्ध बोया गया क्षेत्र हे0	,, ,,	73450
~~16-मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षे~~		
16-सकल बोया गया क्षेत्र हे0	,, ,,	112954

17- मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र हेक्टेयर		उत्पादन मी0टन(1983-84)
1-धान	15675	19302
2-गेहूँ	39487	38860
3-जौ	5420	4740
4-सावा	22275	24563
5-मडुवा	20337	20415
6-मक्का	1611	1940
7-चना	5	3
8-अरहर	430	370

1		2	3
17–9	उर्द	935	394
10–	मसूर	378	164
11–	मटर	29	34
12–	तिल	569	79
13–	लाही/सरसों	194	79
18–	खरीफ खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल हेक्टेयर (1983–84)	60833	66615
19–	रबी खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (1983–84)	45749	44171
20–	जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (1983–84)	–	–

21– जोतों की संख्या तथा उसके अन्तर्गत क्षेत्रफल (1983–84)

1–	क्षेत्रफल	संख्या
1 हेक्टेयर तक	अप्राप्त	59182
2– 1 हेक्टेयर से 3 हे0 की बीच	,,	25076
3– 3 से 5 हे0 की बीच	,,	2791
4– 5 हेक्टेयर तथा उससे उपर	,,	553
	योग:–	87604

22– जनसंख्या 1981 की गणनानुसार

नगर	ग्रामीण	
20546	477164	497710

23– पिछड़े समुदाय की जनसंख्या

	नगर	ग्रामीण	योग
1–अनुसूचित जाति	1830	61710	63540
2–अनु0जनजाति	7	61	68

24– सतत प्रवाह शील मुख्य नदियाँ

नाम	कि0मी0	नाम	कि0मी0
1– भागीरथी एंव गंगा	97	2– अलकनन्दा	53
3– मन्दाकिनी	19	4– यमुना	40
5– भिलंगना	87	6– बालगंगा	42
7– लस्तर गाड	40	8– सौंग	32
9– जुरगाड़	15	10–धर्मीगाड़	6
11–टकोलीगाड़	24	12–नेलचामी गाड़	19
13–डभारगाड़	16	14–पैदीगाड़	24
15–अगलाड़गाड़	50	16–विन्दाल	16
17–हिवल	37	18–जलकुरगाड़	13

नाम	कि0मी0	नाम	कि0मी0
19- दूर्धासेरगाड़	16	20-हिन्दावगाड़	88
21- लोनागाड़	11	22-जडियारगाड़	39
23- धनागाड़	13	24-भद्रीगाड़	30
25- सिंवालीकाटल	10	26-खेंडसारगाड़	6

25- मौसमी नदियां/ नाली

1- भेरपूरगाड़	9	2-गरवपगाड़	9
3- वारामगाड़	12	4-पन्यारगाड़	12
5- वासुकी तालगाड़	9	6-चन्द्रभागा	19
7- दामुदागाड़	11	8-सेनगाड़	8
9- मुलीगीगाड़ (लेटीगाड़)	8	10-भटवाड़ागाड़	9

26- वास्तविक वर्षा (वर्ष 1984) में मि0मी0 1115•6

27- महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन के नाम:-

1-रिंगाल की वस्तुएँ
2-लकड़ी की वस्तुएं तथा खिलौने
3-तारपीन

28- पुलों के नाम :-

1- चन्द्रभागा पुल मुनिकीरेती
2-जाजल मोटर पुल
3- टिहरी मोटर पुल
4-भल्ड्याना मोटर पुल
5- शिवपुरी मोटरपुल
6-देवप्रयाग मोटरपुल
7- कीर्तिनगर ,,
8-जखन्याली मोटरपुल
9- घनसाली मोटरपुल
10-भाष्टो पैदलपुल
11-चन्डल (टिहरी पैदलपुल)
12-कोटेश्वर पैदल पुल
13-क्यारी पैदल पुल
14-पलाम पैदल पुल
15-पैदारस पैदल पुल
16-जौरासीगाड़ पुल
17-पाजणा ,,
18-मरोड़ा गाड़ पैदलपुल
19-देवप्रयाग पैदल पुल
20-थौलधार पैदलपुल
21-नागणी गदेरा पैदलपुल
22-लम्बगांव पैदल पुल
23-सिराई पैदल पुल
24-धनोल्टी पैदल पुल
25-पोखाल पैदल पुल
26-सिगटाली पैदल पुल
27-मुनिकीरेती मोटर पुल
28-गूलर पोखर पुल
29-कौडयाला मोटर पुल
30-भल्डगांव मोटर पुल
31-मूल्यागांव मोटर पुल
32-रानीचौरी मोटर पुल
33-लिलवाड़ा मोटर पुल
34-तनेटा मोटर पुल
35-बछेलीखाल पैदलपुल
36-मूल्यागांव ,,
37-पीटणा ,,
38-चम्याला ,,
39-बूढाकेदार ,,
40-छाण्ड ,,
41-घोंटी ,,
42-छाण्ड ,,
43-पोखर ,,
44-सिरवाड़ी ,,
45-भागा ,,
46-तुनेटा ,,
47-घुत्तू ,,
48-सैन्दुल मोटरपुल
49-जाटा ,,
50-जोरी प्वाइंट मोटरपुल

29- सड़कों की लम्बाई (कि0मी0 1983-84)

क-राष्ट्रीय मार्ग
ख-राज मार्ग (सा0नि0वि0 के अधीन और डी0 जी0बी0आर0 के अधीन सड़कें) 1221•9 कि0मी0
ग-समतल (सा0नि0वि0 के रख-रखाव में कच्ची सड़कें) 172•2 कि0मी0

30- विद्युत वर्ष:-

क-हाई टेन्सन लाईन ।। कि0वा0(कि0मी0) 997

ख-एल0टी0लाइन 739

31- नगरों की संख्या:-

1-जिनमें बिजली है:-1-टिहरी 2-कीर्तिनगर 3-नरेन्द्रनगर
4-मुनिकीरेती 5-देवप्रयाग

2-जिनमें बिजली नहीं है:- शून्य

32- ग्रामों की संख्या(31-3-86 तक)

1-जिनमें बिजली है 793

2-जिनमें बिजली नहीं है 1145

33- जल सम्पूर्ति:-

(क) नगरों की संख्या व नाम जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है :-
1-टिहरी 2-नरेन्द्रनगर 3-मुनिकीरेती 4-देवप्रयाग 5-कीर्तिनगर

(ख) नगरों की संख्या व नाम जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं होती है- शून्य

(ग) ग्रामों की संख्या व नाम जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है- 1244

(घ) ग्रामों की संख्या व नाम जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं होती है:- 694

34- शिक्षा:-

(क) बेसिक/जूनियर स्कूल सं0	नगर क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	योग
1-जू0बे0स्कूल	16	893	909
2-सीनियर बे0स्कूल	6	167	173
(ख) हायर सकेण्डरी स्कूल	8	92	100
(ग) कालेज संख्या	1	1	2
(घ) [illegible] संख्या	–	–	
(ङ) [illegible]	3	–	3

1-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टिहरी ।
2-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टिहरी
3-राजकीय पालीटेक्निक नरेन्द्रनगर

(ब) ग्रामों की संख्या जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं है 1029

35- अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या (नगर एवं ग्रामवार)

(क) शहरी- 7

स्टेट बैंक	पंजाब बैंक	यूनियन बैंक	कनारा बैंक
1-टिहरी	टिहरी	टिहरी	–
2-कीर्तिनगर	देवप्रयाग	मुनिकीरेती	–
3-नरेन्द्रनगर	–	–	–

ख- ग्रामीण

तहसील	विकास खण्ड	स्टेट	पंजाब नेशनल	यूनियन	कनारा
टिहरी	1-जौनपुर	थात्युड,	–	कुमाल्डा	–
		सत्यों	–	–	–
		नैनबाग	–		
	2-चम्बा	चम्बा	–	चम्बा	–
		गजा	–	–	–
		नकोट	–	–	–
		भागीरथीपुरम	–	–	–

ग्रामीण ॥क्रमशः॥

तहसील	वि०खण्ड	स्टेट बैंक	पंजाब नै०	यूनियन	कुमाऊँ
	3-थौलधार	-	-	छाम	पडियारगाँव ॥दुबाटा॥
प्रतापनगर	4-भिलंगना	घनसाली	धोपड़धार	-	-
		चमियाला	-	-	-
		घुत्तू	-	-	-
		पोखाल	-	-	-
	5-प्रतापनगर	लम्बगांव मजफ	-	-	-
	6-जाखणीधार	अंजनीसैण	-	मदननेगी	-
		जाखणीधार	-	-	-
देवप्रयाग	7-जखोली	जखोली	बुढाकेदार	[illegible]	-
		सुमाड़ी-भरदार	-	-	-
	8-देवप्रयाग	उछोलीखाल	-	-	-
		हिन्डोलाखाल	-	-	-
		बगवान	-	-	-
	9-कीर्तिनगर	बडियारगढ़	-	-	-
	10-नरेन्द्रनगर	फकोट	~~चाका~~	टांवा	-
		गुलरदोगी	-	-	-
		25	19	8	1

37

36- सहकारी बैंको के नाम व संख्या:-
॥नगर एवं प्रखण्डवार॥

क-नगर क्षेत्र:- 7
टिहरी नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती
टिहरी घण्टाघर, टिहरी सन्ध्याकालीन,
कीर्तिनगर, देवप्रयाग

ख- ग्रामीण

तहसील	विकास खण्ड	
टिहरी	जौनपुर	थत्यूड़
	चम्बा	चम्बा नई टिहरी रानीचौरी गजा रानीचौरी हिल कैम्पस
	थौलधार	छाम
प्रतापनगर	भिलंगना	घनसाली
	जाखणीधार	-
	प्रतापनगर	लम्बगांव
देवप्रयाग	जखोली	मयाली
	देवप्रयाग	हिन्डोलाखाल
	कीर्तिनगर	बडियारगढ़
	नरेन्द्रनगर	-

37- गोदामों की संख्या	संख्या	क्षमता (ह0मै0टन)
(क) नगर क्षेत्र में	2	150
(ख) ग्रामीण क्षेत्र में	65	3700
(ग) शीतगृहों की संख्या	-	-

38- उर्वरक डिपो:-

(क) कृषि विभाग द्वारा	10	643
(ख) ग्रामीण क्षेत्र में	8	455

39-भूमि विकास बैंकों की शाखाओं की संख्या:-

(क) नगर क्षेत्र में	1
(ख) ग्रामीण क्षेत्र में	-

चिकित्सालय एवं औषधालय	नगर क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र में	योग
40- राजकीय ऐलोपैथिक अस्पताल	6	44	50
(अ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	16	17
41- राजकीय ऐलोपैथिक अस्पताल औषधालय में शय्याओं की सं0	92	244	336
42- राज0 होम्योपैथिक अस्पताल औषधालयों की संख्या	1	6	7
43-राज0 होम्योपैथिक अस्पताल औषधालय में शय्याओं की सं0	-	4	4
44-आयुर्वेदिक औ0 एवं चिकि0	2	53	55
45-आयुर्वेदिक औषधालयों एवं चिकित्सालय में शय्याओं की संख्या	8	92	100

(कृषि (हजार हेक्टेयर में) 1983-84

1- शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	ह0हेक्टेयर	73•450
2- एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	,,	39•504
3- सकल बोया गया क्षेत्र	,,	112•954
4- कुल खाद्यान्न फसलें	,,	106•582
5- कुल अखाद्यान्न फसलें	,,	6• 372
6- खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	,,	66•838
7- रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	,,	46•116
8- जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	,,	-
9- फसल सघनता प्रतिशत	,,	153•8
10-खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	10038
11-रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	10119
12-जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	----
13-सकल सिंचित क्षेत्र	,,	20157
14-शुद्ध सिंचित क्षेत्र	,,	10566
15-सिंचाई की सघनता-		14•4
(अ) शुद्ध सिंचित क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत		
(ब) कुल सिंचित क्षेत्र में कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत		17•8

16- शुद्ध बोये गये क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत 12.8

17- विभिन्न श्रोतों के द्वारा सिंचित क्षेत्र:-

(1) नहर	हेक्टेयर	1220
(2) नलकूप	,,	-
(3) कूप	,,	-
(4) अन्य (विवरण दें) गूल एवं हौज	,,	9346

18- उन्नतशील एक्जोटिक किस्मों के बीजों का वितरण:- 1985-86

(1) कृषि विभाग द्वारा	कुन्टल	1048
(2) सहकारिता विभाग द्वारा	,,	-

19- मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र/उत्पादन :-1983-84

1- खाद्यान्न:-	क्षेत्र (हे0हे0)	उत्पादन (मी0टन)
(क) खरीफ:-		
1- धान	15.675	19303
2- मक्का	1.611	1940
3- खरीफ दाले	0.935	394
4- अन्य 1-कोदो	20.337	20416
2-सांवा	22.275	24563
योग:- खरीफ खाद्यान्न	60.833	66615
(ख) रबी:-		
1-गेहूँ	39.487	38860
2-जौ	5.420	4740
3-चना	0.005	3
4-मटर	0.029	34
5-अरहर	0.430	370
6-मसूर	0.378	164
7-अन्य	-	-
योग रबी खाद्यान्न	45.749	44171
(ग) जायद	-	-
योग कुल खाद्यान्न	106.582	110786
(2) वाणिज्यक फसलें:-	क्षेत्र (हे0)	उत्पादन (मी0टन)
1-लाही/सरसों	0.194	79
2-सूरज मुखी	-	-
3-सोयाबीन	0.043	56
4-अन्य तिलहन (तिल)	0.569	54
5-आलू	0.559	10372
6-तम्बाकू	0.037	18
योग :-वाणिज्यक फसलें	1.402	10579

20- उत्पादक दर (किलो प्रति हैक्टेयर) :- कि0प्रति हेक्टेयर

1-धान	1231
2-गेहूँ	984
3-जौ	1004
4-मक्का	1204
5-सावाँ	1103
6-जौ	875
7-चना	545
8-मटर	1174
9-अरहर	860
10-मसूर	435
11-लाही सरसों	407
12-तिल	95

21- रासायनिक उर्वरक का वितरण-(1985-86) मी0टन

(क) कृषि विभाग द्वारा:-

1-नत्रजन	248
2-फास्फेटिक	198
3-पोटाश	90

(ख) सहकारिता विभाग द्वारा:-

1-नत्रजन	9
2-फास्फेटिक	1
3-पोटाश	-

(ग) कृषि औद्योगिक विकास निगम द्वारा:-

1-नत्रजन	-
2-फास्फेटिक	-
3-पोटाश	-

(घ) सिंचाई विभाग द्वारा:-

1-नत्रजन	-
2-फास्फेटिक	-
3-पोटाश	-

(ङ) अन्य द्वारा:- मी0ट0

1-नत्रजन	-
2-फास्फेटिक	-
3-पोटाश	-

22- उर्वरक डिपो:-

1-कृषि विभाग द्वारा सं0	11
2-सहकारिता विभाग द्वारा	-
3-कृषि औद्योगिक विकास निगम द्वारा	-
4-सिंचाई विभाग द्वारा	-

	संख्या	क्षमता (हजार मी0टन)
23- शीतगृह :-		
1-कृषि विभाग द्वारा	-	-
2-कृषि औद्योगिक विकास निगम	-	-
3-गन्ना विकास द्वारा	-	-

24-कम्पोस्ट खाद का उत्पादन (हजार मी0टन) में	-
25-हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार हे0में)	-
26-गोबर गैस संयन्त्रों की स्थापना (सं0) मार्च 86	76
27-सिंचाई :- 1983-84	
1-निजी लघु सिंचाई	-
2-पक्के कुओं द्वारा कूप	-
2- बोरिंग द्वारा	-
3-रहट	-
4-नलकूप	-
5-पम्प सैट	-
6-पहाड़ी क्षेत्र में हौज/गूल (सं) कि0मी0	5608/1423
7-शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हे0)	9346
8-सकल बोये गये क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	17·9
9-शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	12·7

<u>2-बृहत एवं मध्यम सिंचाई:-</u>

1- राजकीय लघु सिंचाई	
क- नलकूप	-
ख- नलकूप द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन हजार हे0 में	-
3- सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग हजार हे0 में	-
क-राजकीय लघु सिंचाई द्वारा हजार हे0 में	1·22
ख-बृहत एवं मध्यम सिंचाई द्वारा	-

28- <u>पशुपालन</u>:- (विकास खण्डवार तालिका संलग्न) है

1985-86

1-पशु चिकित्सालय संख्या	20
2-स्टाक मैन सेन्टर संख्या	67
3-कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संख्या	2
4-कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र संख्या	8
5-भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र	13
6-राजकीय कुक्कुट फार्म	1
7-सहकारी कुक्कुट फार्म संख्या	-
8-विभिन्न प्रकार के जानवरों की संख्या (पशुगणना 1982)	संख्या
1-कुल गोजातियाँ	182035
2-कुल महिष जातिय	107776
3-कुल भेड़	34402
4-कुल बकरियाँ	92952
5-कुल घोड़े /खच्चर	1895
6- अन्य पशु	2429
योग:-	421489

4- दुग्ध एवं दूध सम्पूर्ति :-

1-नगर क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन (लाख लीटर)	अप्राप्त
2-ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन	-
3-नगर क्षेत्र में समितियों की संख्या	-
4-नगर क्षेत्र समिति के सदस्यों की संख्या	-
5-ग्रामीण क्षेत्र में समितियों की संख्या	-
6-ग्रामीण क्षेत्र में समितियों के सदस्यों की सं0	-
7-दुग्ध एकत्र करने के केन्द्रों की संख्या	-
(क) नगरीय	-
(ख) ग्रामीण	-
8-नगर क्षेत्र में प्लान्टस की संख्या	-
9-नगर क्षेत्र में लगे हुए प्लान्टस की क्षमता	-

5- मत्स्य:-

1-श्रमिक मछुवा सहकारी समितियों की संख्या	-
2-अंगुलिकाओं का वितरण (लाख में)	-
3-मत्स्य बीज फार्म संख्या	-
4-राजकीय जलाशय मत्स्योत्पादन कुन्टल में	-

6- भण्डारण (राज्य भाण्डागार द्वारा संचालित) :-

1-वेयर हाउस की संख्या (नगर में)	-
2-वेयर हाउस की क्षमता (लाख टन में)	-
3-गोदामों की संख्या (नगर में)	-
4-गोदामों की क्षमता (लाख टन में)	-
5-खण्डवार वेयर हाउस की संख्या	-
6-खण्डवार वेयर हाउस की क्षमता (लाख टन में)	-
7-खण्डवार गोदामों की संख्या	-
8-खण्डवार गोदामों की क्षमता (लाख टन में)	-

29- सहकारिता:-

1-जिला सहकारी बैंक:- (विकास खण्डवार सूची संलग्न है)	संख्या
क-शाखाएं	15
ख-सदस्यता संख्या	195
ग-ऋण वितरण :-	
1-अल्पकालीन (हजार रूपये में)	7163
2-मध्यकालीन (ह0रू0 में)	16992
घ-भूमि विकास बैंक:-	
1-शाखाएं संख्या	
2-ऋण वितरण	

2- प्राथमिक कृषि समितियां :-

1-समितियों की संख्या	105
2-सदस्यता संख्या	6525
3-अंश पूंजी (हजार रूपये में)	6472
4-जमा धनराशि (हजार रूपये में)	1722

3- क्रय- विक्रय समितियां:-	
1-समितियों की संख्या	9
2-सदस्यता संख्या	905
4-सहकारी विधायन समितियां:-	
1-समितियों की संख्या	-
2-सदस्यों की संख्या	-
3-अंश पूंजी (हजार रूपये में)	-
4-विक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य (ह0रू0में)	—
5- उपभोक्ता सहकारी समितियां:-	
1-समितियों की संख्या	10
2-सदस्यों की संख्या	2413
3-अंशपूंजी (हजार रूपये में)	35
4-बिक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य (ह0रू0में)	1504
7:- विद्युत विकास:- (वर्ष 1985-86)	
30-1 विद्युत उपभोग (किलो वाट 0 घण्टे)	10577400
2-विभिन्न कार्यों में विद्युत उपयोग :-	
क- घरेलू एंव वाणिज्यक (कि0वा10घण्टे)	6221240
ख- औद्योगिक किलो वाट घण्टे	1527650
ग- लघु सिंचाई कार्यों को सम्मिलित करते हुए (कि0वा10घण्टे)	2405870
घ- अन्य (कि0वा10घण्टे)	422640
3- उपरोक्त मदों (क से घ) में प्रति व्यक्ति उपभोग (कि0वा0घण्टे)	21.25
4- वितरण लाइनों की लम्बाई :-	
1-हाई टेन्सन लाईन- 11 कि0वा10 (कि0मी0)	997
2-लोटेन्सन लाइन (कि0मी0)	739
5- विद्युत ग्राम :- विकास खण्डवार स्थिति की तालिका संलग्न है	
1-ग्रामों की संख्या	793
2-कुल ग्रामों से प्रतिशत	41
6- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण संख्या	644
7- औद्योगिक केनेक्शन ग्रामीण एंव शहरी	201
8- विद्युतीकृत ट्यूब वैल/पम्पसेट राजकीय/निजी	11
8- उद्योग विकास:-	
31-1- ग्रामीण लघु उद्योग (1985-86)	
1-लघु उद्योग इकाइयों की संख्या	136
2-उपरोक्त इकाइयों में लगे व्यक्तियों की संख्या	451
3-औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग इकाइयों की संख्या	142
4- औद्योगिक आस्थान:-	
क-अधिग्रहित भूमि का विकास (ह0हे0 में)	0.30
ख-शेडों का निर्माण संख्या	-
ग-कार्यरत इकाइयों की संख्या	-

2- हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग:-	संख्या
1-सहकारी क्षेत्र में लाये गये हथकरघों की संख्या	-
2-बुनकर सहकारी समितियों का गठन	-
3-हथकरघा वस्त्र उत्पादन लाख मी०	-
4-रेशम कोया का उत्पादन किग्रा० में	-
5-टसर कोया उत्पादन	-
3- वृहद एवं मध्यम उद्योग वर्ष 83-84:-	
1-उद्योगों की संख्या	5
2-उपरोक्त उद्योगों में लगे व्यक्तियों की संख्या	222
32 - सड़क:-	
1-पक्की सड़कों की लम्बाई सा०नि०वि० (कि०मी०में) (1985)	1149·34
2-अन्य पक्की सड़कों की लम्बाई (कि०मी०) डी०जी०बी०आर० द्वारा	211·00

33- शिक्षा :-(1985-86) विकास खण्डवार सूचना संलग्न है)

1-प्राइमरी स्कूलों की संख्या	909
2-सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या	173
3-हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की संख्या	100
4-डिग्री कालेजों की संख्या	2
5-विश्व विद्यालयों की संख्या	-
6-संस्कृत विद्यालयों की संख्या	10

उपरोक्त स्कूलों में भर्ती	अनुसूचित जाति/जनजाति	कुल
1- प्राइमरी स्कूलों में	8560	65178
2- जूनियर बेसिक कक्षाओं में (6-8तक)	1748	22951
3-हायर सेकेन्ड्री स्कूल में (9-12 तक)	1488	24224
4-डिग्री कालेज में	34	833
5-विश्व विद्यालयों में	-	-

34: चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य:-(विकास खण्डवार तालिका संलग्न है)

1- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं (1985-86)

क-ऐलोपैथिक अस्पताल संख्या		7
ख-ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी सं० (प्रा०स्वा०के०सहित)		60
ग-होम्योपैथिक अस्पताल संख्या		-
घ- होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी संख्या		7
ङ- आयुर्वेदिक अस्पताल संख्या		22
च- आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी संख्या		32
2- शैयायें:-		
क-ऐलोपैथिक अस्पताल में	सं०	98
ख- ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी में	,,	238
ग- होम्योपैथिक अस्पताल में	,,	-
घ- होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी में	,,	7
ङ- आयुर्वेदिक अस्पताल में	,,	95
च- आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी में	,,	-

3- विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित अस्पताल/डिस्पेंसरियाँ:-

(क)	टी0बी0	संख्या-	1
(ख)	फाइलेरिया	,,	-
(ग)	छूत की बीमारी	,,	-
(घ)	कुष्ट रोग की बीमारी	,,	1
(ङ)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की	,,	17

4-परिवार कल्याण:-

(1)	परिवार एवं मातृ/शिशु केन्द्र एवं उप केन्द्र	,,	157
(2)	बन्ध्याकरण-		
	(क) पुरुष तथा स्त्रियों	,,	3352
(3)	आई0यू0सी0डी0	,,	2527

35- पर्यटन:-

(1)	पर्यटन आवास गृहों का नि0एवं विस्तार	,,	4
(2)	उपरोक्त में शैयाओं की संख्या	,,	80

36- प्राविधिक शिक्षा:-

(1)	डिग्री स्तर की संस्थायें-		
(क)	संख्या	,,	-
(ख)	प्रवेश क्षमता	,,	-
(ग)	वास्तविक भर्ती	,,	-
(2)	डिप्लोमा की संस्थायें-		
(क)	संख्या	,,	1
(ख)	प्रवेश क्षमता	संख्या	60
(ग)	वास्तविक भर्ती संख्या	संख्या	48

37- जल सम्पूर्ति एवं जल निस्तारण-

(1) नगरीय जल सम्पूर्ति एवं जल निस्तारण:-

	नगरों का नाम	लाभान्वित जनसंख्या
1-	टिहरी	12249
2-	नरेन्द्रनगर	3596
3-	मुनि की रेति	2264
4-	देव प्रयाग	1701
5-	कीर्तिनगर	736

(क)	पाइप द्वारा	-	-
(ख)	हैण्ड पम्प द्वारा	-	-
(ग)	जल निस्तारण	-	-
(घ)	शुष्क शौचालयों का स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन	-	-

ग्रामीण जल सम्पूर्ति	ग्रामों की संख्या	जनसंख्या
(1) हैण्ड पम्प द्वारा	-	-
(2) कुओं द्वारा	-	-
(3) डिग्गी द्वारा	732	62952
(4) पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति	[illegible]	

[XIV]

पशु चिकित्सा

क्र0सं0	विकास खण्ड	पशु चिकित्सालय	पशु सेवा केन्द्र	कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र	प्रासंगिक अभिजनन केन्द्र	भेड़ विकास केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7
1-	जौनपुर	2	7	-	10	2
2-	चम्बा	2	5	1	7	1
3-	थौलधार	1	6	2	2	-
4-	भिलंगना	2	8	-	7	4
5-	प्रतापनगर	1	6	-	5	1
6-	जाखणीधार	2	5	2	5	-
7-	जखोली	2	7	-	9	5
8-	देवप्रयाग	2	8	2	7	-
9-	कीर्तिनगर	1	6	3	10	-
10-	नरेन्द्रनगर	2	8	-	4	-
11-	नगरीय	3	1	-	1	-
	जनपद का योग:-	20	67	10	67	13

सहकारिता

क्र0सं0	विकास खण्ड	समितियों की सं0	सदस्यता संख्या	क्रय-विक्रय समितियाँ	सदस्य संख्या	अकृषीय समिति	सदस्यता
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	जौनपुर	13	6239	1	417	-	-
2-	चम्बा	8	6698	2	125	-	-
3-	थौलधार	7	5135	-	-	-	-
4-	भिलंगना	10	8258	1	31	-	-
5-	प्रतापनगर	13	6916	1	98	-	-
6-	जाखणीधार	9	5242	-	-	4	159
7-	जखोली	13	8848	2	123	-	-
8-	देवप्रयाग	10	4937	1	51	-	-
9-	कीर्तिनगर	10	6740	-	-	-	-
10-	नरेन्द्रनगर	12	6238	1	60	2	79
	जनपद का योग:-	105	65251	9	905	6	230

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

क्र0सं0	विकास खण्ड	चिकित्सालय एवं औषधालय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	आयुर्वेदिक औषधालय एवं चिकि0	होम्योपैथिक औषधालय एवं चिकित्सालय	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उप
1	2	3	4	5	6	7
1-	जौनपुर	5	2	7	2	14
2-	चम्बा	3	2	3	-	14
3-	थौलधार	3	1	4	1	11
4-	भिलंगना	5	2	5	1	19
5-	प्रतापनगर	5	2	4	-	14
6-	जाखणीधार	4	2	4	-	12
7-	जखोली	8	2	10	1	22
8-	देवप्रयाग	4	1	4	-	11
9-	कीर्तिनगर	4	1	5	-	15
10-	नरेन्द्रनगर	3	1	7	1	12
11-	नगरीय	6	1	2	1	3
	जनपद का योग:-	50	17	55	7	147

[XV]

मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं

क्र0सं0	विकास खण्ड	जू0हा0 स्कूल	सीनियर बेसिक स्कूल		हाईस्कूल तथा इण्टर मीडिएट कालिज	महा विद्यालय
			बालक	बालिका		
1	2	3	4	5	6	7
1-	जौनपुर	104	17	2	6	-
2-	चम्बा	80	11	2	10	1
3-	थौलधार	68	9	3	7	-
4-	भिलंगना	91	17	4	10	-
5-	प्रतापनगर	85	10	2	8	-
6-	जाखणीधार	73	14	2	8	-
7-	जखोली	120	22	5	14	-
8-	देवप्रयाग	82	12	3	9	-
9-	कीर्तिनगर	98	13	3	13	-
10-	नरेन्द्रनगर	92	12	4	7	-
11-	नगरीय	16	5	1	8	1
जनपद का योग:-		909	142	31	100	2

अध्याय- 1

भूमिका

वर्ष 1949 के पूर्व जनपद टिहरी गढ़वाल एक पृथक सामन्ती राज्य के रूप में था। तदुपरान्त इस राज्य को उत्तर प्रदेश में विलय कर लेने से यह जनपद के रूप में गठित किया गया। विलीनीकरण के पश्चात फरवरी 1960 में तत्कालीन उत्तरकाशी तहसील को जनपद से अलग कर एक सीमान्त जिला उत्तरकाशी के के नाम से गठित हुआ। पुर्नगठन के फलस्वरूप जनपद से 3016 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र अलग हुआ।

भारत सर्वेयर जनरल के अनुसार जनपद का भौगोलिक क्षेत्र 4421 वर्ग कि0मी0 है। यह पर्वतीय जिलों में आकार में छोटा है, जिसका क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का 1.5 प्रतिशत एवं पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में केवल 9 प्रतिशत है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह तीन तहसील टिहरी, प्रतापनगर तथा देवप्रयाग में विभक्त है। जबकि विकास की दृष्टि से इस जनपद को 10 विकास खण्डों में विभक्त किया गया है। जनपद में 1981 की जनगणना के अनुसार 1938 आबाद ग्राम हैं। इसके अतिरिक्त 15 ग्राम वन क्षेत्र के अर्न्तगत आते हैं।

सीमा तथा प्राकृतिक दशा:-

जनपद हिमालय की गोद में 30-3-10 से 30-52-45" उत्तरी अक्षांश तथा 78-8-15" से 79-2-45" पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। जनपद के उत्तर में जिला उत्तरकाशी दक्षिण में गढवाल, पूर्व में चमोली और पश्चिम में देहरादून जनपद की सीमा बनाते हैं। साधारणतया: मुख्य पर्वत श्रेणी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम को है। जनपद की सबसे उची चोटी भारतीय कांठा 6,705 मीटर ऊँची है। यह स्थान भिलंगना नदी का उद्गम भी है। प्राकृतिक दृष्टि से जनपद को दो प्रकृतिक भागों (खण्डों) में विभक्त किया जा सकता है।

1-घाटियाँ 2-पर्वतीय क्षेत्र

घाटियाँ:-

घाटियाँ मुख्यतया नदियों एवं जल के पहाड़ी श्रोतों के बहाव से होने वाले कटानों से निर्मित हैं। यह क्षेत्र जिन नदियों से निर्मित हैं, उनमें भागीरथी, भिलंगना, अलकनन्दा प्रमुख हैं। नदियों की जायी हुई मिट्टी से निर्मित यह घाटी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक उपजाऊ है।

पर्वतीय क्षेत्र :-

जनपद का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जिनमें छोटी-छोटी पहाड़ियों से लेकर पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। स्थान-स्थान पर पठारी भाग भी उपलब्ध हैं, जो एक सीमित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भूमि पथरीली व कम उपजाऊ है। क्षेत्र में पहाड़ी ढलान पर भूमि को समतल सीढी नुमा बनाकर खेती के योग्य के बनाया गया है। ढालू होने तथा पहाड़ी ढलान पर वन उपज की कमी के कारण क्षेत्र भूमि अरक्षण की समस्या से ग्रस्त है।

जनपद में घाटी वाला क्षेत्र 335 मीटर से लेकर 1067 मीटर तक ऊंचाई में स्थित है। लगभग आधे से अधिक भाग 1067 मीटर से 2286 मीटर तक की ऊंचाई में स्थित है। इसके पश्चात 2286 से 3044 मीटर तक ऊंचाई के स्थान विकास खण्ड जौनपुर ,प्रतापनगर ,भिलंगना तथा जखोली में ही पड़ते हैं।

नदियाँ:-

जनपद की मुख्य -2 नदियाँ उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर बहती हैं। ये नदियाँ एक ओर घाटियों के क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी देती है तो दूसरी ओर पानी के निकास के लिए भी कार्य करती हैं। मुख्य नदियाँ जिनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। वे निम्न प्रकार हैं भागीरथी 2-अलकनन्दा 3-मदाकिनी 4-भिलंगना एवं जालगंगा हैं।

इस जनपद के पूरे क्षेत्र में छोटी-नदियाँ नस्तर ,बढ़ियार गढ़ , नागीगाढ और हेवल जैसी है। उत्तरीक्षेत्र में जलकूर तथा बालखीला एवं पश्चिमी भाग में भद्री और अगलाड नदियाँ हैं, जो यमुना नदी के मिलती हैं। इसी प्रकार अन्य छोटी नदियाँ भी प्रवाहित होती है।

भूमि/मिट्टी:- पर्वतीय जनपद होने के कारण यहाँ बड़े मैदानी क्षेत्र का न होना स्वाभाविक है। भूमि ढालू और पथरीली हैं।कहीं -2 नदियों की घाटियों में भूमि समतल हैं, जहाँ कृषि होती है। भूमि ढालू होने के कारण क्षरण निरन्तर होता रहता है। इसके फलस्वरूप उपजाऊ भूमि में कमी तथा खेती की उर्वरा शक्ति में ह्रास एक स्वाभाविक प्रक्रिया मात्र है। घाटी वाले क्षेत्र में मिट्टी दोमट और लाल पायी जाती हैं ,जबकि ऊँचाइयों पर हल्की दोमट पायी जाती हैं। जनपद में कहीं-2 भी पानी रुकने की समस्या नहीं है।

जलवायु:-

जिले की जलवायु सामान्य और पड़ोसी जिले गढ़वाल से मिलती जुलती हैं घाटियों में गर्मियों में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी अधिक तथा सर्दियों में 5 40 डि0ग्रा0से0 से नीचे गिर जाता है। ऊँचे शिखरों में गर्मियों में भी बर्फ जमी रहती है। बीच में ऊंचाई वाले भागों का तापमान समशीतोष्ण रहता है।

बर्षा:-

जनपद में बर्षा भर 40" से लेकर 74 " तक बर्षा होती है। कुल मिलाकर जनपद का वार्षिक औसत 1610 मि0मी0 है, जबकि कैलेन्डर बर्ष 1985 में वास्तविक बर्षा 1175 मि0मी0 रही है।

वनस्पतियाँ:-

जनपद में प्राकृतिक सम्पदा के रूप में वन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

-----2

269518 हे0 वन विभाग के प्रशासन में है ,जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग लगभग 61 प्रतिशत है । इन वनों में आर्थिक दृष्टि से उपयोगी लकड़ी तथा ईंधन के वृक्ष पाये जाते हैं इनमें चीड़, देवदार ,साल फर, खारसू ,बांझ ,मोरू ,कुकाट विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जो वन क्षेत्र के लगभग 81 प्रतिशत भाग में फैले हुए हैं । शेष भाग या तो अर्फीला है या खाली पड़ा हुआ है । कुछ भाग चारागाह के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ।

वन क्षेत्र लगभग 65 प्रतिशत भाग आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वृक्षों के अन्तर्गत और 15 प्रतिशत भाग ईंधन वाले वृक्षों के अन्तर्गत होने का अनुमान है । इसके अतिरिक्त सोयम वनों के अन्तर्गत 72563 हे0 भूमि का अनुमान लगाया गया है । जो राजस्व विभाग के नियन्त्रण के हैं । इसके अतिरिक्त इसके क्षेत्र में वन विकसित नहीं है । जिनके संरक्षण और सवर्धन की आवश्यकता है । चारागाह लगभग 14585 हे0 भूमि में हैं ,जो भौगोलिक क्षेत्र का 3•3 प्रतिशत है ।

खनिज:-

जनपद में मुख्यतया चूना पत्थर, डोलामाईट, जस्ता राकफास्फेट नामक खनिज पाये जाते हैं । संगमरमर एवं मैग्नेसाइट के भण्डारों का भी यहाँ पाये जाने का अनुमान लगाया जाना कठिन है कि विभिन्न खनिजों का कितना भण्डार जनपद में हैं ,किन्तु जनपद में उपलब्ध अच्छे किस्म का चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया गया है ।

भूमि उपयोगिता:-

भारत के सर्वेयर जनरल के अनुसार जनपद का भौगोलिक क्षेत्र फल 4421 वर्ग कि0मी0 है जबकि वर्ष 1983-84 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रतिवेदित क्षेत्र 572465 हे0 है । कुल भूमि का 69•4 प्रतिशत वन के अन्तर्गत है । वन के बाद प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र 12•8 प्रतिशत तथा कृषि योग्य बन्जर भूमि 11•3 प्रतिशत आती है। कुल भूमि की उपयोगिता का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	मद	हेक्टेयर	कुल भूमि का प्रतिशत
1	2	3	4
1-	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	397323	69•4
2-	कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गई भूमि	8020	1•4
3-	ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि	8013	1•4
4-	कृषि योग्य बंजर भूमि	64783	11•3
5-	स्थाई चारागाह	14585	2•6
6-	अन्य उद्यानों/वृक्षों की फसलों का क्षेत्रफल	655	0•1
7-	वर्तमान परती भूमि	2858	0•5
8-	अन्य परती भूमि	2778	0•5
9-	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	73450	12•8
कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल		572446 5	100•0

कृ0प0उ0

फसलें:-

जनपद में उपलब्ध भूमि के उपयोग को जलवायु तथा ऊंचाई की भिन्नता ने अत्यधिक प्रभावित किया है । ~~हिमालय की घाटियों में कुछ क्षेत्र~~ ~~क्रमशः~~ हैं 800 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई में सामान्यतया दो फसलें ही सम्भव हैं ऐसे क्षेत्रों में नीची घाटियों में दो फसलें और ऊपरी असिंचित क्षेत्र के अधिकांश भाग में वर्ष में एक ही फसल हो पाती है । 1800 मी० से ऊपर के क्षेत्रों में कृषि काफी कम है । ऐसे क्षेत्रों में वर्ष में केवल एक ही फसल ली जाती है । ऐसे क्षेत्र सेब के बाग तथा आलू की खेती के लिए और मैदान के सन्दर्भ में मौसमी सब्जियों के लिए अधिक उपयुक्त है । 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की खेती नहीं होती है तथा वन और चारागाहों के रूप ~~में~~ प्रयोग होते हैं ।

विभिन्न फसलों के अन्तर्गत पाये गये क्षेत्र के आधार पर गेहूं धान और मडुवा तथा सावां की फसले प्रमुख हैं । मक्का तथा जौ आदि का क्षेत्र कम है । सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था सम्भव न होने के कारण फसलों का उत्पादन आशानुकूल नहीं होता । वर्ष 83-84 का सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र का केवल 14•4 प्रतिशत है ।

जनसंख्या एवं घनत्व :-

1981 की जनगणना के जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं उनके अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 497710 है । जिसमें 238527 पुरुष तथा 259383 स्त्रियाँ हैं । वर्ष 1971 की जनसंख्या की तुलना में पिछले 10 वर्षों में 25•25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । परिणाम स्वरूप जनपद का घनत्व 90 से बढ़कर ~~113~~ 113 प्रति वर्ग कि०मी० हो गया है । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है । इसका मुख्य कारण जनपद में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त न होना तथा रोजगार की खोज में पुरुषों का बाहर चला जाना पाया गया ।

जनसंख्या का लगभग 96 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है । नगरों/शहरों की संख्या केवल पाँच है । साक्षरता की दृष्टि से जनपद में विशेष प्रगति हुई, जिसका 1981 की स्तर 27•09 प्रतिशत है जबकि 1971 में 19 ~~%~~ ही था ।

व्यवसाय:-

लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । .85 प्रतिशत व्यक्ति कृषि का कार्य तथा इसके सम्बन्धित व्यवसायों में लगे हुए हैं । कृषि के विकास न होने के कारण यहाँ पर कृषि श्रमिक के रूप में रोजगार प्राप्त करने की सम्भावना नहीं के बराबर है । इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में में उद्योगों का अभाव जनपद की प्रगति में बाधक है । जो उद्योग भी चल रहे हैं, उन्हें कच्चे माल एवं यातायात की कठिनाई तथा कार्यशील पूँजी के अभाव का सामना करना पड़ता है । वन सम्पदा का समुचित उपयोग, एक मात्र विकल्प स्वीकार करते हुए किया जाना चाहिए ।

—3—

:: अध्याय 2 ::

अवस्थापना

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है और कर्मकारों का 85 प्रतिशत भाग इसी में कार्यरत है । खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य फसले धान, गेहूँ, मडुवा, झगोरा एवं दालों में उर्द, मसूर आदि है । वाणिज्य की दृष्टि से आलू प्रमुख फसल है और फलों के उत्पादन में सेब, आम, अखरोट, नींबू प्रजाति के फलों का प्रमुख स्थान है ।

1- विपणन एवं संग्रहण:-

कृषि उत्पादनों वस्तुओं के भण्डारण के समस्या जटिल नहीं है । कृषि विभाग के बीज गोदाम /उर्वरक भण्डार तथा सहकारिता के 33 गोदाम हैं ।

2- बैंक:-

बैंक एवं ऋण सम्बन्धी सुविधाएं पूर्णतया विकसित नहीं है । अधिकांश ऋण सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । जिनकी संख्या -19 है इसके अतिरिक्त एक भूमि विकास बैंक भी कार्य कर रहा है । राष्ट्रीयकृत पंजाब नेशनल बैंक की 3 तथा कनारा बैंक की एक शाखा खोलने का प्रस्ताव है । जिससे वित्त पोषण का कार्य में अवरोध उत्पन्न न हो तथा ग्रामीण क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों में ऋण वितरण किया जा सके ।

3- सिंचाई एवं विद्युत

जनपद का 12.8% भाग कृषि के अन्तर्गत जिसके लिए सिंचाई की सुविधा पहुँचायी जानी है । इस दिशा में आगामी योजनाओं में सिंचित क्षेत्र फल में अधिक विस्तार की आवश्यकता है । जहाँ तक विद्युतीकरण के प्रसार की समस्या है यह शनै-2 हल की जा रही है । और विद्युतीकरण किया जा रहा है । इस समय जनपद में मार्च 1986 तक 793 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 1145 ग्रामों में विद्युतीकरण होना शेष है । विद्युतीकरण ग्रामों का प्रतिशत 41 है ।

अन्त में संचार प्रणाली का उल्लेख भी आवश्यक है । इस सम्बन्ध में जनपद में कार्य कर रहे पोस्ट आफिस, तारघर, टेलीफोन एक्सचेन्ज की व्यवस्था क्रमश: 260, 40 5 है रैलवे लाईन का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है ।

जनपद के अन्दर केवल पाँच नगरीय क्षेत्र हैं, जिनमें सुव्यवस्थित बाजार है । आगामी वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ग्रोथ सेन्टरों के आधार पर कार्य किया जा रहा है । कि आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक विकास खण्ड में एक ऐसा केन्द्र स्थापित हो जायेगा, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ ही साथ क्रय विक्रय और ~~केन्द्र बिन्दु के रूप में~~ लेन देन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी । ये ग्रोथ सेन्टर उस क्षेत्रों के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेंगे और अधिकांश सभी सुविधाओं के सम्पन्न बनाये जायेंगे ।

:: अध्याय-3 ::

प्रशासनिक एवं संस्थागत ढाँचा

जनपद, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल मण्डल का एक जनपद है जो अन्य चार जनपदों के बीच स्थित है। इस जनपद का मुख्यालय नरेन्द्रनगर में है तथा जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर में रहते हैं।

राजस्व कार्य के लिए यह जनपद तीन तहसीलों क्रमश: टिहरी, प्रतापनगर तथा देवप्रयाग और दो सब डिवीजनों, टिहरी तथा कीर्तिनगर में बँटा हुआ है। टिहरी तथा प्रतापनगर तहसील का मुख्यालय टिहरी में है तहसील टिहरी की एक अलग पेशकारी धनोल्टी में स्थित है तथा एक नायब तहसील द्वार के अधिकार में है। सभी तहसीलें 205 पटवारी क्षेत्र तथा 16 सुपरवाईजर कानूनगो क्षेत्रों में बटी हुई है। 50 पटवारियों को पुलिस के अधिकार भी प्राप्त हैं। इस जनपद का सामान्य शासन जिलाधिकारी के अधीन है जो कि जनपद के मुख्य राजस्व अधिकारी होने के साथ-साथ दण्ड प्रशासन के भी मुख्य अधिकारी हैं। अत: जनपद में शान्ति एवं व्यवस्था बनाने के लिए उत्तरदायी हैं जिन क्षेत्रों में पटवारियों को पुलिस के अधिकार प्राप्त हैं उन क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक की शक्ति भी जिलाधिकारी में निहित है। दो परगनाधिकारियों के अतिरिक्त जिलाधिकारी की सहायता के लिए दो डिप्टी कलक्टरों के पद जिला मुख्यालय पर सृजित हैं जिनमें से एक डिप्टीकलेक्टर को सिटी मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जो कि नरेन्द्रनगर के सारे क्षेत्र तथा देवप्रयाग तहसील की दो पट्टी कुंजणी एवं धमाख्यूँ के लिए परगनाधिकारी का कार्य भी करते हैं। दूसरे डिप्टी कलेक्टर के द्वारा वित्त एवं राजस्व अधिकारी, भू लेख अधिकारी के कार्यों का निष्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी की सहायतार्थ एक कोषाधिकारी नरेन्द्रनगर में तथा एक कोषाधिकारी, टिहरी में तथा एक जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्रनगर में तैनात हैं जनपद का पुलिस प्रशासन एक पुलिस अधीक्षक के अधीन है जनपद में चार पुलिस थाने हैं जो क्रमश: नरेन्द्रनगर, टिहरी कीर्तिनगर एवं मुनीकीरेती में स्थापित हैं। टिहरी के थाने का कार्य एक निरीक्षक तथा अन्य तीन थानों का कार्य पुलिस सब इन्सपेक्टर द्वारा देखा जाता है।

न्याय प्रशासन का कार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्यालय टिहरी में अधीन है। उनके अलावा एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय टिहरी में स्थापित है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य के सम्पादन हेतु एक वृत्त है जो कि एक अधीक्षण अभियन्ता के अधीन है। अधीक्षण अभियन्ता के अधीन 7 अधिशासी अभियन्ता कार्यरत हैं जिनमें से 5 टिहरी में एक चम्बा में एक शान्यूड़ (मैठाणसुरी मुख्यालय) एक नरेन्द्रनगर में तथा एक घनसाली में है। भवन मुल्यांकन खण्ड का कार्य भवनों का मुल्यांकन करना है। शेष चार खण्डों का कार्य अपने क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रकार के भवनों, सड़कों आदि के निर्माण का है।

इस जनपद में टिहरी नगर के पास एक विशालस बाँध का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें टिहरी नगर डूब जायेगा। टिहरी बाँध परियोजना बाँध परियोजना के प्रशासक, आयुक्त गढ़वाल मण्डल हैं। जिसके अधीन मुख्य अभियन्ता, टिहरी बाँध परियोजना निर्माण कार्यों का संचालन कर रहे हैं, तथा पुर्नवास निदेशक, टिहरी बाँध परियोजना पुर्नवास सम्बन्धी कार्य का संचालन कर रहे हैं।

वन विभाग का कार्य जनपद में 4 प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा देखा जा रहा है। जो क्रमशः वनाधिकारी, टिहरी, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम टिहरी, प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण उत्तरकाशी तथा प्रभागीय वनाधिकारी ~~टिहरी डैम वन प्रभाग~~ यमुना (मुख्यालय मसूरी) है तथा प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी डैम वन प्रभाग प्रभागीय वनाधिकारी यमुना, टिहरी तथा उत्तरकाशी के मुख्यालय जनपद से बाहर हैं और इस जनपद का अधिकांश भाग उनके अधीन आता है। इनके अतिरिक्त भूमि संरक्षण कार्य 3 भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो क्रमशः नरेन्द्रनगर, टिहरी एवं कीर्तिनगर में कार्यरत हैं।

सिंचाई विभाग का कार्य तीन अधिशासी अभियन्ताओं में बंटा हुआ है जिनमें से एक अधिशासी अभियन्ता द्वारा लस्तर नहर मध्यम ~~बहुउद्देशीय~~ सिंचाई योजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि विकास खण्ड जखोली में बनाई जा रही है तथा दो अन्य अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा सिंचाई सम्बन्धी अन्य कार्य देखे जा रहे हैं।

<u>अन्य जिला स्तरीय अधिकारी :-</u>

जनपद के अन्य जिला स्तरीय अधिकारी इस प्रकार से हैं।

क्र०सं०	अधिकारी	मुख्यालय
1	2	3
1–	मुख्य चिकित्साधिकारी	नरेन्द्रनगर
2–	पुलिस अधीक्षक	,,
3–	जिला विद्यालय निरीक्षक	,,
4–	जिला पूर्ति अधिकारी	,,
5–	जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ०प्र०	,,
6–	जिला पंचायत राज अधिकारी	,,
7–	जिला कृषि अधिकारी	,,
8–	जिला पशुधन अधिकारी	,,
9	जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी	,,
10–	परियोजना निदेशक, (डी०आर०डी०ए०)	,,
11–	अपर जिला विकास अधिकारी (ई०का०)	,,
12–	अल्प विकास अधिकारी	,,
13–	कृषि रक्षा अधिकारी	,,
14–	जिला सूचना अधिकारी	,,
15–	जिला होमगार्ड अधिकारी	टिहरी
~~16–~~		

1	2	3
16-	जिला बचत अधिकारी	नरेन्द्रनगर ।
17-	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी {पंचायत एवं सहकारी समितियां}	,,
18-	अपर जिलाधिकारी {विकास}	टिहरी
19-	जिला उद्यान अधिकारी	टिहरी
20-	सामान्य प्रबन्धक, जि0उ0केन्द्र	,,
21-	जिला संख्याधिकारी	,,
22-	जिला अर्थ अधिकारी	,,
23-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	,,
24-	जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी	नरेन्द्रनगर ।
25-	जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रादेशिक विकास दल	टिहरी ।
26-	सहायक अभियन्ता {हाईड्रल}	टिहरी ।
27-	सहायक अभियन्ता {अल्प सिंचाई}	,,
28-	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	टिहरी ।

इसके अतिरिक्त जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी गढ़वाल के लिए एक क्षेत्रीय अधिकारी {आयुर्वेदिक} का कार्यालय नरेन्द्रनगर में स्थापित है ।

<u>भारत सरकार के कार्यालय :-</u>

टिहरी में अधीक्षक, डाक तार विभाग का कार्यालय स्थापित है जिसके अधीन 220 ब्रांच तथा 40 सब पोस्ट आफिस इस जनपद में स्थापित हैं । इसके अतिरिक्त एरिया औरगानाईजर {एस0एस0बी0} का कार्यालय चम्बा में स्थापित है ।

इस जनपद में पाँच नगरीय क्षेत्र हैं, जिनमें से टिहरी एवं नरेन्द्रनगर में नगर पालिकाएं एवं मुनिकीरेती, देवप्रयाग, एवं कीर्तिनगर में अधिसूचित क्षेत्र हैं 1977 से ये नगर पालिकायें एवं अधिसूचित क्षेत्र जिलाधिकारी के प्रशासन में हैं तथा परगनाधिकारी/डिप्टी कलेक्टरों को इनके प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है । इस जनपद में एक जिला परिषद भी है, जिसका मुख्यालय, टिहरी में है तथा वह भी जिलाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं क्योंकि निर्वाचन बोर्ड इस समय भंग है । जिलाधिकारी के सहायतार्थ अपर जिलाधिकारी {विकास} जिला परिषद के पदेन मुख्य अधिकारी हैं । इसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त मुख्याधिकारी एवं एक कार्य अधिकारी तैनात हैं ।

इस जनपद में लीड बैंक स्टेट बैंक है तथा लीड बैंक अधिकारी का कार्यालय टिहरी में स्थापित है । स्टेट बैंक सहित कुल 38 व्यवसायिक बैंकों की शाखाएं जनपद में कार्यरत हैं ।

सभी व्यवसायिक बैंकों द्वारा ऋण वितरण कार्य किया जाता है तथा उनके परस्पर सम्पर्क बनाये रखने के लिए तथा इनके कार्य की समीक्षा करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सलाहाकार एंव समन्वय समिति का गठन है जिसकी बैठक प्रत्येक त्रैमास में हुआ करती है । इस जनपद में 105 प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियाँ हैं जो कि जिला सहकारी बैंक से ऋण लेकर अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराती है । इसके अतिरिक्त कृषि उपज की विक्रय व्यवस्था के लिए जनपद में 9 क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ § फल विपणन सहित§ कार्यरत हैं । उपभोक्ता कार्य के लिए जनपद में एक जिला सहकारी विकास संघ [illegible] स्थापित है जो नियन्त्रित एंव अन्य वस्तुओं का थोक एंव फुटकर व्यापार करता है । जनपद में 10 उपभोक्ता सहकारी समितियाँ हैं 34 श्रम संविदा [illegible] श्रमिक समितियाँ हैं जो वनों के कटान तथा छोटी सड़कों व भवनों के निर्माण का कार्य करती है । जनपद में एक यातायात पर्यटन और विकास सहकारी [illegible] लि० तथा एक टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स कार्पोरेशन प्रा०लि० है जो जनपद के भिन्न राजपथों पर बसें चलाती है तथा सामान ढुलान हेतु ट्रक उपलब्ध कराती है । साथ ही ऋषिकेश एंव टिहरी में [illegible] डीजल एंव पेट्रोल पम्प भी संचालित कराती है । जिले में एक सहकारी बैंक टिहरी में स्थापित है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण जनपद में ऋण सुविधा में उपलब्ध कराने के लिए भिन्न -2 स्थानों पर 19 शाखायें कार्यरत हैं ।

जनपद में सभी सहकारी संस्थाओं की देखरेख जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ, टिहरी गढ़वाल कर रहे हैं ।

जनपद में प्राविधिक शिक्षा के लिए एक राजकीय पालीटेक्निक नरेन्द्रनगर में तथा एक आई०टी०आई० तथा एक जी०आइ०टी०आई० टिहरी में स्थापित है ।

विकास की दृष्टि से यह जनपद निम्न 10 विकास खण्डों में विभक्त है ।

1- विकास खण्ड नरेन्द्रनगर
§मुख्यालय फकोट§
2- विकास खण्ड चम्बा
3- विकास खण्ड जौनपुर
§मुख्यालय थात्यूड़§
4- थौलधार विकास खण्ड
§मुख्यालय छाम§
5- विकास खण्ड प्रतापनगर
6- जाखणीधार विकास खण्ड
§मुख्यालय टिपरी§
7- विकास खण्ड भिलंगना
§मुख्यालय घनसाली§
8- विकास खण्ड [illegible]
9- विकास खण्ड कीर्तिनगर
10- विकास खण्ड देवप्रयाग
§मुख्यालय हिन्डोलाखाल§

प्रत्येक विकास खण्ड एक खण्ड विकास अधिकारी के अधीन है। जनपद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण नरेन्द्रनगर में स्थापित है जो कि परियोजना निदेशक (डी०आर०डी०ए०) के अधीन है। जिलाधिकारी इस अभिकरण के अध्यक्ष हैं एवं विभिन्न विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य हैं। अभिकरण की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रतिमाह होती है, जिसमें क्षेत्र विकास अधिकारियों के कार्यकल[illegible] समीक्षा की जाती है। अभिकरण का मुख्य कार्य विभिन्न बैंकों [illegible] योजनाओं का कार्यान्वयन भी विकास खण्डों के माध्यम से करा[illegible]।

::अध्याय-4::

आर्थिक कार्यकलाप:-

जनपद के विकास की रूप रेखा निश्चित करने के पूर्व आर्थिक कार्यकलापों का अध्ययन /विश्लेषण एक आवश्यक प्रक्रिया है । जैसा भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए पूर्व के अध्याय में लिखा जा चुका है । कृषि एक गौण व्यवसाय के रूप में है । उद्यान तथा फल उत्पादन जनपद के लिए आधार स्तम्भ हैं । पशुपालन, दुग्ध उत्पादन /वन तथा वनीकरण भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं गौण कार्यकलापों में कृषि को छोड़कर उद्योग, शिल्प, कुटीर उद्योग आदि उल्लेखनीय हैं ।

कृषि:-

जनपद में तीन तहसीलें हैं जिनकी जलवायु लगभग एक ही जैसी है ऊंची ऊंचाई वाले भाग वन से आच्छादित हैं जबकि घाटियों वाले क्षेत्र कृषि के उपयोग में आते हैं घाटी वाले क्षेत्रों में गेहूँ, धान, जौ, झगोरा, मडुवा आलू तथा तिलहन पैदा होता है क्योंकि अधिकांश जोते बिखरी और छोटी हैं अतः उनसे आर्थिक लाभ बहुत कम मिल पाता है । कृषि गणना 1980-81 के अनुसार जनपद में कुल जोता की संख्या 87604 है ।

क्षेत्रफल के वर्गीकरण के अनुसार जोतों की संख्या निम्न प्रकार है ।

क्र0सं0	वर्ग	जोतो की संख्या
1-	एक हेक्टयर तक	59182
2-	एक से तीन है0 के बीच	25078
3-	3 से 5 है0 के बीच	2791
4-	5 से तथा उससे अधिक	553
योग:-		87604

छोटे और बिखरे हुए खेतों का दुष्परिणाम यह होता है कि कृषक उनमें न तो भरपूर रसायनिक खादों का उपयोग कर पाते हैं और नही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाती है । परिणामतः लगभग 10 प्रतिशत ही कृषक ऐसे होंगे जो अपने लिए साल भर के लिए अन्न पैदा कर सकते हैं । सामान्यतया 6 माह के लिए खाद्यान्न बाहर से आयात करना पड़ता है ।

जहाँ तक वाणिज्य फसलों का प्रश्न है, आलू एक मात्र फसल है । जो अच्छी पैदावार देती है और निर्यात भी किया जाता है । वर्ष 83-84 में 10372 मै0टन आलू का उत्पादन हुआ । आलू को सुरक्षित रखने के लिए जनपद में कोई शीतगृह नहीं है इन समूहों वस्तुओं के विपणन की सुविधा नाम मात्र की है । केवल सरकारी क्रय विक्रय समिति जौनपुर ही कार्य कर रही है, जिसमें अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी हैं । अतः विपणन और संग्रहण की सुविधा बढाई जाने की आवश्यकता है । इससे कृषकों का शोषण औरन उनकी उत्पादित

वस्तुओं का सही मूल्य समय पर मिल पायेगा ।

फल उत्पादन:-

फलोत्पादन की दृष्टि से सेब, अखरोट ,नींबू तथा आम प्रमुख हैं । इनका अल्प मात्रा में निर्यात होता है और अधिकांशतया देहरादून के व्यापारी इनके मुख्य क्रय करने वाले हैं । फलों के बाद साग ,सब्जी की मांग अधिक है, किन्तु उत्पादित साग,सब्जियाँ बढ़ती हुई आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है ।

जनपद में घाटी वाले क्षेत्रों में जहाँ इन्हें स्थान हैं फलदार [illegible] उपयुक्त है । कतिपय घाटी वाले सिंचित क्षेत्रों को छोड़कर शेष [illegible] अधिक उपयुक्त नहीं हैं तथा औद्यानिकी ही एक प्रमुख विकल्प के रूप में [illegible] जा सकता है । वर्ष 1983-84 में जनपद में 655 है0 उद्यान के अन्तर्गत इस क्षेत्र में सेब अखरोट ,आड़ू खुमानी तथा आम विशेष रूप से लिया गया । यद्यपि फलों के निर्यात के अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी यह कहा जा सकता है कि केवल सेब व अखरोट ही निर्यातित फसलों में आते हैं । शीतीकरण की सुविधा न होने के कारण फलों और साग सब्जियों को रखना असम्भव है । जनपद की विकास की गति तीव्र करने के लिए फलों का उत्पादन कार्यक्रम और फलों की कैनिंग को एक उपयोगी व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । इसके लिए आवश्यक है कि इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित किया जाय और विपणन की व्यवस्था सहकारी समितियों द्वारा की जाय । इसके लिए स्थानीय उद्योग पतियों को अनुदान तथा ऋण उचित दरों पर देकर प्रोत्साहित किया जाय

वन सम्पदा:-

वन सम्पदा की दृष्टि से जनपद एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है व्यवसायिक और उपयोगी लकड़ियों नीम,चीड़,साल,देवदार,कुकाट,तुन,पाड़ी,रिंगाल के अतिरिक्त जड़ी बूटीयाँ आती हैं । वनों से निर्धन परिवारों को ईंधन और घास तथा मकान बनाने के लिए लकड़ी उपलब्ध होती है । पापड़ी लकड़ी से खिलौने बनाये जाते हैं, जो ग्रामीण जनता के लिए अतिरिक्त आय का साधन हो सकता हैं । शासन ने इस दिशा में टिहरी में पापड़ी काष्ट कला केन्द्र था जो अब स्थानान्तरित कर देहरा ले जाया गया है । वन से स्थानीय जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है । दूसरी ओर वन में पाई जाने वाली लकड़ी का उपयोग जनपद में न होकर के मैदानी भागों में होता है । जहाँ काष्ट उद्योग फल-फूल रहे हैं । उचित यह होगा कि जनपद के लिए वन सम्पदा का कुछ भाग क्षेत्रीय निर्धन परिवारों के लिए सुरक्षित कर लिया जाय । इसके साथ ही नये स्थापित होने वाले उद्योगों को क्रय विक्रय की व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए । [illegible] स्वरूप जो माल इकाइयों में [illegible] जाय उसे स्थानीय खपत के बाद नीचे मैदानी भागों में बिक्री हेतु निर्यात कराया जाय । जहाँ तक विपणन संग्रहण एवं भण्डारण की व्यवस्था की समस्या का प्रश्न है उसमें गढ़वाल मण्डल विकास निगम और यू0पी0 एग्रो पर्वतीय क्षेत्र विकास के साथ ही एक सहकारिता विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में कृषकों के लिए उनके विकास कार्यक्रमों की सहायतार्थ ग्रामीण गोदामों का निर्माण कराया गया है । सहकारिता विभाग भी इसी ओर कार्य कर रहा है । जिसमें निवेशों के संग्रहण करने की क्षमता तो हो जायेगी, किन्तु उत्पादित वस्तुओं को रखने और उनके बिक्री करने की समस्या पूर्ववत बनी रहेगी ।

औद्योगिक उत्पादनः-

औद्योगिक उत्पादन अभी शैशव अवस्था में है । इसके लिए अवस्थापना का अभाव और कच्चे माल के लाने और तैयार माल की बिक्री की व्यवस्था जैसी कठिनाइयां हैं । उद्योग विभाग में साबुन, लकड़ी का सामान पापड़ी के खिलौने तथा बुनाई आदि के कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, किन्तु अधिकांश इकाइयों में ही केन्द्रित है । इन उद्योगों में यद्यपि रोजगार के अवसर हैं, फिर भी उपलब्धियां उत्साहवर्द्धक नहीं हैं । आगामी वर्षों में ठोस कार्य न अपेक्षित ही नहीं वरन अनिवार्य है ।

:: अध्याय -5- ::

सेवायोजन सम्बन्धी समस्यायें :-

शारीरिक रूप से सक्षम और संतुलित मस्तिष्क के सभी व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का संकल्प लिया गया है । पर्वतीय भाग में यदि इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर विश्लेषण एवं विवेचना की जाय तो पर्वतीय भागों से शेष प्रदेश की अपेक्षा स्थिति अधिक असन्तोष जनक है । साधनों की कमी और अवस्थापना का अभाव सेवायोजन की दृष्टि से बाधक रहे हैं । अधिकांश व्यक्ति कृषि और उसकी सम्बन्धित कार्य क्रियाओं में लगे हुए है । कृषि भूमि इतनी अल्प है कि वह अधिकांश व्यक्तियों के रोजगार का भार नहीं उठा सकती है । फलतः बेरोजगारी का होना स्वाभाविक है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि कृषि कार्यों में लगी आबादी को अन्य क्षेत्र में सेवा के अवसर उपलब्ध कराने होंगे । यह अवसर कुटीर उद्योगों यातायात एवं संचार तथा अन्य निर्माण कार्यों में वृद्धि करने से बढ़ाया जा सकते हैं । सेवायोजन के अन्य साधनों के लिए भी ऐसे अवसर बढ़ाने होंगे जिनके माध्यम से वे सक्षम बन सकें । और पारिवारिक आय बढ़ा सकें ।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में कर्मकरों की कुल संख्या 253040 है जो कुल जनसंख्या का 50.8 प्रतिशत है । इसमें 189929 कृषि पर और 30966 अन्य कर्मकर हैं ।

जिला रोजगार कार्यालय के अनुसार वर्ष में जनपद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पर लगे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या 12885 थी । दूसरी ओर निजी क्षेत्र में वर्ष 84-85 में रोजगार पर लगे व्यक्तियों की संख्या 1413 थी । वर्ष 84-85 में कुल 3636 व्यक्ति पंजीकृत हुए जिनमें से 68 व्यक्तियों को वर्ष 84-85 में रोजगार उपलब्ध कराया गया जो कि वर्ष 83-84 का अपेक्षा कम है । वर्ष 84-85 के दौरान अनुसूचित जाति के 15 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया गया जो कि वर्ष 83-84 की अपेक्षा 2 कम रही ।

जनपद के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है । औद्योगिक विकास न होने के कारण जनपद में रोजगार की सम्भावनाओं का अभाव है । परिणाम स्वरूप रोजगार के पर्याप्त अवसरों के न होने से शिक्षित एवं अशिक्षित वर्ग रोजगार की खोज में जनपद से बाहर चला गया है । बाँध परियोजना के आरम्भ होने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं ।

प्रशिक्षण की सुविधा- इस समय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टिहरी राजकीय पालीटेक्निक नरेन्द्रनगर औद्योगिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान, टिहरी बी0टी0सी0 प्रशिक्षण संस्थान, टिहरी में उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त स्वामी राम तीर्थ संघटक महाविद्यालय- टिहरी में बी0एड0 के प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है इन प्रशिक्षणों का पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है । जिसका कारण यह है कि जनपद में न तो कोई आधारित उद्योग अथवा औद्योगिक कार्य है । जिसके अभाव में प्रशिक्षित रोजगार ढूढने वालों को हतोत्साहित रहता है ।

::अध्याय- 6::

पिछड़े समुदायों की समस्यायें ।

पिछड़े समुदाय के अन्तर्गत जनपद में मुख्यत: अनुसूचित जाति के लोग हैं । जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 63508 है जो कुल जनसंख्या का 12.73 प्रतिशत है । समाज के इस वर्ग के पिछड़ेपन का मुख्य कारण आर्थिक एवं सामाजिक चेतना का अभाव रहा है, जो कि समाज के लिए एक अभिशाप बना हुआ है । इनका केवल आर्थिक शोषण ही नहीं होता है अपितु सामाजिक असमानताओं के भी शिकार हैं । इनके पास बहुत कम सम्पत्ति होती है । अधिकतर लोग कृषि मजदूरी, अलाभकारी व्यवसाय एवं परम्परागत पेशों में लगे हुए हैं ।

आर्थिक :-

अभी तक यह वर्ग असुविधाओं में फंसा हुआ है । जहाँ से ये विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत समुचित रोजगार के अवसरों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उनको कृषि मजदूरी, पशुपालन एवं अन्य छोटे-2 अलाभकारी व्यवसायों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करना पड़ रहा है । पिछड़ी जाति के समुदायों के कृषकों की जोतों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर भी यह स्पष्ट है कि अधिकतर परिवारों की जोते बहुत छोटी हैं, केवल इन्हीं जोतों के आधार पर ये परिवार गरीबी की रेखा स्तर से ऊपर नहीं उठ सकते हैं । इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उनके जीवन स्तर को उठाने तथा अतिरिक्त आय उपलब्ध करवाने के लिए कृषि तथा पशुपालन अथवा कृषि तथा ग्रामीण उद्योग को सुसंयुक्त रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है ।

सांस्कृतिक :-

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस समुदाय के पिछड़ेपन का मुख्य कारण आर्थिक असमानता रही है । यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टि डाले तो ज्ञात होता है कि इस समुदाय के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या आबादी के प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है और महिलाओं में तो साक्षरता नगण्य हैं । जो बच्चे स्कूल में भर्ती किये जाते हैं, उनमें से अधिकांश बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं । साक्षरता के अभाव के कारण इस वर्ग के लोग विकास की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध नहीं उठा पा रहे हैं । इस वर्ग में कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास न रहने की सुविधा है और न खाने पीने की सुविधा । वे अस्वच्छता के वातावरण में जीवन यापन करते हैं । कतिपय परिवार जैसे बाजगी आदि गाने बजाने पर ही जीवन यापन करते हैं । ग्रामीण अंचलों में यह भी देखने को मिला है कि यदि कोई परिवार काष्ठ कला अथवा लोहारगिरी का कार्य करता है तो वह सवर्ण जाति के लोगों के लिए औजार एवं अन्य सामग्री तैयार करता है । मजदूरी के रूप में उसे अनाज दिया जाता है । चूँकि यह लोग परम्परा से इस प्रकार कार्य करते आ ---

रहे हैं, इसलिए इन लोगों को नयी तकनीकी की जानकारी भी नहीं रहती है। और वर्तमान में जो सुविधाएं शासन द्वारा आर्थिक विकास की चलाई जा रही है ~~और वर्तमान में जो सुविधाएं~~ उनका उपयोग करने में वे असमर्थ रहे हैं। यदि इस समुदाय में शिक्षा का प्रसार किया जाय तो ये लोग आर्थिक कार्यक्रमों द्वारा सृजित नये रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। तथा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उसका भी पूर्ण लाभ लेने में सक्षम हो सकते हैं।

पिछड़े समुदाय के लिए कार्यक्रम:-

इस समुदाय के लोग विभिन्न कार्यक्रमों जैसे, कृषि मजदूरी पशुपालन छोटे-2 उद्योग धन्धों में लगे हुए हैं, इनके उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले इस समुदाय का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाय। सर्वेक्षण में इस जाति के लोगों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कितने परिवार परम्परा से किन-2 कार्यकलापों से सम्बद्ध है। सर्वेक्षण के उपरान्त इन लोगों को वही कार्यक्रम दिए जायं जिसमें प्रारम्भ में अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता न हो और वे वर्तमान में जिन कार्यों को करते आ रहे हैं उन्हीं में ऋण एवं सब्सीडी से लाभान्वित किया जाय। इससे भूमिहीन अथवा कृषक श्रमिकों के लिए भी जीविकोपार्जन के अवसर सुलभ हो सकते हैं। और वे आर्थिक उन्नति भी कर सकते हैं।

यदि पशुपालन कार्यक्रम दिया जाना है तो उसमें मुख्यतः बकरी, भेड़ यूनिट आदि योजनाएं दी जानी लाभप्रद होंगी। योजना देते समय पशुओं के लिए पुष्ट आहार, चारे व बीमारी की रोकथाम के लिए व्यवस्था करनी होगी। जो अन्य व्यवसाय भूमिहीन मजदूरों तथा कुशल श्रमिकों को दिए जाय उनमें काष्ठकला उद्योग जिसके लिए कच्चा माल स्थान में ही उपलब्ध हो, दिया जाना हितकर होगा तथा जिन क्षेत्रों में आवागमन के साधन क्षीण हैं वहाँ पर खच्चर जोड़ी दिया जाना होगा। कुशल श्रमिकों के लिए यह भी आवश्यक होना चाहिए कि यदि जनपद में किसी भी विभाग की बड़ी योजना जैसे टिहरी बाँध आदि का निर्माण किया जाना है तो उनमें प्राथमिकता स्थानीय श्रमिकों को दी जानी चाहिए, जिससे जो कुशल मजदूर रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनको रोजगार उपलब्ध हो सके।

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत इस वर्ग के आर्थिक विकास की सम्भावनाएं उज्ज्वल हैं। यदि जनपद के सभी विकास खण्डों में इस प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जायें तो निश्चित ही अनुसूचित जाति के लोग जो आज समाज के सबसे निम्न स्तर पर हैं उनको राष्ट्र के जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

:: अध्याय-7 ::

प्राकृतिक संसाधन

भूमि :-

प्रकृति की सबसे बड़ी देन स्वच्छ जल, मिट्टी तथा अच्छी जलवायु है। जिला टिहरी का कुल बोया गया क्षेत्रफल केवल 12.8 प्रतिशत है जो इस बात का द्योतक है कि कृषि के विकास की सम्भावनाएं क्षीण हैं। इसके दूसरी ओर वनों के अन्तर्गत [illegible] प्रतिशत क्षेत्र हैं। शेष भूमि अधिकांशतया बंजर अथवा परती है। यह आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि जनपद के विकास में वन एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं तथा इनका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।

वन:-

इस जिले में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई में अधिक अन्तर होने के कारण वन सम्पत्ति में भी भिन्नताएं हैं। 3000 फीट से नीची जगहों में बांस, साल, बल्लू, शीशम, आंवले आदि वृक्ष पाये जाते हैं। 3000 फीट से 6000 फीट तक की ऊंचाई पर चीड़ तथा 6000 फीट से 8000 फीट की ऊंचाई पर बांज और देवदार आदि के जंगल हैं। उद्योग की दृष्टि से पापड़ी, रिंगाल, लीसा, इमारती लकड़ी तथा जड़ी बूटी उल्लेखनीय हैं।

खनिज:-

वर्ष 1957-58 में कराये गये औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार जनपद खनिज सम्पत्ति से भरपूर है, किन्तु विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर जो तथ्य सामने आये हैं उनमें तांबा, लोहा, अभ्रक, कीमती पत्थर, खड़िया का पत्थर जिप्सम तथा चूने का पत्थर के प्रचुर मात्रा में मिलने की सम्भावना व्यक्त की गई है।

तांबा, मिट्टी छोटी फेगुल के ग्राम ओनिया तथा पोखाल के बीच में 6100 फीट की ऊंचाई पर मिलता है। अभ्रक के गांवों के आस-पास मिलने की आशा है। कीमती पत्थर आगराखाल, कुन्जू एवं लम्बगांव स्थानों के निकट मिलता है। कुछ मसूरी से ऋषिकेश, लक्ष्मणझूला के भाग में फास्फेट, जिप्सम तथा चूने का पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

ऊन:-

जनपद में वर्ष 1982 की पशुगणना के आधार पर 34402 भेड़ें रही हैं। भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है जो कालीन उद्योग तथा कम्बल व ऊनी कपड़े बनाये जाने में सहायक होती है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1979 में इन भेड़ों से जनपद को 20.000 किलोग्राम ऊन उपलब्ध हुआ है।

पशुधन:-

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य व्यवस्था होने के कारण पशुपालन कार्यक्रम का अधिक महत्व है। कृषि के पश्चात जनपद में पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है। वर्ष 1982 की पशुगणना के आधार पर

जनपद के कुल पशुओं की संख्या 421489 रही है । कुल मिलाकर प्रति परिवार पशुओं की संख्या 4.8 है । [illegible] अनुमान है कि किन्तु जो उत्पादन के आकड़े उपलब्ध हो सके हैं उसके अनुसार एक गाय एक किलो प्रतिदिन की दर से तथा भैंस 2 किलो ग्राम प्रतिदिन की दर से दूध देती है । अनुमान है कि इस प्रकार जनपद में 40255 मे0टन दूध का उत्पादन होता है । पशुओं के अनुसार ये उत्पादित दूध की मात्रा सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती किन्तु इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यदि अच्छे चारे, तथा सन्तुलित पशु आहार की व्यवस्था की जाय तो जनपद एक अच्छे दूध उत्पादन के रूप में आ सकता है । दूध के क्रय विक्रय की [illegible] व्यवस्था नियोजित नहीं है । और अधिकांश ग्रामीण [illegible] में अथवा [illegible] में जा कर दूध की बिक्री करते हैं । बकरियों का [illegible] प्रश्न है उनका पालन सरल है और ये वर्ष में दो बार बच्चे देती हैं, जो [illegible] आय बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं । इसके साथ ही मांस की बिक्री द्वारा ग्रामीण [illegible] परिवार अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं ।

<u>जंगली जानवर</u>–

वन की [illegible] होने का कारण जनपद उद्योग की दृष्टि से उपयोगी लकड़ी से पूर्ण है तो दूसरी ओर इन वनों में जंगली जानवर और चिड़ियां भी पाई जाती हैं । इनकी खाल और पंख बड़े [illegible] होते हैं । जंगलों में चीता, रीछ, हिरन, कस्तूरा, बारह सिंगा, जंगली सुअर, बन्दर, गीदड़, खरगोश और शेर अधिक मिलते हैं । पक्षियों में गिद्ध, चील, कबूतर, मोर, हन्स, [illegible], उल्लू, नीलकण्ठ, चकोर, तीतर, और बटेर आदि अधिक हैं जो खाने के साथ-साथ व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी हैं । अतः जनपद के विकास की दृष्टि में रखते हुए उपलब्ध सम्पदा का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए ।

अध्याय :- 8

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

राष्ट्रीय विकास परिषद का एक महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा है कि जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए व्यक्तिगत एवं सामुहिक उपभोग का न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किया जाये । सामुहिक लाभ हित के कार्यक्रमों में प्रारम्भिक शिक्षा जन स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़क, तथा विद्युतीकरण कार्यक्रम रखे गये हैं । जनपद की सबसे बड़ी आवश्यकता पेय जल की है । तत्पश्चात विद्युत एवं जनस्वास्थ्य कार्यक्रम आते हैं । वर्ष 1987-88 की जिला योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु जो परिव्यय प्रस्तावित किया गया है . उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

योजना का नाम	वर्ष 1988-89 हेतु निर्धारित परिव्यय (हजार रूपये में)
1- पेयजल	5100
2- ग्रामीण विद्युतिकरण	22880
3- प्राथमिक शिक्षा	14259
प्रौढ शिक्षा	1075
4- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	3050
5- ग्रामीण आवास योजना एवं आवास स्थल विकास	780
6- पक्की सड़कों की मरम्मत	1468
7- ग्रामीण पर्यावरण	250
8- पौष्टिक आहार	770
9 पशुपालन	5
कुल योग:-	95544

:: अध्याय-9 ::

पिछड़े समुदाय के लिये कार्यक्रम

1981 की जनगणनानुसार जनपद की जनसंख्या 497710 है। इस का लगभग 96 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में वास करता है। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या मुख्यतः कृषि तथा उनसे सम्बन्धित व्यवसायों पर आधारित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 63608 है। अनुसूचित जाति में लोहार, बढ़ई, सोनार, औजी, नाथ, जोगी, बेड़ा, टमटा, कुम्हार, कोल्टा, तथा बाजगी (ढोली) आदि प्रमुख है। ये जातियां निर्धन तथा साधनहीन हैं। इनके पास अपेक्षाकृत कम भूमि है। कुछ मिस्त्री व कुछ लोहारगिरी तथा कपड़े की सिलाई करके भी अपना भरण पोषण करते हैं। यद्यपि इन जातियों के आचार विचार अन्य जातियों के समान हैं, फिर भी आर्थिक तथा सामाजिक विषमता स्पष्ट दिखायी देती है।

विगत वर्षों में पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिये एक नहीं अनेकों कार्यक्रम चलाये गये जो आज भी चलाये जा रहे हैं। शासन ने समाज में इनके स्तर बढ़ाने के लिये शिक्षा व आवास की व्यवस्था तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की है तो दूसरी ओर आर्थिक कार्यक्रम चला कर उनकी आर्थिक दशा सुधारने हेतु कार्य भी किया है। सच तो यह है कि आर्थिक दृष्टि से सबल होना ही प्रगति में सहायक हो सकेगा।

शासन द्वारा चलाये जा रहे कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

1- भूमिहीन हरिजनों को भूमि का आवंटन।
2- निर्बल वर्ग आवास योजना।
3- हरिजन पेयजल योजना।
4- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण।
5- न्यूनतम ब्याज दर की सुविधा।
6- सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का आरक्षण।
7- एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम।
8- स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान।
9- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शिक्षा की सुविधा।
10- पौष्टिक आहार योजना आदि।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र में बसे ग्रामीणों का कल्याण कृषि पर आधारित आर्थिक कार्यकलापों पर निर्भर नहीं हैं, इसलिये आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम चलाये जांय जिससे आवश्यकतानुसार रोजगार के अधिक अवसर मिले। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना इस दिशा में सही कदम हैं, इसके लिये आवश्यक है कि मजदूरी के भुगतान के लिये जो मानदण्ड निश्चित किये गये हैं उनमें परिस्थिति को देखते हुये वृद्धि की जानी चाहिये।

कृषि के विकास की सम्भावनायें लगभग नहीं के बराबर हैं, किन्तु वे ग्रामीण क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्रों के समीप हैं, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन तथा फलोत्पादन और सब्जियां पैदा करने के लिये सर्वदा उपयुक्त हैं । निर्बल वर्ग के कृषकों को इस दिशा में राज्य से सहायता की धनराशि ब बढ़ाई जानी चाहिये जिससे बढ़ते हुए मूल्यों का उत्पादन एवं उनकी कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव न पड़ें ।

अन्त में इस पर भी विचार किया जाय कि टिहरी जनपद की जलवायु को देखते हुये फलोत्पादन एवं फल संरक्षण कार्य को बढ़ाया जाय । फूड केनिंग एक उपयोगी व्यवसाय हो सकता है ।

प्रौढ़ शिक्षा :-

जनपद टिहरी गढ़वाल में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1979-80 से शुभारम्भ किया गया है । वर्ष 1987-88 में इस कार्यक्रम के लिये 1073 हजार रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है । वर्तमान समय में दो विकास खण्डों चम्बा एवं जाखणीधार में इस कार्यक्रम का संचालन एवं दो विकास खण्डों भिलंगना एवं जखोली में अनुगमन कार्यक्रम प्रगति पर है । यह कार्यक्रम जनपद में सफलता पूर्वक चल रहा है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण :-

विशेष तौर से ग्रामीण विद्युतीकरण महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विद्युतीकरण की पृष्ट भूमि में हरिजन बहुल्य ग्रामों/ बस्तियों को भी तेजी से विद्युतीकरण किया जा सकेगा । वर्ष 87-88 में विद्युतीकरण हेतु 22880 हजार रूपये व्यय किये जायेंगे ।

पुष्टाहार-

पुष्टाहार कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की एक आवश्यक कूंजी है । जैसा कि सर्व विदित है कि 50 प्रतिशत परिवार निर्धनता की रेखा से नीचे हैं, जिन्हें जीवनयापन की आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं. ऐसे परिवारों के बालक और बालिकायें विशेष रूप से संतुलित भोजन से वंचित रह जाते हैं । अत: शासन के निर्णयानुसार पुष्टाहार कार्यक्रम को प्रथ‍ ककरण देते हुये समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया है । जिनमें वर्ष 87-88 में कुल मिलाकर 770 ह0 रु0 व्यय होंगे । इस कार्यक्रम से बच्चों तथा धात्री माताओं को पौष्टिक आहार जैसे दलिया, चना आदि उपलब्ध होगा ।

निर्बल वर्ग आवास :-

इनकी व्यवस्था भी जनपद के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है । जिस पर आवश्यक धन की व्यवस्था की जा रही है। वर्ष 87-88 में सामुदायिक विकास विभाग 1720 हजार तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से 77 हजार रू0 वित्तीय सहायता प्राप्त कर पिछड़ें समुदाय व वर्ग को निवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।

पंवार :-

अध्याय:-10 (22)

योजना की रणनीति

सप्तम पंचवर्षीय योजना का द्वितीय समाप्ति पर है । तृतीय वर्ष की योजना की संरचना के समय पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति तथा विकास समस्याओं के साथ-साथ इकोलाजी का भी पूर्ण ध्यान रखा गया है ।

पूर्व की भांति सप्तम पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष की प्रमुख रणनीति निम्न प्रकार से है :-

1- फसल सघनता में वृद्धि करना ।

2- जनपद के आर्थिक विकास में वृद्धि करना ।

3- लघु सीमान्त कृषकों की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा नवीन कृषि तकनीकी का प्रसार करना ।

4- रोजगार के अवसर पैदा करना तथा गरीबी दूर करना ।

5- सृजित सिंचित क्षमता का पूर्ण उपयोग करना एवं सिंचन क्षमता में वृद्धि करना ।

6- विभिन्न विकास खण्डों में व्याप्त विषमताओं को दूर करना ।

पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के साथ परिस्थिति तथा पर्यावरण सुरक्षा को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है । अत: पर्वतीय क्षेत्र की विकास रणनीति के अनुसार प्राथमिकताओं के दृष्टिगत कृषि, बागवानी, भूमि एवं जल संरक्षण वानिकी, पशुपालन, उद्योग विकास तथा विशेष कर निर्माण कार्यों में पर्यावरण सन्तुलन की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

:: अध्याय -II ::

वर्ष 1987-88 की जिला योजना का विस्तृत विवरण !

1- कृषि कार्यक्रम:-

1- 1987-88 में जिला योजना में उन चालू योजनागत कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है जिन को भविष्य में चालू रखने की आवश्यकता है जिससे जनपद में कृषि कार्यक्रमों को पर्याप्त गति मिल सके। और कृषकों को आधुनिक विधियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन मिल सके। जनजाति विकास खण्ड जौनपुर के कृषकों के लिए विशेष प्राविधान रखा गया है, चालू योजना पर 1533 तथा नयी योजना पर 282 कुल 1815 हजार रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

मदवार योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

1-1 पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्ड में उर्वरक कम्पोजिट प्रदर्शन:-

इस योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में कम्पोजिट उर्वरकों के प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 85-86 में 338 प्रदर्शन का लक्ष्य किया गया तथा वर्ष 87-88 के लिए 37 हे0 क्षेत्र में 370 प्रदर्शनों पर 33 हजार रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

1-2 पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्ड में बीज विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों पर 50 प्रतिशत राज्य सहायता:- यह कार्यक्रम जनजाति विकास खण्ड जौनपुर में लिया गया है। इस विकास खण्ड में अधिक उपज देने वाले बीजों पर 50 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य करना प्रस्तावित है वर्ष 86-87 में 350 कुन्टल बीज वितरण के विपरीत 300 कुन्टल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 87-88 के लिए 320 कुन्टल बीज का लक्ष्य रखा गया है जिस पर अनुमानत: 64 हजार रुपये का वित्तीय प्राविधान प्रस्तावित है।

~~1-5~~ 1-3 पर्वतीय क्षेत्र में दलहनी फसलों की सघन खेती की योजना:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दलहनी फसलों के प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु डी0ए0पी0 उर्वरक पर 33 1/3 प्रतिशत की दर से एक कुन्टल प्रति हे0 राज्य सहायता देने का प्राविधान है वर्ष 87-88 हेतु 325 हेक्टेयर दलहनी फसलों के क्षेत्र में डी0ए0पी0 उर्वरक का लक्ष्य रखा गया है जिस पर 39 रुपये का वित्तीय प्राविधान है।

1-4 पर्वतीय क्षेत्र में कृषि रक्षा सेवा का सुदृढीकरण एवं कुरमुला कीट के नियन्त्रण तथा उन्मूलन की योजना:- कृषि उत्पादन बढाने हेतु कृषि रक्षा रसायनों का महत्वपूर्ण स्थान है इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में एक लाख हे0 क्षेत्र का कीट रोग आदि से नियन्त्रण करना प्रस्तावित है जिसके लिए 360 हजार रुपये का वित्तीय प्राविधान प्रस्तावित है। ~~इस कार्यक्रम के अन्तर्गत~~

1-5 उर्वरक परिवहन पर राज्य सहायता :- वर्ष 86-87 में इस योजना के अन्तर्गत 250 हजार रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। वर्ष 87-88 हेतु मदवार विवरण निम्न प्रकार है जिस पर 275 हजार रुपये का वित्तीय प्राविधान है।

---2

अ- सुगम परिवहन हेतु 10 कि0ग्रा0 के पैकटों की व्यवस्था:- इस कार्यक्रम में 15400 उर्वरक पैकेट बनाना प्रस्तावित है । जिस पर 77 हजार रूपये व्यय होने का अनुमान है ।

ब- पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक के परिवहन पर अनुदान की योजना:- इस योजना के के अर्न्तगत नत्रजन ,फास्फेट, एंव पोटाश के परिवहन पर 198 हजार का व्यय होने का अनुमान है ।

1-6 पर्वतीय क्षेत्र में धान कृषि एंव बहु फसली योजना:- इस योजना के अर्न्तगत 87-88 में 04हे0 क्षेत्र के 1000 धान, 100 मक्का एंव 1100 गेहूँ के प्रदर्शन आयोजित करना प्रस्तावित है ।
प्रति प्रदर्शन 100 रू0 व्यय के हिसाब से 220 हजार रूपये का वित्तीय प्रावधान है

1-7 पर्वतीय क्षेत्र में गुणात्मक बीजों के उत्पादन संग्रहण एंव वितरण की योजना:-

अ- वर्तमान प्रक्षेत्र नौधा की स्थापना एंव सुदृढीकरण:- इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 87-88 में फसलों की सिंचाई हेतु पावर स्प्रेयर पर 20 हजार ,सिंचाई हेतु हौज निर्माण व गूल निर्माण हेतु 70 हजार, खलिहान की मरम्मत पर 10 हजार ,विद्युतीकरण पर 5 हजार कर्मचारियों के वेतन ,मजदूरी कार्यालय व्यय पर 100 हजार व्यय अनुमानित है इस प्रकार राजकीय प्रक्षेत्र नौधा हेतु वर्ष 87-88 में कुल 205 हजार रूपये का वित्तीय प्रावधान होना प्रस्तावित है ।

ब- नये प्रक्षेत्र की स्थापना:- नये प्रक्षेत्र ग्राम तापमी में 8 हैक्टेयर भूमि प्रक्षेत्र स्थापित करने हेतु 87-88 में कटीदार तारों की बेरबाड़ हेतु 65 हजार ,झाड़ी कटाई एंव खेतों का निर्माण 56 हजार फार्म अधीक्षक के निवास व कार्यालय भवन हेतु 100 हजार अर्थात 221 हजार रूपये का प्रस्ताव है ।

स- बीज भण्डार एंव भवन निर्माण की योजना:- बीज भण्डार के निर्माण हेतु विभाग के पास भूमि उपलब्ध है । अत: बीज भण्डार के निर्माण हेतु 116 हजार रू0 का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है ।

नई योजना:-

1- पर्वतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना:- जनपद-टिहरी में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अर्न्तगत सोयाबीन फसल ली गई है । इस योजना के अर्न्तगत निम्न प्रकार लक्ष्य निर्धारित हैं ।

1- प्रमाणित बीजों का वितरण	20 कृषकों को	20 हजार
2-पंजीकृत बीज उत्पादन	150 कुन्टल बीज	50 हजार
3-बीज मिनीकिट वितरण	5500 मिनीकिट	25 हजार
4-कृषि रक्षा उपकरण वितरण	110 उपकरण	16.5 हजार
5-वृहद प्रदर्शनों का आयोजन	20 प्रदर्शन	140 हजार

---3

::3::

6- राइजोबियम कल्चर वितरण	700 कल्चर पैकेट	7 हजार
7- स्टाफ व कन्टीजेन्सी	वेतन भत्ता एवं कार्यालय व्यय	35 हजार
8- मृदा परीक्षण	200 मृदा नमूने	1 हजार
9- प्रशिक्षण	प्रसार एवं प्रचार	15 हजार

इस प्रकार 87-88 हेतु राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना पर 282 हजार राज्यांश के रूप में व्यय का प्राविधान है ।

:2- उद्यान एवं फलोपयोग:

2-1 औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न इनपुट तथा फल पौध, सब्जी बीज के परिवहन, कीट एवं व्याधियों कुरमुला की रोकथाम औद्यानिक ऋण एवं यन्त्रों के वितरण पर राज्य सहायता :- उद्यान एवं फल उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 86-87 हेतु 2033 हजार रुपया का परिव्यय स्वीकृत है परन्तु 2062 ही अनुमोदित हुआ है । 87-88 हेतु 2442 हजार रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

(क) फलपौध सब्जी बीज आदि के परिवहन पर राज्य सहायता :- इस योजना के अन्तर्गत उत्तम किस्म के फल पौधों के ढुलान एवं पैकिंग सामग्री पर वर्ष 87-88 में 145 हजार रुपये का व्यय प्रस्तावित है ।

(ख) औद्यानिक फसलों के कीट एवं व्याधियों की रोकथाम हेतु पौध रक्षा कार्यों पर राज्य सहायता:- इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राज्य सहायता के आधार पर उद्यान पतियों के बागानों में पौध सुरक्षा कार्य हेतु वर्ष 87-88 में 140 हजार रुपये का प्राविधान है ।

(ग) वितरित किये गये दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण के मूलधन पर राज्यसहायता :-

इस योजना के अन्तर्गत वितरित किये गये दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण पर राज्य सहायता हेतु कोई राशि प्रस्तावित नहीं है ।

(घ) औद्यानिक औजार/ यन्त्रों के वितरण पर राज्य सहायता:- इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत राज्य सहायता के आधार पर औद्यानिक औजार /यन्त्रों के वितरण पर वर्ष 87-88 में 15 हजार रुपये व्यय होने का प्रस्ताव है ।

(ङ) आलू एवं सब्जी की फसल पर कुरमुला कीट की रोकथाम :- इस योजना के अन्तर्गत सब्जी एवं आलू की फसल पर कुरमुला कीट की रोकथाम एवं उपचार पर वर्ष 87-88 में 75% राज्य सहायता के आधार पर 90 हजार रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ।

2–2 – <u>नवीन उद्यानों की स्थापना, खुम्ब उत्पादन इकाई तथा शीतगृहों की स्थापनार्थ हेतु कृषकों को दीर्घ कालीन ऋण वितरण</u> :– इस योजना के अन्तर्गत उत्पादकों को [illegible] नवीन उद्यानों की स्थापना हेतु आसान ऋण की शर्तों पर दीर्घकालीन ऋण दिलाने हेतु वर्ष 87–88 में 10 हजार रूपयों का प्राविधान है ।

उद्यान पतियों को कुल हाउस की स्थापना करने हेतु 6 कुल हाउस निर्माण करने हेतु 90 हजार रूपये का प्राविधान है ।

खुम्ब उत्पादन 5 इकाई की स्थापना हेतु 50 हजार रूपये का वर्ष 87–88 में प्राविधान किया गया है ।

2–3 – <u>उद्यान एवं पौध रक्षा प्रसार सेवा का सुदृढ़ीकरण तथा विकास क्षेत्र स्तर पर औद्यानिक कार्यक्रमों का समन्वय</u>:– इस योजना के अन्तर्गत निम्न लिखित परियोजनायें चल रहीं हैं ः

(क) <u>विकास खण्डों [illegible] का विस्तार एवं समन्वय</u>:– जनपद में 00 विकास खण्ड हैं जिनमें से [illegible] विकास खण्डों में निरीक्षक (उद्यान) के पद उपलब्ध हैं । शेष तीन विकास खण्डों के लिए जिसके लिए 29 हजार रूपये व्यय होने का प्राविधान प्रस्तावित है ।

(ख) <u>उद्यान एवं पौध रक्षा प्रसार सेवा का सुदृढ़ीकरण</u>:– इस योजना के अन्तर्गत सातवीं योजना में 8 केन्द्र प्रस्तावित हैं अब तक 3 केन्द्र खुल चुके हैं वर्ष 86–87 में 2 केन्द्र स्थान [illegible] में खोलने का प्रस्ताव है वर्ष 87–88 में [illegible] दो केन्द्र सत्यों, एवं [illegible] जो क्रमशः विकास खण्ड जौनपुर एवं कीर्तिनगर में खोलने का प्रस्ताव है । जिसके लिए [illegible] 71 हजार रूपये का व्यय होने का प्राविधान है ।

2–4– <u>आलू विकास एवं प्रमाणित आलू तथा सब्जी उत्पादन का सुदृढ़ीकरण</u>:– योजना के अन्तर्गत आलू उत्पादकों को आलू बीज के ढुलान पर शतप्रतिशत राज्य सहायता 100 हजार रूपये के व्यय का प्राविधान प्रस्तावित है ।

सब्जी बीज एवं आलू बीज [illegible] एवं प्रमाणिकरण की योजना हेतु वर्ष 87–88 में 95 हजार रूपया व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

2–5– <u>[illegible] विकास खण्डों में फल एवं सब्जी उत्पादन को लोकप्रिय बनाने की [illegible]</u> – इस योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में फल एवं सब्जी उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से [illegible] सब्जी प्रदर्शन आयोजन पर वर्ष 87–88 में 55 हजार रूपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ।

2–6– <u>नई योजनाएं</u>

<u>[illegible] औद्यानिक नर्सरी की स्थापना</u>:–

[illegible] नई योजना प्रस्तावित की गई है । वर्तमान समशीतोष्ण उद्यान सिंचलायु [illegible] क्षेत्र में आने के कारण जौनपुर ब्लाक में समशीतोष्ण उद्यान स्थापित करने

——5

का प्रस्ताव है । इसके लिए वर्ष 87-88 में 152 हजार रूपया व्यय किये जाने का प्राविधान प्रस्तावित है । इस योजना के सम्पादन हेतु हेड चौधरी, माली, चौकीदार पदों पर कर्मचारियों की मांग की गई है । इन कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 152 हजार रू० का प्राविधान प्रस्तावित है । जिसमें से 100 हजार पूँजीगत व्यय है ।

:: 3-लघु सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता ::

3-1- कृषि उत्पादन क्षमता बढाने की योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाने से सम्बन्धित समस्त सेक्टरों में लघु सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है । वर्ष 1983-84 से यह योजना प्रदेश के प्रत्येक जनपद में लागू की गई है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से इस योजना का संचालन वर्ष 1984-85 से प्रारम्भ किया गया है इस योजना के अन्तर्गत जनपद में सामूहिक सिंचाई योजना, [illegible] तिलहन एवं मोटे अनाज के बीज के मिनीकिट का वितरण, भूमि विकास तथा फल ईंधन के वृक्षों का रोपण आदि पर अनुदान का प्राविधान है । गत वर्ष की भाँति शासन के निर्देशानुसार वर्ष 87-88 हेतु 2•5 लाख रूपये (राज्यांश) का परिव्यय प्रस्तावित है

3-2 उक्त योजना पर लघु एवं भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आई०आर०डी० पैटर्न पर अतिरिक्त अनुदान की धनराशि के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 हेतु 309 हजार रू० का परिव्यय जिला योजना में स्वीकृत था । इस जनपद में सामूहिक सिंचाई एवं भूमि सुधार का कार्य शतप्रतिशत अनुदान पर किया जाता है । अत: वर्ष 1987-88 हेतु उक्त कार्यक्रम पर परिव्यय प्रस्तावित नहीं है ।

::4- भूमि एवं जल संरक्षण ::

4-1- पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों एवं अधिक वर्षा होने के कारण भूमि कटाव भू क्षरण तथा भू-स्खलन की समस्या अधिक उग्र रूप में है । टिहरी गढ़वाल जनपद में कुल क्षेत्रफल 57:000 हे० में से 156214 हे० क्षेत्र भूमि संरक्षण के दृष्टिकोण से समस्याग्रस्त क्षेत्र है । इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने इस जनपद में तीन भूमि संरक्षण इकाइयाँ, नरेन्द्रनगर-(1968) टिहरी (1958) एवं कीर्तिनगर (1968) में स्थापित की ।

भूसंरक्षण इस जनपद में भूक्षरण एवं भू-स्खलन की समस्या को देखते हुए इस विभाग द्वारा स्थायी [illegible] रूप से अपनी योजनायें आवश्यक कार्य करने हेतु 4520 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है । इसमें 2520 रू० अधिष्ठान पर चालू व्यय तथा 2000 भूमि संरक्षण कार्य हेतु रखा गया है ।

कार्यों का विवरण भू०सं० इकाईवार निम्न प्रकार है ।

इकाई का नाम	भूमि विकास	वनीकरण/चरागाह	गदेरा भू-स्खलन नियंत्रण	कुल योग लाख(रू०)
1- टिहरी	2•00	1•00	7•00	10•00
2- कीर्तिनगर	2•00	3•00	5•00	10•00
3- नरेन्द्रनगर	1•55	2•15	6•30	10•00
योग:-	5•55	6•15	18•30	30•00

::5- पशुपालन::

5-1- भौगोलिक दृष्टिकोण से पशुओं को दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा अथवा प्रजनन हेतु ले जाने में ग्राम वासियों को कठिन मार्ग होने के कारण कठिनाइयों महसूस होती हैं । (82) की जनगणना के अनुसार पशु संख्या 458902 है 1987-88 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव रखे गये हैं ।

(क) खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम:- इस बीमारी से पशु एवं दुग्ध उत्पादन में हानि होती है । अत: इसकी रोकथाम आवश्यक है । इस योजना हेतु वर्ष 87-88 में 6000 पशुओं को टीके लगाने हेतु 15 हजार रुपये का प्राविधान है ।

(ख) ऐन्टीरोटिक वायरस रोग की रोकथाम हेतु ऐन्टीरोटिक वेक्सीन का क्रय :- इसके अर्न्तगत कुत्तों से काटे गये पशुओं का इलाज किया जाता है । जिसके लिए वर्ष 87-88 में 25 हजार रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है । जिसमें से 20 प्रतिशत अनु0जाति तथा 20 प्रतिशत जनजाति विकास खण्ड के पशुओं पर व्यय किया जावेगा ।

(ग) ए0बी0 तथा सी श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में अतिरिक्त दवाओं एवं साज-सज्जा की व्यवस्था :- वर्ष 87-88 में 5 हजार रुपये ए" श्रेणी ;2 ह0 बी श्रेणी तथा 1 हजार सी" श्रेणी के पशु चिकित्सालयों की दर से प्रतिवर्ष अतिरिक्त दवाई एवं साज-सज्जा की व्यवस्था पर 40 हजार रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है जिससे जनपद के एक लाख पशुओं की चिकित्सा की जावेगी ।

5-2- पशु विकास योजना

(क) पशुपालन क्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु सांडों के उत्पादन की योजना:-

क-1:- सांडों का क्रय-विक्रय एवं वितरण:- जनपद में वर्तमान में 51 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र कार्यरत हैं । इन केन्द्रों के वृद्ध ,मृत्य एवं अनुपयोगी सांडों के स्थान पर प्रतिवर्ष नये सांडों के रखने का प्राविधान है । वर्ष 87-88 में 8 गाय सांड तथा 3 भैंसा सांड क्रमश: 2000 व 3000 रुपये की दर से कुल 40 हजार रुपये खर्च करने का प्राविधान है । वर्तमान में 39 केन्द्र मानदेय पद्धति पर एवं 9 केन्द्र सांड परिचर के पदों की व्यवस्था पर कार्यरत हैं । वर्ष 87-88 में 493 हजार रुपये का प्राविधान है । जिसमें कर्मचारियों के वेतन ,भत्ते ,भवन किराया , कार्यालय व्यय मानदेय अनुरक्षण तथा आहार पर व्यय किया जायेगा ।

क-2:- पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढीकरण:- वर्ष 87-88 में मोटर सड़क के केन्द्रों में यह योजना विस्तृत रूप से चलाई जावेगी । जिसके लिए 100 हजार रुपये व्यय का अनुमान है । इस धनराशि का 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान पर व्यय किया जावेगा ।

5-3- कुक्कुट विकास योजना:-

(क) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्टीय बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुक्कुट उत्पादन की योजना:- चालू वर्ष में यह

——7

::7::

योजना विकास खण्ड प्रतापनगर एवं जखोली में चलायी जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण तथा पालने हेतु प्रत्येक पालक को 20 पक्षी दिए जाते हैं तथा विकास खण्ड में 20 कुक्कुट पालकों का चयन किया जाता है । वर्ष 87-88 में इस योजना पर 4 हजार रूपया व्यय करने का प्रस्ताव है ।

(ख) नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण:-

इस योजना के अन्तर्गत थौलधार ब्लाक के ग्राम में अनावासीय भवनों का निर्माण किया जा चुका है । वर्ष 86-87 में 200 हजार रूपये परिव्यय स्वीकृत था तथा वर्ष 1987-88 में इसका अनुमानित व्यय 500 हजार रूपये का प्रस्तावित है जिसमें कर्मचारियों के वेतन, भत्ते पर 32 हजार, 500 पक्षियों का आहार पर 100 हजार, उपकरण आदि पर व्यय 68 हजार तथा आवासीय भवनों का निर्माण पर 300 हजार रूपया व्यय होगा ।

5-4- भेड़ तथा ऊन विकास:-

(क) भेड़ों को परजीवी कीटाणुओं से बचाने के लिए सामूहिक रूप से दवा पिलाना:-

2 रूपया प्रति भेड़ की दर से 35 हजार भेड़ों को सुरक्षात्मक एवं उपचारात्मक दवाई पिलाई जावेगी जिस पर वर्ष 87-88 में 70 हजार रूपया व्यय करने का प्राविधान है । इसमें से 20-00 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति विकास खण्डों में भेड़ पालकों पर व्यय किया जावेगा ।

5-5- अन्य पशुधन विकास:-

(क) पर्वतीय क्षेत्र में अंगोरा शशक प्रक्षेत्र की स्थापना:- इसकी स्थापना थौलधार में की जा रही है । अनावासीय भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया है । तथा आवासीय भवन निर्माणाधीन हैं वर्ष 87-88 में प्रक्षेत्र की स्थापना पर 300 हजार रूपया व्यय किये जाने का प्राविधान है जिसमें से कर्मचारी के वेतन-भत्ते आदि पर 50 हजार तथा दाना चारा, साज-सज्जा आदि पर व्यय 250 हजार रूपया होगा

(ख) पशुधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसार की योजना:- इस के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन, पुरूष्कार वितरण सांड उत्पादन एवं प्रसार के साधन, कैमरा की स्लाइड, शील, स्टाल आदि पर वर्ष 87-88 में 10 हजार के व्यय का प्रस्ताव है ।

(ग) हांडा परिसम्पत्तियों का पशुपालन विभाग को हस्तान्तरण:- इस योजना के के अन्तर्गत एक जीप चालक एवं जीप के पेट्रोल आदि तथा अनुरक्षण पर 25 हजार रूपये व्यय का प्रस्ताव वर्ष 87-88 हेतु प्रस्तावित है ।

5-6- चारा एवं पोषण विकास:-

(क) चारा नर्सरी का सुदृढीकरण:- इस योजना के अन्तर्गत भेड़ प्रक्षेत्र खलियान वांगर

---8

::8::

की भूमि पर घेरवाड़ आदि पर वर्ष 87-88 में बीज बुआई, निराई-गुडाई आदि पर व्यय 50 हजार रूपये का प्रस्ताव है ।

6- नई योजना:-

6-1-पशु चिकित्सा एंव स्वास्थ्य के सुधार एंव विस्तार योजना :-

(क) पशु चिकित्सालयों की स्थापना:- जनपद में पशुओं की समुचित चिकित्सा की सुविधा के लिए वर्ष 87-88 में ~~मोबाइल~~ भरोस्थाई व कमान्द केन्द्रों की स्थापना पर 343 हजार रूपये व्यय किये जाने का प्राविधान है । जिसमें कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय तथा साज-सज्जा सम्मिलित हैं ।

(ख) पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना:- जनपद के सुदूरवर्ती पशुओं की समुचित चिकित्सा हेतु वर्ष 87-88 में चोटी एंव राणाधार विकास खण्ड जखोली में पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना पर 156 हजार रुपया व्यय का प्राविधान प्रस्तावित है । जिसमें कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर 80 हजार कार्यालय व्यय भवन किराया 30 हजार तथा फर्नीचर साज-सज्जा -दवाई आदि पर 46 हजार व्यय किया जावेगा । इनमें से 20•20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट तथा ट्राइबल योजना पर व्यय किया जावेगा ।

6-2- पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण :- वर्ष 86-87 में पशु चिकित्सालयों एंव पशु सेवा केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु 100 हजार रूपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ था जो बहुत न्यून है जनपद में तपोवन, बडोलिया एंव नई टिहरी में पशु चिकित्सालयों में आवासीय एंव अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 135 हजार रुपये का प्राविधान रखा गया है। टिहरी पशुचिकित्सालय के भवन निर्माण का अवशेष 500 हजार की धनराशि की माँग अगले वर्ष की जावेगी

6-3- पशु सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण:- इस योजना के अन्तर्गत पशु सेवा केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 87-88 में 450 हजार रूपये व्यय करने का प्रस्ताव है ।

7- पशु विकास:-

7-1- प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना:-

(क) नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना तथा साँडपरिचर का प्राविधान:-

पशुओं का अधिक प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 87-88 में प्रतापनगर व जौनपुर के ग्राम श्री खोली व ललोंटना में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र खोलने हेतु 98 हजार रूपये का प्राविधान है ।

(ख) राज्य में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना:- जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों पर अतिहिमीकृत वीर्य से पशुओं में प्रत्याविजन किया जाने का=प्र=

—9

प्रस्ताव है। जिस पर वर्ष 1987-88 में 100 हजार रुपये व्यय का प्रस्ताव है।

(ग) स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत स्थापित नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र पशुपालन विभाग को हस्तान्तरित की योजना एवं परिव्यय का प्राविधान:-

पर्वतीय क्षेत्र में विकास एजेन्सी (हाडा) द्वारा इस जनपद में मुन्स्यारी देवल, पैंतवाणी, नैनताल में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान में हाडा विभाग समाप्त होने के कारण उक्त केन्द्रों को अन्य विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है। इस योजना हेतु वर्ष 1987-88 में 46 हजार रुपये व्यय करने का प्राविधान है। उक्त में से 15 हजार रुपया जनजाति विकास कार्यों की योजनाओं पर व्यय किया जायेगा।

8- भेड़ एवं ऊन विकास योजना:-

8-1 पर्वतीय क्षेत्र में नये भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना:-

इस योजना के अन्तर्गत स्थान लोअर सकलाना विकास खण्ड जौनपुर में एक भेड़ एवं ऊन विकास केन्द्र 1986-87 में खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष-1987-88 में इसे चालू रखने के लिये 44 हजार रुपये का प्रस्ताव है।

8-2- भेड़ प्रवर्जन मार्गों पर बहुद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना:-

इस योजना के अन्तर्गत भेड़ पालकों को भेड़ों के ग्रीष्मकालीन / शीतकालीन चरान, प्रवास के मार्गों में अस्थायी शेड निर्माण एवं भेड़ों में सुरक्षात्मक टीके लगाये जाने की व्यवस्था की जायेगी। वर्ष 1987-88 हेतु 20 हजार रुपये के व्यय का प्राविधान रखा गया है।

9- चारा एवं पोषण विकास:-

9-1 पशु चारा विकास के लिये नर्सरी का निर्माण:-

इस योजना के अन्तर्गत नैनबाग नर्सरी बनाने हेतु भूमि की घेरबाड़/ भूमि के समतल करने व एक नाली रखने का प्राविधान है। वर्ष 1987-88 में 48 हजार रुपये के व्यय का प्रस्ताव है।

6- मत्स्य पालन :-

6.0 टिहरी जनपद में वर्तमान में मत्स्य पालन कार्यक्रम नगण्य है, जिसका मुख्य कारण जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जनपद में प्रदेश के अन्य जनपदों की भाँति ग्रामीण अंचलों में तालाबों के रूप में मत्स्य पालन हेतु जलक्षेत्र की कमी है ।

6.1 :- तालाबों में मत्स्य पालन:- जनपद में उपलब्ध समस्त जलक्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है जिसके अनुसार जनपद के दस विकास खण्डों में मात्र 0.384 हैक्टर्स जलक्षेत्र की जानकारी मिली, जिसमें से भी अधिकांश मत्स्य पालन हेतु उपयोगी नहीं है । अतः नदी के किनारे की कृषि भूमि पर पक्के तालाब बनवाकर मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराने के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं है ।

6.2 :- नदियों में मत्स्य पालन:- पक्के तालाबों के अतिरिक्त जनपद में नदियों के रूप में बहुलता से उपलब्ध जलक्षेत्र में मत्स्य पालन कार्यक्रम सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है । अतः उनमें मत्स्य बीज संचय द्वारा मछलियों की पुनः स्थापना की जा सकती है । नदियों में मत्स्य बीज संचय हेतु पर्याप्त मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से टिहरी जनपद में उपयुक्त स्थान पर एक हेचरी का निर्माण नितांत आवश्यक है ।

उपरोक्त पृष्ट भूमि में टिहरी जनपद में मत्स्य पालन सम्बन्धी निम्नलिखित तीन योजनायें प्रस्तावित हैं :-

1 :- पर्वतीय क्षेत्र में ठंडे पानी की मछलियों का विकास ।

2 :- मत्स्य बीज उत्पादन हेचरी का निर्माण ।

3 :- पर्यटन केन्द्रों की स्थापना ।

1 :-पर्वतीय क्षेत्र में ठंडे पानी की मछलियों का विकास एवं पर्यटन केन्द्रों की स्थापना :- इस योजना के अन्तर्गत निजि क्षेत्र में मत्स्य विकास हेतु वित्तीय वर्ष 1987-88 में 4×10×2 वर्ग मीटर के 80 पक्के तालब बनवाने का प्रस्ताव है, जिन पर प्रत्येक तालब रू0 0.25 लाख की दर से रू0 20.00 का पूजीगत परिव्यय होने की संभावना है । यह तालाब निजि भूस्वामियों की कृषि योग्य नदी के किनारे की भूमि पर शत प्रतिशत शासकीय परिव्यय से बनवाए जाएगें तथा निर्माण उपरान्त उन्हें सम्बन्धित भू स्वामियों को ही मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिन्हें उनमें मत्स्य पालन हेतु निवेशों (इन पुटस) सम्बन्धी व्यय स्वयं करना होगा । यदि भूस्वामी तालाब में मत्स्या पालन स्वयं न करना चाहे तब तालब अन्य इच्छुक मत्स्य पालक को पटटे पर दिया जा सकता है । पटटे की वार्षिक दर, सम्बन्धित कृषि भूमि के औसत कृषि उत्पादन के मूल्यानुसार निर्धारित की जा सकती है ।

योजनान्तर्गत निर्मित प्रत्येक तालब से, उसमें मत्स्य बीज संचय के उपरांत प्रतिवर्ष औसतन रू0 2760=00 की शुद्ध आय सम्भावित है, इस प्रकार इन 80 तालाबों का निर्माण पूरा होने के बाद प्रतिवर्ष 28000 किलोग्राम मछली का उत्पादन होगा । जिसमें 2,80,000=00रू0 की आय क्षेत्र के मत्स्य पालकों को होगी । एवं प्रत्येक वर्ष केवल रू0 59200=00मत्स्य पालकों को व्यय करना होगा ।

अतः मत्स्य पालकों को 590200 रू0 का व्यय करने के बाद ... 2,20,800=00 ... आय प्रतिवर्ष प्राप्त होती रहेगी । उक्त योजना केवल नदी के ... संचालित की जायेगी जहाँ पर नदी के बहाव से ... पुनः नदी में डाल दिया जावेगा । इस योजना का निम्नानुसार बहु-उद्देश्यीय लाभ होगा ।

1:- टैंकों में उपलब्ध अतिरिक्त जल से सिंचाई कार्य ।

2- वेस्ट लैन्ड बनीकरण के अन्तर्गत फलदार वृक्षों का लगाया जाना ।

योजना के सफल संचालन हेतु विभागीय कर्मचारियों एवं उपकरणों की व्यवस्था पर निम्नानुसार रू0 4•35 लाख का व्यय सम्भावित है :-

1:- कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते:-		रू0 3•10
{क} ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक	{1}	
{ख} मत्स्य निरीक्षक	{2}	
{ग} मत्स्य विकास कार्यकर्ता	{2}	
{घ} मछुवा	{8}	
2:- उपकरणों की व्यवस्था -		रू0 1•25
		रू0 4•35 लाख

2:- मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी का निर्माण :-

नदियों में मछलियों की पुनः स्थापना एवं पक्के तालाबों आदि में मत्स्य बीज के संचय हेतु आवश्यक मत्स्य बीज की पूर्ति/ उत्पादन हेतु अलकनन्द नदी के श्रीनगर के सामने वाले किनारे पर श्रीनगर विश्वविद्यालय के चौरास कृषि फार्म के समीप ग्राम मढी पटटी विकास खण्ड कीर्तिनगर, तहसील देवप्रयाग मे उपलब्ध लगभग 10•0 हेक्टर्स भू-स्थल पर हैचरी के निर्माण का प्रस्ताव है। जहाँ मिरर कार्प, महासीर, असेला एवं मेजर कार्प आदि प्रजातियोंकी मछलियों के बीज {अंगुलिका} के उत्पादन की व्यवस्था होगी ।

प्रस्तावित मत्स्य प्रक्षेत्र पर लगभग 5 हैक्टर जलक्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य किया जायेगा । जिनका विवरण निम्न प्रकार है ।

1:-मेजर कार्प:-नियंत्रित दशा में मेजर कार्प से 60 लाख जीरा का उत्पादन किया जायेगा जिनसे सम्भावित 30 प्रतिशत की दर से 18 लाख अंगुलिका उत्पादित होगी ।

जिसे क्षेत्र के तालाबों/जलाशयों में संचय के लिए उपयोग किया जायेगा इन अंगुलिकाओं से वर्तमान दरों से रू0 0•90 लाख प्रति वर्ष की आय होगी

2:- सिलवर कार्प :- नियन्त्रित परिस्थितियों में सिलवर कार्प का उत्प्रेरित प्रजनन कराया जायेगा जिसमें आरम्भ के वर्षों में बाहर से लाकर बीडर्स का संचय कर, उत्प्रेरित प्रजनन कराया जायेगा । इसमें एक किलोग्राम की मछली से लगभग 30000 अन्डे प्राप्त होंगे जिससे लगभग 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक निशेचित अन्डे प्राप्त होंगे । इन अन्डों से लगभग 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत प्रगई प्राप्त की जा सकती है तथा उत्पादित बीज को तालाबों में संचय किया जायेगा ।

3:- महाशीर:- इस जाति की मछली का भी प्रजनन अभी प्रयोगात्मक स्थिति में ही है इस प्रजाति की मछलियों का प्रजनन कराकर पहाड़ी नदियों में संचय किया जायेगा ,ताकि महाशीर मछली की इन नदियों में घटी हुई आबादी की पुनः स्थापना हो सके । आखेट की दृष्टि से यह मछली पर्यटकों को अधिक आकर्षित करने में सहायक होगी ।इसी वजह से इसे इन्डियन टाउट कहते हैं ।

4:- अरेला या शाइजोथोरेक्स:- इस जाति की मछली का भी प्रजनन अभी प्रयोगात्मक स्थिति में ही है फिर भी इस प्रजाति की मछलियों का प्रजनन कराकर पहाड़ी नदियों में संचय किया जायेगा ।इस जाति की मछलियां जो कि स्थानीय नदियों में अन्डे देती हैं उन अन्डों को भी एकत्रित कर,प्रक्षेत्र में जीरा का उत्पादन कराया जायेगा तथा उस जीरे को पुनः क्षेत्र की नदियों में संचित किया जायेगा । क्यों कि प्राकृतिक वातावरण में अन्डे से मत्स्य बीज बहुत कम प्रतिशत में जीवित रह पाता है । इस प्रकार प्रक्षेत्र की नियन्त्रित प्रस्थितियों में इनका उत्पादन अधिक मात्रा में कराया जा सकेगा । इससे स्थानीय नदियों में इस प्रजाति की मछलियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है ।

हैचरी से उत्पादित बीज को पक्के तालाबों में संचयन, नदियों में मछलियों की पुनःस्थापना हेतु बीज की पूर्ति के अतिरिक्त जनपद में निर्माणधीन बांधों में संचय हेतु उपभोग किया जाएगा । हैचरी के निर्माण पर लगभग रू0 44.00 लाख के परिव्यय की सम्भावना है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 1987-88 में रू0 12.50 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है । योजना के सफल संचालन हेतु कर्मचारियों /उपकरणों की व्यवस्था सम्बन्धी व्यय हैचरी निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आगामी वर्षों में प्रस्तावित किया जाएगा ।

3:- पर्यटन केन्द्रों की स्थापना :-

टिहरी जनपद में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु "एगलर्स हट" जिसके अन्तर्गत आवासीय एवं एंगालिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । प्रत्येक एंगलर्स हट के निर्माण ,एंगलिंग उपकरणों की व्यवस्था एवं कर्मचारियों की व्यवस्था आदि पर लगभग रू 3.00 लाख के परिव्यय की संभावना है । वित्तीय वर्ष 1987-88 में दो एंगलर्स हटों के निर्माण पर कुल रू0 6.00 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव है ।एंगलर्स हट पर नियुक्त स्टाफ नदी के क्षेत्र में संरक्षण की दृष्टि से लाइनमाइटिंग आदि की रोकथाम हेतु चौकसी का कार्य भी भी करेगा ।

जिला योजना 1987-88 में उक्त योजनाओं पर कुल रू0 42.85 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 3697
Date 22/4/87

35

6-3- जनपद में मत्स्य प्रक्षेत्र एवं आवासीय गृह निर्माण:- जनपद के पिछड़े क्षेत्र विकास खण्ड जौनपुर में सकलाना पट्टी सल्यों के पास मत्स्य प्रक्षेत्र निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है । वर्ष 87-88 के अन्त में इस प्रक्षेत्र से लगभग 1.00 लाख मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । जिसमें 20,000 मत्स्य बीज निजी क्षेत्र में वितरण तथा 80,000 मत्स्य बीज विकास खण्ड जौनपुर की हेमल नदी तथा विकास खण्ड चम्बा एवं नरेन्द्रनगर में संचय किया जायेगा । मत्स्य पालकों को 10 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जायेगा जिस पर 20 रू० प्रति प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव है । उपरोक्त योजना पर वर्ष 87-88 में मत्स्य विकास एवं पर्यटन केन्द्र की स्थापना पर 3232 हजार तथा मत्स्य प्रक्षेत्र स्थापना पर 1053 हजार व्यय होने का अनुमान प्रस्तावित है ।

::7- वानिकी::

7-1- सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे पथ वृक्षारोपण योजना:-

वर्ष 87-88 में 4735 हजार रूपया वनीकरण हेतु प्रस्तावित है । इस योजना के अन्तर्गत सा०नि०वि० की सड़कों के किनारे छायादार एवं शोभादार वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाता है । वर्ष 1987-88 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 70 रो०कि०मी० के लक्ष्य के सापेक्ष ~~5750~~ 550 हजार रू० की धनराशि प्रस्तावित है ।

7-2- ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजाति की वृक्षारोपण योजना:- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के लिए० 1050 हे० में वृक्षारोपण तथा 1050हे० में अग्रिम भूमि कार्य का लक्ष्य रखा गया है । उक्त लक्ष्यों के परिव्यय हेतु ~~2720~~ 2720 ह०रू० की धनराशि प्रस्तावित की गई है । यह धनराशि केवल राज्य अंश है । तत्तुल्य धनराशि केन्द्रीय अंश होगी ।

7-3- वन संचार साधन:- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के लिए 132 कि०मी० मार्गों का निर्माण व अनुरक्षण तथा 5 पुलों का जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा गया है । जिसके लिए ~~5155~~ 255 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-4- भवन निर्माण योजना:- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में वर्ष 1986-8 के 7 भवनों का समापन तथा एक भवन आपूर्ण निर्माण किया जायेगा । जिस पर 4,50 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है । भवनों का विवरण वांछित प्रारूप संलग्न है ।

7-5- वन चेतना केन्द्र की स्थापना:- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में 2 वन चेतना केन्द्रों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है । जिस पर ~~2,60~~ 260 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

कृषि विपणन

कृषि विपणन निदेशालय उ०प्र० लखनऊ द्वारा जनपद टिहरी में कूल हाउस के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है, परन्तु जनपद में कोई भी कृषि उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं होता है जिसे भण्डारित किया जा सके। अतः जनपद में कृषि उत्पादन के लिये कूल हाउस की आवश्यकता नहीं है। जनपद में अधिक उत्पादन फलों का होता है, जिसके भण्डारण हेतु उद्यान एवं फलोपयोग विभाग द्वारा यथेष्ठ व्यवस्था की गयी है ।

::-9- एकीकृत ग्राम्य विकास योजना::

9-1- एकीकृत ग्राम्य विकास योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक, कृषक मजदूर, ग्रामीण दस्तकारों को आर्थिक उपार्जन के कार्यक्रम हेतु ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराना है । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना वर्ष 1979-80 से आंशिक रूप से प्रारम्भ हुई है, जिसका पूर्ण रूप से विस्तार 2 अक्टूबर 1980 से किया गया । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन परिवारों को कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं लघु उद्योगों/ व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है ।

9-2- वर्ष 1985-86 तक विकास खण्डों की संख्या को देख कर समान रूप से परिव्यय का निर्धारण होता रहा है । वर्ष 86-87 में जिला योजना के अन्तर्गत 5653·5 हजार रूपये (50% राज्यांश) तथा एकीकृत ग्राम्य विकास (अतिरिक्त राज्य) 2212·0 हजार रूपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । वर्ष 1986-87 की भांति ही वर्ष 1987-88 हेतु परिव्यय (राज्यांश) एवं भौतिक लक्ष्य का विवरण निम्न प्रकार है ।

मद	वर्ष 87-88 हेतु परिव्यय (हजार रूपये)	योजना का नाम	इकाई	लक्ष्य
एकीकृत ग्राम्य विकास (50% राज्यांश)	5653·5	(क) पुराने लाभार्थी		
		1-कुल लाभार्थी	संख्या	4500
		2-अनु०जाति के लाभार्थी	,,	1350
एकीकृत ग्राम्य विकास	2212·0	3-महिला लाभार्थी	,,	1350
		(ख) नये लाभार्थी		
		1-कुल लाभार्थी	,,	2300
		2-अनु०जाति के लाभार्थी	,,	690
		3-महिला लाभार्थी	,,	690

---

x13x

::10-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम::

10-1- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ स्थाई परिसम्पत्तियों निर्माण करना है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से इस योजना का संचालन वर्ष 1982-83 से प्रारम्भ हुआ है । इस योजना के अन्तर्गत इस जनपद में सामाजिक वानिकी ,भूमि संरक्षण कार्य, सिंचाई योजना,आवागमन की सुविधा के कार्य स्कूल भवन एवं पंचायत घरों के निर्माण कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं ।

10-2- जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 हेतु 3316 हजार रुपये का परिव्यय शासन से स्वीकृत है । वर्ष 1987-88 के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग से विस्तृत निर्देश जारी नहीं हुए हैं । अतः गत वर्ष 1986-87 के स्वीकृत परिव्यय में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 1987-88 हेतु 3647·6 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

::-11- सूखोन्मुख कार्यक्रम(डी०पी०ए०पी०)

11-1- सूखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परिस्थितिकीय सन्तुलन (इकोलाजिकल बैलेन्स) को पुर्न स्थापित करना, क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा कमजोर वर्ग लिए अतिरिक्त रोजगार की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है । इसी उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को वर्ष 1985-86 से स्वीकृति दी गई है ।

12-2 भारत सरकार द्वारा गठित इन्टर डिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा इस जनपद के विकास खण्ड कीर्तिनगर ,देवप्रयाग ,चम्बा के लिए जाने की संस्तुति की गई है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से इस योजना का संचालन वर्ष 1985-86 से किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत जनपद में भूमि एवं जल प्रबन्ध सिंचाई श्रोतों का विकास , पशु विकास कार्यक्रम तथा वनीकरण के कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा सम्पन्न कराये जा रहे हैं । वर्ष 1985-86 में 6·00 लाख रूपये प्रति विकास खण्ड की दर से 18·00 लाख रूपये (राज्यांश) की धनराशि शासन से स्वीकृत हुई थी । वर्ष 1986-87 में 7·5 लाख रूपया प्रति विकास खण्ड की दर से 22·5 लाख रूपया (राज्यांश) का परिव्यय स्वीकृत है । अतः वर्ष 1987-88 हेतु भी 7·5 लाख रू० प्रति विकास खण्ड की दर से 22·5 लाख रूपये (राज्यांश) प्रस्तावित है ।

::-12 पंचायत राज::

12-1- पंचायत उद्योगों की तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता:- इसके अन्तर्गत उन पंचायत उद्योगों को अनुदान दिए जाने का प्राविधान है जिनका उत्पादन गत वर्षों के आधार पर 25 हजार,50 हजार के मध्य हो और उद्योग पर व्यवस्थापक नियुक्त रहा हो । जनपद में एक ही पंचायत उद्योग इस परिधि में आता है । उसे सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।

12-2- गांव सभा स्तर पर पंचायत भवन निर्माण:- वर्ष 86-87 में तीन पंचायत घर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । जिसके लिए 75 हजार रूपया अनुदान की व्यवस्था की गई है । वर्ष 87-88 में 10 पंचायत घर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । जिस पर 250 हजार रूपया अनुदान का प्रस्ताव है ।

12-3 पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढीकरण हेतु उनकी आय में वृद्धि के लिए गांव सभाओं को प्रोत्साहन :- इस योजना के अन्दर तीन ग्राम सभाओं को प्रथम को 3 हजार, द्वितीय को 2 हजार ,तृतीय को 1 हजार रूपये पुरूस्कार के रूप में दिए जाते हैं । वर्ष 87-88 के लिए भी गत वर्षों की भांति 6 हजार रूपये व्यय का प्राविधान है ।

12-4 ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिए खड़ंजा तथा नाली निर्माण:-

86-87 में इस योजना हेतु ^ हजार रूपये ... 15 खडंजे

तथा नाली बनाने हेतु स्वीकृत है । वर्ष 87-88 के लिए 250 हजार रूपये का वित्तीय व 30 ग्राम सभा का भौतिक लक्ष्य रखा जा रहा है ।

12-5 पंचायत उद्योग की कार्यशाला का निर्माण:- 86-87 में इस योजना हेतु 50 हजार रू० परिव्यय स्वीकृत किया गया तथा वर्ष 87-88 हेतु 50 हजार रू० का प्राविधान प्रस्तावित है ।

12-6 वर्ष 1987-88 में 556 हजार रूपया का कुल व्यय प्रस्तावित है ।

::13- युवा कल्याण एंव प्रादेशिक विकास दल

13-1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन:- इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष ब्लाक स्तर ,जिला स्तर एंव राज्य स्तर पर खेलकूद एंव सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भेजने की व्यवस्था की जाती है । इन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को मार्ग व्यय ,अल्पाहार व भोजन व पुरूस्कार आदि पर वर्ष 87-88 में व्यय करने हेतु 40 हजार रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

13-2 स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण:- इस योजना के अन्तर्गत स्वयं सेवकों को वर्दी देकर प्रशिक्षण दिया जाता है और पुनः प्रशिक्षण कराया जाता है तथा मानदेय भी दिया जाता है । इस योजना हेतु वर्ष 87-88 में 110 हजार रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

13-3 युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन:- इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर गठित युवक/महिला मंगल दलों को 1000 प्रतिदल की दर से सुदृढीकरण हेतु काम के लिए सामान दिया जाता है । वर्ष 87-88 में इस योजना पर 138 हजार रूपया व्यय करने का प्राविधान प्रस्तावित है ।

13-4 युवा केन्द्र/व्यायाम शालाओं की स्थापना:- युवा वर्ग के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास हेतु एक सभा कक्ष के निर्माण हेतु वर्ष 87-88 की योजना में 210 हजार रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

नई योजना:-

13-5 जनजाति विकास:- पर्वतीय जनपदों में जनजाति विकास की योजना चल रही है । इसमें जनजाति में विशेष रूप से चेतना लाने हेतु वर्दी व प्रशिक्षण प्रदान करायी जावेगी । इस हेतु वर्ष 87-88 में इस मद पर 20 हजार रूपये व्यय करने का प्राविधान प्रस्तावित है ।

13-6 सामाजिक सुरक्षा:- जनपद में लगने वाले मेलों, तीर्थ स्थानों पर स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाई जाती है । इस योजना पर 87-88 में 60 हजार रूपया व्यय करने का प्राविधान है ।

13-7 युवक मंगल दलों का सेमीनार:- युवा वर्ग को युवा कल्याण, कृषि उत्पादन ग्राम्य विकास की योजनाओं की जानकारी कराने के लिए ब्लाक स्तर एवं प्रदेश स्तर पर जिला स्तर पर सेमीनार आयोजित किये जाते हैं । इनमें युवक/महिला मंगल दलों के पदाधिकारी भाग लेते हैं । इस योजना के सम्पादन हेतु वर्ष 87-88 में 13 हजार रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

13-8 कार्यालय साज-सज्जा तथा प्रकीर्ण व्यय जीप, फर्नीचर, स्टेशनरी :- युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के बढते हुए कार्यक्रमों एवं योजनाओं को देखते हुए जिला युवा कल्याण अधिकारी के पास एक जीप का होना नितान्त आवश्यक है । इस योजना के अन्तर्गत जीप के क्रय, स्टेशनरी, फर्नीचर वदेखरेख पर 150 हजार रू० व्यय होने का प्राविधान है ।

13-9 मानदेय ब्लाक कमान्डर:- 10 विकास खण्डों पर नियुक्त 10 ब्लाक ~~कमान्~~कमान्डरों को 75 रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय देने हेतु 9 हजार रू० का प्राविधान रखा गया है ।

13-10- महिला कार्यकर्ताओं को मानदेय:- 10 महिला कार्यकर्ताओं को 300 रू० प्रति माह मानदेय देने हेतु 36 हजार रू० का प्राविधान रखा गया है ।

-16

13-11- 85 हल्का सरदार का मानदेय:- जनपद के 85 हल्का सरदारों को 50 रु० प्रतिमाह मानदेय देने हेतु 51 हजार रुपये का प्राविधान रखा गया है ।

इस प्रकार जनपद की युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल की चालू योजनाओं पर 498 हजार तथा नई योजनाओं पर 339 हजार अर्थात कुल 837 हजार रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

13-12- वर्ष 1987-88 हेतु 498 हजार रु० चालू योजना पर तथा 339 हजार रु० नई योजना पर कुल 837 हजार रु० प्रस्तावित हैं ।

::14- ग्राम्य विकास(सामुदायिक विकास)::

14-1 प्रचार एवं प्रसार:- वर्ष 86-87 में 10 विकास खण्डों एवं मुख्यालय पर प्रचार एवं प्रसार हेतु 15 हजार रुपये का परिव्यय स्वीकृत है । वर्ष 87-88 में व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु 20 हजार रुपये का व्यय प्रस्तावित है ।

14-2 विकास खण्डों के भवनों का निर्माण:- विकास खण्डों के भवनों की कमी तथा मरम्मत एवं विद्युतीकरण हेतु वर्ष 87-88 की योजना में 877 हजार रु० का प्राविधान रखा गया है । विकास खण्ड में कर्मचारियों हेतु निवास स्टोर मरम्मत साज-सज्जा एवं विद्युत व्यवस्था हेतु आवश्यक है । क्योंकि जनपद में अधिक वर्षा के कारण आवासीय एवं अनावासीय भवन काफी क्षति ग्रस्त हो गये हैं ।

14-3 विकास खण्ड देवप्रयाग का कार्यालय भवन पूर्ण तरह क्षति ग्रस्त हो चुका है । दिवालें टूट गई हैं छतें उखाड़ गई हैं । लकड़ी सड़ गई है । निकटवर्ती क्षेत्र में कहीं भी किराये का भवन उपलब्ध न होने से भवन बुरी दशा होने पर भी कार्यालय इसी में चल रहा है । आवासीय भवनों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है । आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने भी नये भवनों के निर्माण की संस्तुति की है ।

14-4 इस प्रकार विकास खण्डवार आवासीय एवं अनावासीय भवनों की मरम्मत, नव निर्माण, साज-सज्जा, फर्नीचर, आदि पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार है ।

विकास खण्ड का नाम	आवासीय भवन		अनावासीय भवन		फर्नीचर क्षेत्र समिति की बैठक हेतु
	मरम्मत	नवीनीकरण	मरम्मत	नवीनीकरण	
1-कीर्तिनगर	1•95	0•15	--	1•50	0•12
2-चम्बा	-	2•00	-	2•38	0•12
3-जखोली	0•40	14•60	-	0•58	0•12
4-जाखणीधार	..	14•53	-	12•50 2•50	0•12
5-जौनपुर	-	2•60	0•25	1•20	0•12
6-थौलधार	0•30	5•22	-	0•10	0•12
7-देवप्रयाग	-	18•50	0•23	4•42	0•12
8-नरेन्द्रनगर	0•20	2•80	-	1•50	0•12
9-प्रतापनगर	1•00	-	1•50	0•12	0•12
10-भिलंगना	0•30	5•20	-	0•48	0•12
कुल योग:-	4•15	65•60	1•98	14[illegible]	1•20
				24•50	

जिला परिषदों को अनुदान

जिला परिषद द्वारा ग्रामीण अंचलों में मुख्यतः कच्ची सड़कों का निर्माण, पुल, रपटा, नाले आदि का निर्माण/मरम्मत/सुधार किया जाता है। इस वर्ष अति वर्षा एवं भूस्खलन से परिषद की कई कि0मी0 सड़कें तथा पुल आदि ग्रस्त हुयी है जो यातायात के लिये अवरुद्ध है। अत: इनको मरम्मत की जानी आवश्यक है ताकि ग्रामीण जनता एवं स्कूली बच्चों को स्कूल, कालेज, हस्पिटल, डाकघर आदि महत्वपूर्ण स्थानों को आने जाने की सुविधा हो सके।

सड़क/पुल का नाम	दूरी (कि0मी0)	अनुमानित व्यय (हजार रुपये)
1	2	3
1- घोंटी -पाजा	20	160
2- फतेहपुर-कुण्डागाल	3.5	28
3- लाटा-राजराजेश्वरी	3	24
4- रतनगढ़ -जाखाल	7.5	60
5- जगोली तल्ली	10	80
6- घाणा-किलेडी	7	56
7- नडियार-देवगाड़ी	7	56
8- तम्लगाँव-कोटालगाँव	11	88
9- तम्लगाँव-पुजोम	24	192
10- टिहरी प्रतापनगर	14	112
11- चम्बा-धार्म घाट	14	112
12- लालूरी-पैण्डगाल	12	96
13- हिण्डोलाखाल-पलेठी	2	18
14- कौडियाला-पण्डेरीगाँव	9.5	76
15- कण्डल घोंटी	11	88
16- झाला-निसखाड	4	32

पुल मरम्मत-

1- भन्दार गाड पुल	-	10
2- कोलीगाड पुल	-	15
3- ठेका मैलपानी गाड पुल		15

संक्षेप में व्यय निम्न प्रकार है:-

1- पैदल मार्ग मरम्मत/सुधार	1278 हजार
2- पुल मरम्मत	40 हजार
योग	1318 हजार

इन सम्पूर्ण योजनाओं से 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग लाभान्वित होंगे।

नई योजनायें

1- दारातोली-ध्यानपारकोट हरिजन बस्ती-चांदी तल्ली मार्ग:- 6 कि0मी0 सड़क के निर्माण हेतु 150 हजार रुपया व्यय किये जाने का प्राविधान है जिसका लाभ 652 अनुसूचित जाति के लोगों को होगा ।

2- भवन (दुकान) निर्माण:- (अ) ग्रामीण बाजार थात्यूड (वि0ख0 जौनपुर)

ब्लाक मुख्यालय एवं भविष्य में इसके विस्तार की सम्भावनाओं को देखते हुये सार्वजनिक हित में यहाँ पर 8 दुकानों के एक भवन निर्माण का प्रस्ताव है जिस पर अनुमानतः 150 हजार रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

(ब) ग्रामीण बाजार कैम्टी में 8 दुकानों का निर्माण:- स्थानीय लोगों की माँग एवं क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुये कैम्टीफाल में 8 टिन सेट की दुकानें बनाने का प्रस्ताव है जिन पर अनुमानतः 70 हजार रुपया व्यय होगे ।

3- ग्रामीण बाजारों में मूत्रालयों का निर्माण:- जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते ग्रामीण बाजारों में 40 मूत्रालयों के निर्माण का प्रस्ताव है जिन पर 200 हजार रु0 व्यय का प्राविधान प्रस्तावित है ।

इस प्रकार नई योजनाओं पर 570 हजार रुपया व्यय होने का अनुमान

13-(ब) विकास खण्डों को अनुदान की योजना:-

विकास खण्डों के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग खड़ंजा, पुलिया, आदि के निर्माण हेतु वर्ष 1987-88 में 1200 हजार रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है। जो गत वर्ष की अपेक्षा 200 हजार ही अधिक है । जिसकी विकास खण्डों को आवश्यकता है

****

/// सहकारिता ///

(क) ऋण एवं अधिकोषण योजना:-

(1) पैक्स के सचिवों को वेतन हेतु कामन कैडर हेतु अनुदान- 97 पैक्स के सचिवों के वेतन के लिये 300-00 रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

(2) निर्बल वर्ग के सदस्यों को अंश क्रय करने हेतु मध्यकालीन ब्याज रहित ऋण 40 सदस्यों के लिये 40 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

(3) जिला सहकारी बैंक शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान नवीनीकरण अनुदान में परिव्यय प्रस्तावित नहीं है क्योंकि वर्ष 1985-86 व 86-87 में इन मदों अनुदान दिया गया है। उपभोग ऋण मद में 200 रुपये परिव्यय स्वीकृत होने पर भी 1986-87 में सहकारी बैंक द्वारा वितरण न किये जाने से इस

887-88 के लिये परिव्यय प्रस्तावित नहीं है । नगरीय सहकारी बैंक न होने से इस मद में परिव्यय प्रस्तावित नहीं है ।

(ख)- क्रय विक्रय एवं भण्डारण योजना:-

1-- सीमान्तीय समितियों को अनुदान:- दो समितियों के लिये प्रबन्धकीय अनुदान के लिये 2080 रु0 परिव्यय और 20 हजार रु0 अंशदान का परिव्यय प्रस्तावित है ।

2-- कृषि क्रय समितियों को पैक्स एजेन्सी के आधार पर उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन 10 समितियों के लिये 150 हजार रुपयें का परिव्यय प्रस्तावित है।

3-- क्रय विक्रय समितियों को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु सीमान्त धन:-जनपद में एक मात्र खाद्यान्न का कार्य करने वाली समिति चम्पावत के लिये 10 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

4-- क्रय विक्रय समितियों द्वारा सीधी खरीद न होने से उतार चढ़ाव अनुदान पर परिव्यय प्रस्तावित नहीं है । सिंचाई व कृषि यन्त्रों की व्यवस्था भी जनपद में न होने से इन मदों में परिव्यय प्रस्तावित नहीं है । जनपद में कोई भी कृषि सेवा समिति नहीं है जिससे खाद्यान्न व्यवसाय हेतु सीमान्त धन का परिव्यय प्रस्तावित नहीं है । सहकारी संघ की आर्थिक स्थिति ठीक होने से इसके उर्वरक व्यवसाय के लिये परिव्यय प्रस्तावित नहीं हैं ।

(ग) उपभोक्ता योजना :-

1- केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार चढाव हेतु अनुदान :-एक भण्डार के लिये 25 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

2-- पैक्स को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्त धन:- 30 समितियों के लिये 300 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

3-- एक उपभोक्ता भण्डार के लिये 5 हजार रुपया सीमान्त धन के लिये प्रस्तावित है ।

4- जिला सहकारी संघ को यातायात अनुदान- दूरस्थ समितियों तक उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रय के लिये पहुंचाने के लिये संघ को अनुदान की व्यवस्था की गई है । जिसमें 20 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्ताविति है ।

(घ) भेषज जड़ी बूटी योजना :-

1-- पैक्स को जड़ी बूटी संग्रह हेतु प्रबन्धकीय अनुदान- 40 समितियों के लिये 200 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

2- पैक्स को जड़ी बूटी संग्रह हेतु अंश पूंजी- 10 समितियों के लिये 50 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है

3- लैम्पस(LAMPS) को जड़ी बूटी संग्रह/ विपणन हेतु प्रबन्धकीय अनुदान:- 10 समितियों के लिए 100 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

4-- लैम्पस को जड़ी बूटी संग्रह/विपणन हेतु अंश पूंजी- 10 समितियों केलिए 150 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

5– जड़ी बूटी एवं भेषक समितियों को आर्थिक सहायता:– ﴾अ﴿ भेषज संघो को प्रबन्धकीय अनुदान– एक संघ को 10 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है । ﴾आ﴿ भेषज संघ की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान– एक संघ के लिये 5 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

﴾इ﴿ भेषज संघों को गोदाम किराया अनुदान– एक संघ के लिये 50 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।
﴾ई﴿ भेषज संघों की शाखाओं को गोदाम किराया अनुदान– एक संघ के लिऐ 25 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

﴾उ﴿ भेषज संघों को यातायात अनुदान– भेषज संघों को यातायात अनुदान– एक संघ के लिये 5 हजार रूपया परिव्यय प्रस्तावित है ।
﴾ऊ﴿ भेषज संघों को अंशपूंजी– इस मद में परिव्यय प्रस्तावित नहीं किया गया है

﴾ऊ-﴿ श्रम योजना:– यद्यपि जनपद में 36 श्रमिक संविदा समितियाँ पंजीकृत है किन्तु उनमें से मात्र पाँच ही समितियाँ कार्यरत हैं । वह अपने उद्देश्यों का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर रही है । अतः इस योजना में वर्ष 1987–88 के लिये परिव्यय प्रस्तावित नहीं है ।

﴾च﴿ विज्ञापन:– परिव्यय प्रस्तावित नहीं है ।

17:- निजी लघु सिंचाई :-

1:- जी0एम0एफ0:-अपेक्षाकृत आसान शर्तों एवं कम व्याज की दर पर देय यह ऋण कृषकों को विकास खण्ड के माध्यम से एक एकड़ भूमि सिंचित करने पर तीन हजार रूपये तथा भूमिधरी हैसियत पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके द्वारा कृषक मुख्यतया गूल एवं हौज का निर्माण अपनी भूमि पर सिंचाई सुविधा हेतु करते हैं

जनपद में ऐसे श्रोत जिन पर गूल/ हौज का निर्माण किया जाता है अधिकांशत: कम हो चुके हैं, जिस कारण ऋण वितरण की संभावनायें प्रति वर्ष कम होती जा रही है । अत: वर्ष 1987-88 हेतु इस मद में 250 हजार रूपयें का परिव्यय प्रस्तावित है ।

2:- अनुदान:- उक्तानुसार प्रदत्त ऋण मद से कृषकों द्वारा एवं वर्षान्तर्गत नियमानुसार कार्य पूर्ण किये जाने पर शासन द्वारा पर्वतीय जनपदों के गूल /हौज पर देय ऋण अथवा वास्तविक व्यय(जो भी कम हो) का 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्राविधान है । यह सुविधा बिना ऋण के निर्मित कृषक तथा गांव सभा के निजी लघु सिंचाई कार्यों हेतु भी देय है ।

वर्ष 1987-88 में अनुदान मद के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में वितरित किये जाने वाले ऋण के सापेक्ष 150 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

3:-छोटे उपकरण/ संयत्र:- इस मद में वर्ष 1986-87 के स्वीकृत परिव्यय के बराबर ही 10 हजार रूपये का परिव्यय वर्ष 87-88 हेतु प्रस्तावित है ।

4-हाईड्रम योजनाओं का सुदृढ़िकरण:- जनपद में वर्तमान में 41 हाईड्रम योजनायें जिन पर 79 मशीनें लगी है विकास खण्ड थौलधार को छोड़कर अन्य 9 विकास खण्डों में विभिन्न ग्रामों में कार्यरत हैं । इन योजनाओं के संचालन एवं रख रखाव हेतु चौकीदार(दैनिक मजदूरी) पर रखे गये है । अत: उक्त योजनाओं के संचालन एवं रख रखाव हेतु व्यय की आवश्यकता होती है । वर्ष 87-88 में इस मद में 375 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

5- हाईड्रम:- पर्वतीय क्षेत्र में हाईड्रम की उपादेयता गत वर्षों में सिद्ध हो चुकी है इस जनपद में हाईड्रम योजनाओं को लगाये जाने की संम्भावनायें अधिक हैं । सहायक अभियन्ता, हाईड्रम स्प्रिंकिलर योजना टिहरी के द्वारा प्राप्त विवरण के अनुसार पांच योजनायें जिन पर 15 मशीनें लगाई जानी है हेतु ~~2500-40~~ 2540 हजार रूपये का परिव्यय संलग्न विवरण के अनुसार प्रस्तावित किया है ।

क्र0सं0	योजना का नाम	मशीन सं0 व साईज	लाभान्वित कृषकों की संख्या	सिंचित होने वाला क्षेत्र (हेक्ट0)	लागत अनु0 87-88 हेतु हजार रू0
1-	जाखे	8x4 तीन नं0	25	30	5 60
2-	मोटणा	8x4 [illegible] नं0	16	19	3.60
3-	बरसीर	8x4 तीन नं0	35	31	5.50
4-	चांजी द्वितीय	6x3 तीन नं0	20	18	3.60
5-	पांजणा	8x4 चार नं0	25	32	7.00
		15 यूनिट			2540.

कुल 33.50 हजार रू0 87-88 के लिए प्रस्तावित है ।

: विद्युत :

जनपद टिहरी-गढ़वाल में विद्युत वितरण खण्ड द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में 130 ग्रामों व 104 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है । जिससे जनपद टिहरी गढ़वाल में सभी 10 विकास खण्डों के ग्रामों व हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा । इस जनपद में विकास खण्ड जौनपुर जो कि जनजाति विकास खण्ड है में विद्युतीकरण के लिए अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा अधिक ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों का लक्ष्य रखा गया है । जिससे इस योजना के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्र की अधिक से अधिक जनता को विद्युत से लाभान्वित किया जा सके ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 104 हरिजन बस्तियों का 87-88 में लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इस योजना के निमित्त कुल वित्तीय खर्च का 20 प्रतिशत हरीजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए लिया गया है ।

क्र0सं0	योजना का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम :-	
	(अ)-ग्रामों का विद्युतीकरण	130
	(ब)- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	104
2-	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान:-	
	(अ) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	104
3-	ट्रायवल सब-प्लान(जौनपुर) विकास खण्ड:-	
	(अ)-ग्रामों का विद्युतीकरण	37
	(ब)- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	36

उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु वर्ष 87-88में विद्युतीकरण की योजना हेतु 22880 हजार रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

क्र0 सं0	विकास खण्ड	विद्युतीकृत ग्राम 31-3-86 तक	विद्युतीकृत ह0व0 31-3-86 तक	87-88 ग्राम	87-88ह0ब0
1	2	3	4	5	6
1-	जौनपुर	115 108	87 98	22	20
2-	चम्बा	102 88	68 62	12	7
3-	थौलधार	99 91	82 70	12	12
4-	भिलंगना	85 80	79 80	12	13
5-	प्रतापनगर	81 78	80 74	12	10
6-	जाखणीधार	70 64	60 46	12	7
7-	जखोली	60 71	80 64	12	8
8-	देवप्रयाग	76 72	53 55	12	10
9-	कीर्तिनगर	69 65	53 45	12	6
10-	नरेन्द्रनगर	89 76	53 57	12	11
	योग:-	886 793	705 644	130	104

18- राज्य लघु सिंचाई

18.1 जनपद टिहरी गढ़वाल का पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है तथा दो खण्ड द्वारा नहरों का निर्माण किया जाता है। सिंचाई खण्ड प्रथम का कार्य क्षेत्र जखोली, कीर्तिनगर, देवप्रयाग, थौलधार एवं प्रतापनगर में पड़ता है तथा सिंचाई खण्ड द्वितीय का कार्यक्षेत्र भिलंगना, जाखनीधार, चम्बा, नरेन्द्रनगर एवं जौनपुर पड़ता है। वर्ष 1987-88 हेतु जनपद टिहरी की सिंचाई विकास योजना हेतु 1.50 करोड़ प्रस्तावित है। इससे 53.10 कि0मी0 नहरों/गूलों का निर्माण कर 525 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा। जनपद टिहरी के अन्तर्गत जौनपुर विकास खण्ड पिछड़ा हुआ ट्राइबल क्षेत्र है। जिला योजना वर्ष 1987-88 में सामान्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लगभग 20 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिंचाई खण्ड द्वितीय के कार्यक्षेत्र में राज्य सेक्टर की खारासोत एवं चौहदा बीधा ढालू तला बाद सुरक्षा योजना प्रस्तावित है। वर्ष 1987-88 में इन योजनाओं पर क्रमशः 2.50 लाख रुपये तथा 25 लाख रुपये परिव्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजनावार विवरण निम्न प्रकार है :-

1- 10.50 कि0मी0 पर्वतीय नहरें:-

वर्ष 1983-84 से कार्य आरम्भ किया गया। इस पर कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1987-88 में इस परियोजना के अन्तर्गत 3 लाख रुपये प्रस्तावित है।

क्र0सं0	योजना का नाम	प्रारम्भ का वर्ष	1987-88 का लक्ष्य			प्रस्तावित परिव्यय (लाख रुपये में)
			लक्ष्य	सिंचन क्षमता (हेक्टेयर)		
1	2	3	4		5	6
	सिंचाई खण्ड प्रथम-					
1-	10.50 कि0मी0 पर्वतीय नहरें	83-84	-	-		3.00
2-	8.00 कि0मी0 पर्वतीय नहरें	83-84	-	-		2.00
3-	8.25 कि0मी0पर्वतीय नहरें	83-84	2	10		2.00
4-	9.00 कि0मी0पर्वतीय नहरें	83-84	3	10		3.50
5-	खुदान कार्य पूर्ण हो चुका है	-	-	5		2.00
6-	पर्वतीय नहरें (5 नहरों में से 4 नहरें पूर्ण हो चुकी है)	-	1.0	5		3.50
-	बौसाड़ी सिंचाई योजना	83-84	-	7		6.00

1	2	3	4	5	6
8-	लछमोली नहर का आधुनिकीकरण	-86	-	-	1·50
9-	रानीहाट नहर का आधुनिकीकरण	-86	-	-	1·50
10-	छाम नहर का आधुनिकीकरण	-86	-	-	1·50
11-	जखुड़ी सेरा डाल सिंचाई (स्वीकृति शीघ्र आशा है)	-	2·60	21	3·00
12-	कीर्तिनगर ब्लाक में 5 पार्कीय नहरें (स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने की आशा है)	-	5	40	10·00
13-	गणापूत सिंचाई (स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने की आशा है)	-	-	2	2·00
	योग:-		13·60	100	41·50

नई योजना- (वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित)

1-	बागवान नहर का आधुनिकीकरण	-	-	20	3·00

योग- नई योजना-

योग-चालू योजना-

कुल योग:-
(नई+चालू योजना)

क्र0सं0	योजना का नाम	कुल लम्बाई कि0मीटर	1987–88 का लक्ष्य		प्रस्तावित परिव्यय रु0लाख में
			लम्बाई	सिंचन क्षमता हे0	
1	2	3	4	5	6
	<u>सिंचाई खण्ड द्वितीय–</u>				
1–	पर्वतीय नहरें	17·0	–	–	–
2–	पर्वतीय नहरें	11·0	–	5	1·0
3–	12 न0 हाईड्रम सिंचाई	–	–	–	–
4–	पर्वतीय नहरें	23			1·0
5–	पर्वतीय नहरें जौनपुर वि॰ ख॰ में–	18·55	–	–	2·0
6–	पर्वतीय नहरें	19·0	–	–	–
7–	पर्वतीय नहरें	15·0	–	–	–
8–	पर्वतीय नहरें	12·0	1·00	10	1·0
9–	पर्वतीय नहरें	13·70	2·06	15	4·0
10–	पर्वतीय नहरें	9·48	1·00	15	2·5
11–	पर्वतीय नहरें	10	3·00	40	9·0
12–	पर्वतीय नहरें	14·70	2·00	50	9·0
13–	पर्वतीय नहरें	9·60	3·00	20	8·0
14–	कोठियाड़ा नहर का आधुनिकीकरण	–	–	10	1·0
15–	जौनपुर ब्लाक में नहरें	13	4·00	30	8·0
16–	नरेन्द्रनगर ब्लाक में पर्वतीय नहरें	13·35	3·0	35	10·00
17–	नरेन्द्रनगर ब्लाक में पर्वतीय नहरें	7·50	2·00	20	7·0
18–	25 मील	40	–	–	–
	योग–चालू–योजना		21·00	250	63·50

=x=x=x=x=x =x=x=x=x =x=x=x =x=x=x=x= =x=x=x=x=x

1– नई योजनाओं की स्वीकृति अनुश्रवण समिति ने नहीं दी है। प्राप्त होते ही प्रेषित कर दी जायेगी ।

: उद्योग :

1- लघु स्तरीय उद्योग :-

1- औद्योगिक सहकारी समितियों (अवस्थीय) का प्रसार :- योजनान्तर्गत कुशल तथा अकुशल कारीगरों एवं उद्यमियों को औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन किया जाता है जिससे कि वह अपने साधनों एवं कौशल का समुचित उपयोग समितियों के माध्यम से संगठित रूप से अधिक उत्पादन एवं बिक्री में कर सके । वर्ष 87-88 में 2 समितियों को अंश पूंजी ऋण 30 हजार, अनुदान 30 हजार तथा प्रबंधकीय सहायता हेतु 7.20 हजार रूपये व्यय का प्राविधान प्रस्तावित है ।

2- जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण (50 प्रोत्साहित) :- योजनान्तर्गत सामान्य जाति के उद्यमियों को उनके उद्योग की लागत का 20 प्रतिशत अथवा रूपये 40 हजार जो कि कम होगा अनुदान होगा । किन्तु अनुसूचित जाति/ जनजाति के उद्यमियों को कुल लागत का 20 प्रतिशत अथवा 60 हजार रूपया जो भी कम हो अतिरिक्त मनी के रूप में दिया जायेगा । इस योजना हेतु वर्ष 87-88 के लिए भौतिक लक्ष्य 10 तथा वित्तीय लक्ष्य 100 हजार रूपये का प्राविधान रखा गया है ।

3- हरिजन एवं कमजोर वर्ग की विशेष औद्योगिकी सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण :- ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन एवं कमजोर वर्ग में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से उक्त योजना के अंतर्गत इस वर्ग की विशेष औद्योगिक सहकारी समितियों को गठित कर उन्हें अंश पूजी ऋण दिया जाता है वर्ष 87-88 में 2 सहकारी समितियों को 36 हजार रूपये ऋण देने का प्राविधान प्रस्तावित है ।

4- एकीकृत मार्जिन मनी ऋण :- योजनान्तर्गत मार्जिन मनी का शासन द्वारा अनुमोदन विकास केन्द्रों में ऐसे उद्यमियों को नवीन लघुस्तरीय एवं लघु उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण दिया जायेगा जिसकी योजना किसी वित्तीय संस्था में अनुमोदित हो तथा वह वित्तीय संस्था उन्हें योजना की लागत का निर्धारित प्रतिशत ऋण देने को तैयार हो । इस योजना के अन्तर्गत 15 उद्यमियों को 600 हजार रूपया मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान प्रस्तावित है ।

5- हस्तकला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता :- योजनान्तर्गत हस्तकला की प्रत्येक सहकारी समिति को वित्तीय सहायता प्रथम वर्ष में 1500रू० प्रबंधकीय अनुदान दिया जाता है तत्पश्चात द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्षों की क्रमशः 75 प्रतिशत, 50 तथा 25 प्रतिशत रह जाता है । वर्ष 87-88 में एक सहकारी समिति को हिस्सा पूंजी ऋण 10 हजार तथा प्रबन्धकीय सहायता हेतु 5.4 हजार रूपया देने का प्राविधान प्रस्तावित है ।

6- कच्चा माल एवं वाणिज्यक क्रिया योजना:- विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित युवकों को अपने शिल्प में रोजगार देने के ध्येय से मजदूरी देकर स्थानीय मांग के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु वाणिज्यक क्रियाओं की व्यवस्था की गई है इस हेतु 30 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 15 हजार रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

7- पापड़ी काष्ट कला केन्द्र की स्थापना:- पापड़ी काष्ट कला, प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना वर्ष 1980-81 में प्रारम्भिक रूप में टिहरी में की गई थी । इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कमजोर वर्ग के युवकों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के साधन सुलभ कराने के उद्देश्य से केन्द्र 82-83 में चम्बा स्थानांतरित कर दिया गया था केन्द्र में प्रश्नगत शिल्प में 10 युवकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है जिस अवधि में उन्हें 100 रूपया मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इस अभिप्राय से 10 व्यक्तियों को [illegible] हेतु 65 हजार रूपये का व्यय किये जाने का प्राविधान प्रस्तावित है ।

8- अनुसूचित जाति/जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगिकरण की योजना का विस्तार:- अनुसूचित जाति/ जनजाति के दस्तकारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत जनपद के जनजातियों के क्षेत्र जौनपुर विकास खण्ड में एक ऊनी कालीन तथा वस्त्र उत्पादन केन्द्र की स्थापना की गई है । इस केन्द्र के दस्तकारों को कच्चामाल तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर वस्तुओं का उत्पादन कराया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु 70 हजार रूपयों का प्राविधान है।

9- उद्यमियों के माध्यम से कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना :- योजना के अनुसार जिन उद्यमियों को प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जाता है वह प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक वस्तुओं तथा कच्चे माल की स्वयं व्यवस्था करता है । वर्ष 87-88 में एक साधारण तथा एक एडवांस कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाने का प्रस्ताव है । इस योजना के लिए वर्ष 87-88 में 199 हजार रूपये व्यय होने का प्राविधान प्रस्तावित है ।

10- जिला प्रदर्शनी तथा सेमिनार:- योजना के अन्तर्गत जनपद तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शनियाँ तथा सेमिनार आयोजित की जाती हैं। जिसमें कला का प्रदर्शन तथा उद्यमियों की कठिनाइयों का समाधान किया जाता है ।इस योजना के लिए वर्ष 87-88 में 3 प्रदर्शनीयां तथा सेमिनारों पर व्यय करने हेतु 25 हजार रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

11- शहरी क्षेत्र के दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता :- वर्ष 85-86 में 126 हजार रूपया इस योजना हेतु शासन से अनुदान आवंटन के लिए स्वीकृत किया गया था । जिसमें से 36 हजार रू० अनुदान नहीं दिया गया तथा वर्ष 86-87 में 75 हजार रूपये का परिव्यय स्वीकृत है ।अत: वर्ष 87-88 में कोई प्राविधान प्रस्तावित नहीं हैं ।

12- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :- जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से 6 दिवसीय व 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 50 व्यक्ति प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम होती है तथा प्रति कार्यक्रम के लिए 2 हजार की धनराशि का प्राविधान है तथा 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 18 हजार रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

नई योजना:-

1- हथकरघा सहकारी समितियों में वित्तीय सहायता अंशपूंजी ऋण:- नई सूती धागा प्रयोग करने वाली सहकारी समितियों के सदस्यों को सौरूपये हिस्सा पर 75 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर ब्याज की दर 13.5 प्रतिशत तथा समय पर अदायगी करने पर 3.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है ऋण की वसूली 10 वार्षिक किस्तों में की जाती है इस योजना के लिए 25 हजार रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

2- आधुनिक साज सज्जा हेतु अनुदान:- योजनांतर्गत बुनकरों को साज सज्जा के आधुनिकीकरण हेतु उनके द्वारा खरीदे गये मशीनों/उपकरणों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जोकि एक हजार प्रतिकरघा दिया जाता है । इस योजना का वित्तीय प्राविधान 10 हजार रूपये का प्रस्तावित है ।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग :-

इस योजना की स्थापना द्वारा चयनित ग्रामीण अंचलों में साधनहीन निर्बल वर्गीय परिवारों को उनको अपने ही घरों में रेशम कीट पालन के साधन उपलब्ध कराकर कृषि के अतिरिक्त परिवार सदस्यों के श्रम द्वारा अतिरिक्त आय का लाभप्रद धंधा उपलब्ध कराना है ।

जनपद में रेशम योजना का कार्य छाम में स्थापित है । वर्ष 87-88 में छाम विकास खण्ड के अन्तर्गत छाम में माडल चौकी एवं सहतूत उद्यान की स्थापना इकाई प्रस्तावित है । इस इकाई की स्थापना पर 94 हजार रूपया का व्यय विकास कार्यों हेतु अनुमानित है ।

रेशम उद्योग की योजनायें निम्नप्रकार हैं :-

1- कालीन बुनाई प्रशिक्षण की योजना :- इस योजना में 25 प्रशिक्षार्थियों को रेशम के कालीन बुनाई के प्रशिक्षण दिया जावेगा । जिस पर 60 हजार रूपया व्यय किया जाना प्राविधान प्रस्तावित है ।

2- रेशम कर्मचारियों व कीटपालकों के प्रशिक्षण की योजना :- इस योजना के अन्तर्गत 30 कर्मचारियों तथा कीटपालकों को प्रशिक्षण देने हेतु 9हजार रूपयें का व्यय प्राविधानित है ।

3-रेशम कीट पालन योजना के अंतर्गत माडल चाकी एवं सहतूत उत्पादन योजना :- इस योजना के अन्तर्गत एक प्रदर्शन कक्ष की स्थापना हेतु 94 हजार रूपये व्यय किए जाने का प्राविधान है ।

:: पर्यटन ::

इस योजना के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल के विभिन्न स्थानों से पर्यटकों/यात्रियों को सुविधा हेतु भवन निर्माण / भवन के अतिरिक्त कक्षों का निर्माण /रेस्ट्रा निर्माण / नवीनीकरण के लिए साज सज्जा आदि के लिए स्थानीय निवासियों को सहायता दी जाती है ।

वर्ष 87-88 के लिए 100 हजार रूपये के व्यय का परिव्यय प्रस्तावित हैं ।

:: शिक्षा ::

(अ) प्राथमिक शिक्षा :-

पृष्ठ भूमि :- संविधान के अनुच्छेद 45 में निर्दिष्ट निदेशक तत्वों की पूर्ति हेतु राज्य की 6-11 एवं 11-14 वयवर्ग के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी है । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक शिक्षा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में रखा गया है । वर्ष 1987-88 में उक्त वयवर्ग के बच्चों की प्रक्षेपित संख्या निम्न प्रकार होगी ।

	6-11 वयवर्ग	11-14 वयवर्ग
1- बालक	46514	20175
2- बालिका	49165	23058
योग :-	95679	43233

वर्तमान में विद्यालयों में पढने वाले 6-11 तथा 11-14 वयवर्ग के बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 69 तथा 51 है । इस प्रतिशत को वर्ष 1987-88 में क्रमशः 75 तथा 60 से उपर ले जाने का लक्ष्य है । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिलायोजना में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य निम्नप्रकार निर्धारित किये गये हैं :-

1- प्रमुख कार्यक्रम :-

1-	भवनहीन प्राईमरी विद्यालयों का भवन निर्माण	25 भवन
2-	जूनियर हाई स्कूलों का भवन निर्माण	11 भवन
3-	नवीन प्राइमरी स्कूलों की स्थापना	35 विद्यालय
4-	जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना	5 विद्यालय

5-(i) वर्ष 87-88 में 320 प्राइमरी तथा 25 जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षण सामग्री तथा साजसज्जा उपलब्ध करानें का लक्ष्य रखा गया है ।

(ii) जनपद में 892 प्राइमरी तथा 123 परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों को मान्क के अनुसार टाट पट्टी उपलब्ध कराई जायेगी ।

2- प्रोत्साहन कार्यक्रम :-

1-	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण	1500 छात्र
2-	बुक बैंक स्थापना	16 बुक बैंक
3-	जूनियर हाई स्कूल छात्रवृत्ति	195 छात्र
4-	निर्बलवर्ग के बच्चों को पोशाक वितरण	1800 छात्र
5-	प्राइमरी विज्ञान किट	72 किट
6-	जूनियर हाई स्कूलों को विज्ञान किट	21 किट
7-	अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार	6 अध्यापक
8-	शिक्षण स्तर सुधार हेतु संकुल निर्माण	194 विद्यालय

जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं और भावी आवश्यकताओं को देखते हुये वर्ष 1987-88 में चालू योजनाओं के लिये 3465 हजार रूपये तथा नवीन योजनाओं के लिए 10804 हजार रूपये कुल 14269 हजार रूपये परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । इस प्रकार कुल परिव्यय का 43 प्रतिशत नवीन विद्यालयों की स्थापना तथा 31 प्रतिशत भवनहीन विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है । संक्षेप में वर्ष 87-88 की प्रस्तावित जिलायोजना 14269 हजार रूपयों की की रखी गई है । योजना हेतु प्रस्तावित परिव्यय का 24.28 प्रतिशत चालू योजनाओं तथा 75.72 प्रतिशत नवीन योजनाओं के लिये किया गया है ।

(ब) माध्यमिक शिक्षा :-

1:- खेल कूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों व युवक कल्याण हेतु योजना :- जनपद एवं मण्डलस्तर पर खेलकूद समारोहों में विद्यालयों में एकत्रित क्रीड़ा शुल्क से अधिक हो जाने के भार को वहन करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत 25 हजार रूपये की धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित है ।

2- :- संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान:जनपद में वर्तमान समय में केवल 2 सहायताप्राप्त पाठशालाऐं हैं । इन संस्कृत पाठशालाओं में काष्टोपकरण, साज सज्जा आदि के क्रय हेतु वर्ष 87-88 की योजना में 5 हजार रूपये के व्यय का प्राविधान प्रस्तावित है ।

3- सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान:- जनपद के सार्वजनिक पुस्तकालयों में काष्टोपकरण, साज सज्जा व पुस्तकों आदि के क्रय हेतु 5 हजार रूपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है । ये पुस्तकालय नगर क्षेत्र में स्थित हैं ।

4-वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना :- वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालय टिहरी के नवीन भवन निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है । टिहरी नगर डूब क्षेत्र में आने के कारण पुस्तकालय नई टिहरी में स्थापित होगा । वर्तमान समय में पुस्तकालय में काष्टोपकरण साज सज्जा की अत्यन्त आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 87-88हेतु 50 हजार रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

(स) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम :-

1- ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में अंशकालिक प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना :-जनपद टिहरी गढ़वाल में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1979-80 में शुरू किया गया। पहले यह कार्यक्रम विकास खण्ड भिलंगना, जखोली, चम्बा एवं जाखणीधार में संचालित किया गया इस समय विकास खण्ड देवप्रयाग एवं कीर्तिनगर में संचालित किया जा रहा है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में केन्द्रीय संसाधनों से संचालित एक 300 केन्द्रों की परियोजना स्वीकृत है। सरकार द्वारा 1990 तक निरक्षरता को दूरकरने का लक्ष्य रखा गया है। 300 केन्द्रों की परियोजना में प्रतिवर्ष 9000 (नौ हजार) व्यक्तियों को ही लाभान्वित किया जाता है। अत: लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम का प्रचार करना आवश्यक है।

वर्ष 87-88 में इस योजना हेतु प्रस्तावित व्यय 1073 हजार रूपया रखा गया है जिसमें प्रशासनिक व्यय 182 हजार, यात्रा भत्ता 27.6 हजार, आवर्त्तक व्यय 20.7 हजार तथा क्षेत्रीय लागत अर्थात अनुदेशों का मानदेय पठन पाठन सामग्री, शिक्षण सामग्री तथा उपकरण एवं अन्य व्यय पर 783 हजार व शिक्षण व्यय एवं प्रशिक्षण व्यय 59.8 हजार सम्मिलित है।

प्राविधिक शिक्षा :-

1- जनपद में एक राजकीय पालीटेक्नीक संस्थान, नरेन्द्रनगर में स्थापित है। इसके भवनों का निर्माण उ० प्र० राज्य निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1987-88 में इसके निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है। साज सज्जा मद में इस संस्था में फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिये 200 हजार रूपया [illegible] है और इलेक्ट्रोनिक्स व इलेक्ट्रिकल पाठ्यक्रमों के लिए 100 हजार रूपया अर्थात (300 हजार) का परिव्यय प्रस्तावित है।

2- संस्थान का छात्रावास 102 छात्रों की सुविधा के लिये निर्माणाधीन है। इसके लिये साज सज्जा एवं वर्तनों के क्रय के लिये 100 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

3- संस्थान काम्पलेक्स में जल सम्पूर्ति सबसे बड़ी समस्या है। संस्थान के लिये जल सम्पूर्ति के लिये 600 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इस मद के लिए धनराशि की उपलब्धता की अति आवश्यकता है। जिससे संस्थान की इस गम्भीर समस्या का निवारण हो सके।

इस प्रकार प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम के लिये 1000 हजार रूपये परिव्यय प्रस्तावित है।

खेलकूद एवं युवा कल्याण :-

वर्ष 1987-88 में खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन केलिये 30 हजार रूपये का परिव्यय और 2 ग्रामीण खेलकूद केन्द्रों के विकास [illegible] 3.2 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

xxxx

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें-

जिला सेक्टर योजनाओं की वर्ष 1987-88 के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी:-

1- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना:-

वर्ष 1987-88 में विकास खण्ड जखोली व नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत एक-एक राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किये जाने के लक्ष्य रखे गये हैं तथा वर्ष 1986-87 की चालू योजना के दो अतिरिक्त प्रा0स्वा0 केन्द्रों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा आकस्मिक व्यय हेतु निम्न लिखित धनराशि प्राविधानित की गयी है:-

1- वेतन तथा भत्ते-	150 हजार
2- यात्रा भत्ता-	24 हजार
3- आकस्मिक व्यय-	126 हजार
कुल योग-	300 हजार

2- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण:-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नन्दगाँव के भवन (स्वीकृत निर्माण कार्य) तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धारकोट के भवन निर्माण हेतु रु0 400 हजार का प्राविधान किया गया है ।

3- उप केन्द्रों का निर्माण:-

5 उप केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु रु0 250 हजार का प्राविधान किया गया है ।

4- राजकीय एलोपैथिक औषधालयों का निर्माण-

तीन राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय पौडीखाल, चौपडियालगाँव, तथा सेन्जवाडी के भवन निर्माण हेतु तथा पूर्व स्वीकृत रा0ए0चिकित्सालय कान्डीखाल-पगरों, कोडी गन्डवाडी, मैनवाग तथा मोरियाणाल के भवन निर्माण हेतु रु0 1000 हजार का प्राविधान किया गया है ।

5- चिकित्सालयों के विशिष्ठ चिकित्सा सुविधा व्यवस्था:-

जिला पुरुष चिकित्सालय में हड्डी अनुभाग, रेडियोलाजी तथा ई0 एन0टी0 अनुभाग एवं पुरुष चिकित्सालय टिहरी में रेडियोलाजी अनुभाग एवं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। चालू योजना एनेस्थिसिया अनुभाग तथा वर्ष की योजना हेतु रु0 150 हजार निम्न मदों में व्यय हेतु रखा गया है:-

1- वेतन तथा अन्य भत्ता	80 हजार
2- साज सज्जा-	70 हजार
कुल योग-	150 हजार

6- चिकित्सालयों में परिवर्तन/परिवर्धन:-

चिकित्सालयों में छोटे निर्माण कार्यों हेतु रु0 40 हजार का प्राविधान किया गया है ।

7- यात्रा मार्गों पर स्वच्छता व्यवस्था में सुधार: व सुलभ शौचालयों का निर्माण

यात्रा मार्गों पर स्वच्छता व्यवस्था हेतु रु0 120 हजार का प्राविधान किया गया है तथा 20 सीट के सुलभ शौचालय हेतु रुपया 305 हजार का प्राविधान किया गया है ।

8- क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी नरेन्द्रनगर के कार्यालय भवन निर्माण तथा जीप एवं टेलीफोन की व्यवस्था:-

रुपये 110 हजार का प्राविधान जीप एवं टेलीफोन की व्यवस्था हेतु प्राविधानित किया गया है ।

9- आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना:-

एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है तथा चालू योजना एवं इस वर्ष की योजना हेतु रु0 80 हजार का प्राविधान किया गया है जो निम्न मदों में व्यय होगा:-

1- वेतन तथा भत्ते	50 हजार
2- यात्रा भत्ता	5 हजार
3- आकस्मिक व्यय	25 हजार
कुल योग	80 हजार

10- स्थान मयाली में (विकास खण्ड जखोली के अन्तर्गत) 25 शैयायुक्त एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना:-

25 शैयायुक्त एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना मयाली में किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिस हेतु रुपये 170 हजार निम्न मदों में व्यय हेतु प्राविधानित किया गया है:-

1- वेतन तथा भत्ते-	65 हजार
2- यात्रा भत्ता	10 हजार
3- आकस्मिक व्यय-	95 हजार
कुल योग-	170 हजार

11- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का प्रोन्नयन:-

मुख्यालय स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय को 25 शैयायुक्त बनाने का तथा वर्तमान स्टेटकालीन रा0आयुर्वेदिक औषधालयों को 4-4 शैया युक्त करने हेतु रु0 190 हजार का प्राविधान निम्न प्रकार मदों में व्यय किया गया है:-

क्रमशः:----

1- वेतन तथा भत्ते-	85 हजार
2- यात्रा भत्ता-	10 हजार
3- साज सज्जा-	95 हजार
कुल योग-	190 हजार

12- गैर सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों को अनुदान:-

दो नि:शुल्क संस्थाओं को अनुदान हेतु रु0 10 हजार का प्राविधान किया गया है ।

13- आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण-

दो आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु व स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु रु0 700 हजार का प्राविधान किया गया है ।

14- होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिये अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था:-

7 कार्यरत होम्योपैथिक औषधालयों के लिये रु0 10 हजार का प्राविधान किया गया है ।

15- होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना:-

एक होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिस हेतु रु0 20 हजार का प्राविधान निम्न मदों में व्यय हेतु रखा गया है:-

1- वेतन तथा भत्ते-	18 हजार
2- आकस्मिक व्यय-	2 हजार
योग-	20 हजार

16- यूनिसेफ सहायता:-

यूनिसेफ सहायता हेतु यूनिसेफवाहन तथा वाहन चालकों के वेतन भत्तों आदि के लिये रु0 20 हजार का प्राविधान किया गया है ।

17- उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण:-

स्वीकृत चालू योजना प्रा0स्वा0केन्द्र जखोली 30 शैयायुक्त भवन निर्माण हेतु तथा वर्ष 1987-88 हेतु लक्ष्य के अनुसार प्रा0स्वा0केन्द्र हिन्डोलाखाल को भी 30 शैया युक्त भवन निर्माण बनाने हेतु रखा 2000 हजार का प्राविधान किया गया है। प्रत्येक के लिये 1000 हजार रखा गया है ।

18- उपचारिका गृहों का विस्तार एवं स्टाफ की व्यवस्था:-

नर्सेज होम नरेन्द्रनगर के लिये कुछ चौकीदार, स्वीपर एवं सिस्टर के एक-एक पद के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। जिस हेतु रूपया 40 हजार का प्रावधान निम्न मदों हेतु रखा गया है:-

1- वेतन तथा भत्ते-	20 हजार
2- साज-सज्जा-	20 हजार
कुलयोग-	40 हजार

19- वर्तमान अस्पतालों में साज-सज्जा तथा अन्य सामग्री(उपकरण आदि):-

वर्तमान ग्रामीण राजकीय अस्पतालों हेतु साज-सज्जा एवं अन्य उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु रू0 100 हजार का प्रावधान किया गया है।

20- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक-एक सी0एच0ओ0 के पद का सृजन तथा उनके वेतन एवं भत्ते:-

9 कम्युनिटी हैल्थ आफिसर के वेतन व भत्ते हेतु रू0 176 हजार का प्रावधान रखा गया है ।

21- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों की बिजली, पानी की व्यवस्था तथा नवीनीकरण एवं विद्युतीकरण:-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों में रू0 100 हजार की प्रावधान योजना का संक्षिप्त स्वरूप निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	परिव्यय	
			चालू योजना	नई योजना
1	2	3	4	5
1-	प्रा0स्वा0केन्द्रों की स्थापना	2	140	160
2-	प्रा0स्वा0केन्द्रों का निर्माण	1	200	200
3-	उप केन्द्रों का निर्माण	5	-	250
4-	प्रा0स्वा0केन्द्रों/उपकेन्द्रों में बिजली पानी की व्यवस्था	-	100	-
5-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(उच्चीकृत प्रा0स्वा0केन्द्र) का निर्माण	-	2000	-
6-	राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय का निर्माण	3	400	600
7-	विशिष्ठ चिकित्सासुविधा के अन्तर्गत हड्डी अनुभाग, ई0एन0टी0 अनुभाग व एनेस्थेसिया अनुभाग की स्थापना व रेडियोलाजी अनुभाग	4	20	130

क्रमशः----

2	3	4	5
8- ग्रामीण चिकित्सालय में स्वच्छता व्यवस्था सुधार	-	40	-
- यात्रा मार्गों पर स्वच्छता व्यवस्था में सुधार व सुलभ शौचालयों का निर्माण	-	120	385
- जिला स्तर पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालय, भवन जीप एवं टैलीफोन की व्यवस्था	-	-	110
- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना	-	-	30
- 25 शैयायुक्त एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय का गढ़वाल में स्थापना	-	-	170
- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को अनुदान	-	-	190
- गैर सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का अनुदान	-	10	-
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण	2	300	400
होम्योपैथिक औषधालयों के लिये अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था	-	10	-
होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना	1	-	20
पुनरीक्षा सहायता	-	20	-
उपचारिका आवास गृह के लिये साज सज्जा तथा स्टाफ	-	-	40
अस्पतालों में साज सज्जा एवं अन्य आवश्यक सामग्री	-	-	100
नये अतिरिक्त प्रा0स्वास्थ्य केन्द्रों में एक-एक पी0एच0ओ0 के पद का सृजन वेतन भत्ता आदि की व्यवस्था हेतु	-	-	176
योग:-			

जल निगम

जनपद टिहरी में 1981 की जनगणना के अनुसार कुल 2029 राजस्व ग्राम हैं। पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त ग्रामों की एक सूची वर्ष 1972 में तथा दूसरी सूची वर्ष 1985 में बनाई गयी है। 31-3-86 तक लाभान्वित ग्रामों (उपलब्धि) निम्न प्रकार से है:-

क्र0सं0	विवरण	कुल ग्राम	मार्च-86 तक लाभान्वित ग्राम	86-87 का लक्ष्य
1	2	3	4	5
1-	1972 के समस्याग्रस्त	830	761	208
2-	1985 के समस्याग्रस्त	779	107	-
	कुल समस्याग्रस्त ग्राम-	1609	868	208
3-	गैर समस्याग्रस्त ग्राम	420	419	1
	महायोग-	2029	1287	209

वर्ष 1986-87 के उपरोक्त लक्ष्य में 169 (एक सौ उनहत्तर) ग्राम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा 39 ग्राम त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं।

आशा है कि वर्ष 1986-87 के लक्ष्य पूर्ण कर लिये जायेंगे, तथा इस वित्तीय वर्ष के अन्त में 533 समस्याग्रस्त ग्राम लाभान्वित किये जाने को शेष रहेंगे। इन सभी ग्रामों को सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्तक लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 1987-88 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 125 ग्रामों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है जिनपर अनुमानित रु0 5 करोड़ से रुपये व्यय प्रस्तावित है।

हरिजन पेयजल

हरिजन पेयजल योजना:- इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष प्रस्तावित 3,00,000 रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष 1986-87 में हो जायेगा। वर्ष 1987-83 हेतु जनता की मांग को देखते हुये 50 डिग्गियों के निर्माण हेतु 10,00,000 रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

आवास स्थल विकास

आवास स्थल विकास:- इस योजना के अन्तर्गत 60 हजार रुपये का प्राविधान वर्ष 1987-83 हेतु प्रस्तावित है चूँकि आवास स्थल आवास का कार्य स्वयं भू-आवंटी भी कर लेते हैं।

निर्बल वर्ग आवास

निर्बल वर्ग आवास:- गत वर्ष मात्र 6 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था जिसका आवंटन विलम्ब से प्राप्त होने के कारण कार्य विलम्ब से निर्मित हो रहे हैं। इस वर्ष विकास खण्डों की आवश्यकता को देखते हुये 240 निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु 7·20 लाख रुपये का परिव्यय वर्ष 1987-88 हेतु प्रस्तावित है।

सूचना विभाग

पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों जहाँ समाचार पत्र एवं पत्रिकायें पहुँचती नहीं हैं। उन क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों- ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वन पंचायत, सूचना केन्द्र पंजीकृत सांस्कृतिक संस्थान आदि स्थानों पर दूर दर्शन द्वारा शासन की नीतियों एवं विकास की गतिविधियों की जानकारी आवश्यक है। अतः वर्ष 1987-38 के लिये 40 टी वी सेटों को स्थापित करने के लिये 120 हजार रुपये का प्राविधान रखा गया है।

शिल्पकार प्रशिक्षण

जनपद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना अन्यत्र से स्थानान्तरित कर 1982 में हुई। प्रारम्भ में 10 व्यवसाय थे जिनमें से बढ़ई और लोहारगिरी को प्रशिक्षणार्थियों के न आने से बन्द कर दिया गया। वर्ष 1984-85 से इसमें रेडियो-टेलीविजन और महिला टेलरिंग-व्यवसाय भी चल रहा है। 1984-86 में मुनि की रेति ब्रांच और 1986-87 में चम्बा ब्रांच खोली गयी है।

टिहरी संस्थान के स्थानान्तरित होकर आने से उपकरण साज सज्जा वाँछित मात्रा में नहीं आये। लम्बी अवधि से उपकरण अनुपयोगी भी हो गये हैं। इनकी पूर्ति के लिये योजना में परिव्यय प्रस्तावित है।

मुनि की रेति संस्थान के लिये कर्मचारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति नहीं मिली है। खोले गये व्यवसायों में से एक व्यवसाय के लिये उपकरण क्रय की स्वीकृति नहीं मिली है। इस योजना में इनकी पूर्ति के लिये परिव्यय प्रस्तावित है।

शासन से वर्ष 1986-87 में एक ब्रांच खोले जाने हेतु प्रस्ताव माँगे गये थे। जनपद से कमियाला स्थान का प्रस्ताव शासन को प्रस्तावित किया गया है। कमियाला जनपद से दूरस्थ ग्रामीण अंचल में है और इसके निकट ऐसी सुविधा नहीं है।

1986-88 में एक पूर्ण स्तरीय औद्योगिकरण प्रशिक्षण संस्थान काण्डीखाल में खोले जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1987-88 में 4154 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

सेवा योजन-

1- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये शिक्षण मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना :-

उद्देश्य- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये छठी योजना के अन्त तक 40 जिलों में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शेष 17 जिलों में उक्त केन्द्रों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है जिसमें से एक केन्द्र थात्यूड़ विकास जौनपुर में प्रस्तावित है।

योजना के लाभ:-

(क)- शासकीय सेवाओं में नियोजन हेतु से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप उनके लिये आरक्षित रिक्त स्थानों की पूर्ति में गत्यावरोध उत्पन्न होता है। इस योजना से उक्त वर्ग के योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सुगमता से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

का) इस योजना के क्रियान्वयन से अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों लिये व्यवसायिक मार्ग निर्देशन, व्यावसायिक जगत से सम्बन्धित सूचनायें, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं से सम्बन्धित सूचनायें एवं साक्षात्कार कला का ज्ञान उपलब्ध होता होगा।

प्रस्तावित केन्द्र में एक वर्ष में छः-छः माह के दो सत्रों में कुल 50 अभ्यार्थियों लाभान्वित किया जायेगा। प्रथम सत्र माह जुलाई-87 से प्रारम्भ किया जायेगा।

शासन द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल को विकास खण्ड जौनपुर को विकास र्ग के लिये जनजाति क्षेत्र इस केन्द्र इस खण्ड के स्थान-थात्यूड़ में खोला जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 1987-88

क्र0	मद	धनराशि हजार रुपये
1	2	3
	स्टाफ का वेतन एवं भत्ते (आठ माह का) (स्टाफ सहायक, सेवा योजन अधिकारी, अनुदेशक तथा चपरासी)।	70 हजार
	भवन किराया - 1500-00 प्रति माह की दर से (आठ माह का)	12 हजार
	टाइप मशीनें (दस मशीनें) 6000 प्रति मशीन की दर से	60 हजार
	लेखन सामग्री, रजिस्टर, रिब्बन, कोयला	10 हजार।
	कुर्सियाँ, स्टूल मेज, बिजली पंखा-5, अलमारी-2 साज सज्जा आदि	18 हजार
	योग	170 हजार

श्रम एवं श्रम कल्याण

जनपद में 150 बन्धुआ श्रमिक 1986-87 में अब तक सत्यापित हुये न्हें वर्ष 1986-87 में ही लाभान्वित कर लिया जायेगा। पुर्नवासित जाने वाले बन्धुआ श्रमिकों में पुनः सत्यापन कराया जा रहा है और सत्यापन के पश्चात इसकी सूचना अलग से भेज दी जायेगी।

हरिजन एवं समाज कल्याण

(क) अनुसूचित जाति का कल्याण:-

इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक (1500 छात्र) के छात्रों के लिये पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य उपकरण हेतु अनावर्तीय सहायता छात्रों के लिये आवरज्ञन्टी ( ) (कास्ट अनुदान (145 छात्र) पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 400 रु० का विशेष पुरस्कार की योजना (17 छात्र) छात्रावास एवं पुस्तकालयों के सुधार एवं विस्तार के लिये 394 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक उत्थान :-

इस योजना के लिये परिवारोंन्मुख कार्यक्रमों द्वारा उनके जीवन स्तर सुधार के लिये 147 परिवार के लिये कृषि/बागवानी एवं कुटीर उद्योग कार्यों में लगाने के लिये 143 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

3- अनुसूचित जाति के परिवारों के लिये गृह निर्माण/सुधार हेतु 26 परिवारों के लिये 77 हजार रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

4- अन्य पिछड़ी जाति:- इस मद में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 200 छात्रों को लाभान्वित करने के लिये 29 हजार रुपये का प्रस्ताव है ।

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के कल्याण के लिये वर्ष 87 के लिये कुल 643 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

जनजाति विकास कार्यक्रम

वर्ष 1987-88 में जनपद में जनजाति क्षेत्र (विकास खण्ड जौनपुर) के व्यक्तियों के कल्याणार्थ 35 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से 10 व्यक्तियों को कुटीर उद्योग में 30 हजार रुपया और 25 व्यक्ति को कृषि एवं बागवानी मद में 25 हजार रुपया अर्थात कुल 55 हजार रुपया परिव्यय प्रस्तावित है ।

समाज कल्याण

समाज कल्याण में वर्ष 1987-88 के लिये कुल 2747 हजार रुपया का परिव्यय प्रस्तावित है ।

1- निर्धन एवं निराश्रित महिलाओं का पुनर्वासन:-

60 निराश्रित महिलाओं जिनकी मासिक आय 75 रुपया मासिक से कम है को सिलाई मशीनें उपलब्ध कराने के लिये 30 हजार परिव्यय प्रस्तावित है

समेकित बाल विकास कार्यक्रम:- ट्राइबल विकास परियोजनाओं के कार्यालय व्यय
ा आगन बाड़ियों के रखरखाव के लिये 602 हजार रुपया परिव्यय प्रस्तावित है।

निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण अनुदान:- 200 रुपया प्रति मास से कम
र्ग की 200 विधवाओं के भरण पोषण के लिये 1800 हजार रुपये का परिव्यय
ावित हुआ है ।

शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांग छात्रों को कक्षा 8 तक छात्रवृत्ति:-

कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 15 रुपया और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों
20 रुपये प्रति माह की दर से 30 अक्षम/विकलांग छात्रों के लिये 6 हजार रुपया
व्यय प्रस्तावित है ।

शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम विकलांग:- अभिभावकों के बच्चों को
तक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति इस कार्यक्रम में 30 बच्चों के लिये 6 हजार रुपये
व्यय प्रस्तावित है ।

शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांग को कृत्रिम अंग । तथा श्रवण यंत्र:-

इस योजना में 5 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिये 3 हजार
व्यय प्रस्तावित है ।

निराश्रित तथा विकलांग व्यक्तियों को भरण पोषण अनुदान:- इस योजना में
ण पोषण अनुदान हेतु 500 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिये 300 हजार
का परिव्यय प्रस्तावित है।

:: सैनिक कल्याण ::

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास को वर्ष 1986-87 की योजना में 848 हजार
का परिव्यय नये टिहरी नगर में सैनिक कल्याण कार्यालय तथा तथा विश्राम गृह
र्माण के लिये शासन से अनुमोदित है। शासन से यह धनराशि आवंटित होने
पुनर्वास निदेशालय टिहरी बाँध परियोजना को हस्तान्तरित कर दी जायेगी ।

भूमि के अभाव में देवप्रयाग तहसील मुख्यालयों पर सैनिक कल्याण के विश्राम
के निर्माण की योजना प्रस्तावित नहीं की जा सकी है। दो तहसीलें (1) टिहरी एवं
प्रतापनगर के मुख्यालय टिहरी नगर में हैं। यह दोनों डूब क्षेत्र में है। इनके लिये भी
ना प्रस्तावित नहीं की जा रही है ।

चम्बा यद्यपि तहसील मुख्यालय नहीं है किन्तु नई टिहरी शहर से जो कि निकट
विष्य में तहसील मुख्यालय होगा, यह स्थान केवल 11 कि0मी0 दूर है। चम्बा के
पद सैनिक श्री गबरसिंह (विक्टोरियाक्रास प्राप्त) की मूर्ति भी स्थापित है जहाँ
प्रत्येक वर्ष निश्चित तिथि को भारतीय सेना की गढवाल राइफल्स उन्हें ससम्मान
ी देती है। अत: अनुश्रवण समिति के माननीय पर्वतीय विकास मंत्री के सुझाव के
ार यहाँ पर वर्ष 1987-88 के लिये 1030 हजार रुपये की एक सैनिक विश्राम गृह
ाण की योजना प्रस्तावित की गयी है। यह स्थान जनपद के बडे बस टर्मिनलों में से
क है तथा इसके चारों ओर के क्षेत्र में काफी सैनिक परिवार भी हैं ।

:: विशेष पुष्टाहार योजना ::

समाज कल्याण विभाग- 0-6 वयवर्ग के बालक/बालिकाओं व धात्री एवं गर्भवती
ाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिये 16 हजार माताओं एवं बच्चों को
ान्वित करने के उद्देश्य से 770 हजार रुपये का व्यय किये जाने हेतु प्राविधान का
ावित है ।

जनपद-टिहरी गढ़वाल

जिला योजना वर्ष 1987-88
योजना व्यय/परिव्यय

जी0एन0-1

क्र0सं0	विभाग	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	कृषि विभाग	1602•40	703•89	2003	584	-	1600•74	584	-	1815	411	-
2-	उद्यान एवं फलोपयोग	7800•00	1678•00	2062	1125	-	2033•00	1279	-	2442	1299	-
3-	लघु सीमान्त कृषकों को सहायता	846•40	1168•70	2809	-	-	2500•00	-	-	2500	-	-
4-	भूमि संरक्षण (कृषि)	11811•83	2468•33	2250	-	-	2250	-	-	5520	-	-
5-	पशुपालन	1526•90	1022•70	1601	165	8	1601•00	165	8	4327	2140	4
6-	मत्स्य	-	-	-	-	-	-	-	-	4285	1250	-
7-	बानिकी	8776•00	2359•00	3764	1048	-	4370•00	1042	-	4735	1420	-
8-	कृषि विपणन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-	आई0 आर0 डी0/ अतिरिक्त आई0आर0डी0	28379•00	7809•50	7865•5	-	-	7865•50	-	-	7865•5	-	-

क्रमशः--------2

क्रमशः---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10-	सुधारोन्मुख कार्यक्रम	-	778·00	2250	-	-	2250·00	-	-	2250	-	-
11-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	8257·50	2260·50	3316	-	-	3316·00	-	-	3647·6	-	-
12-	पंचायतराज	49·40	26·00	243·5	243·5	-	243·50	243·5	-	556	556	250
13-	प्रादेशिक विकास दल	96·00	78·00	169	-	-	169·00	-	-	837	100	-
14-	ग्राम्य विकास (सामुदायिक विकास)											
	(1) प्रचार एवं प्रचार	-	-	15	-	-	15	-	-	20	-	-
	(2) विकास खण्डों के भवन एवं आवासीय भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	8771	8771	-
15-	जिला परिषदों एवं विकास खण्डों को अनुदान-											
	(1) जिला परिषदों को अनुदान	650·00	200·00	300	300	300	300·00	300	300	1888	1888	1468
	(2) विकास खण्डों को अनुदान	5000·00	500·00	1000	1000	-	1000·00	1000	-	1200	1200	-
16-	सहकारिता	704·50	905·00	1049	-	-	1049·00	-	-	1585	-	-
17-	निजी लघु सिंचाई	11810·90	2405·00	1735	720	-	1735·00	720	-	3325	1450	-
18-	राज्य सिंचाई	26622·00	9444·00	12900	11093	-	10770·00	9368	-	15000	12907	-

क्रमशः-----3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19-	विद्युत	43661·00	24136·00	20800	-	20800	20800·00	-	20800	22880	-	22880
20-	उद्योग निदेशालय	3588·94	801·57	1555·60	-	-	815·60	-	-	1252·6	-	-
21-	हथकरघा निदेशालय	199·03	34·12	153	-	-	153·00	-	-	163	-	-
22-	पर्यटन	17·00	46·00	100	-	100	100·00	-	-	100	-	-
23-	शिक्षा (प्राथमिक+ माध्यमिक+ प्रौढ	30107·50	9011·00	13083	8225	13005	13083·00	8225	13005	15427	8585	15342
24-	प्राविधिक शिक्षा	14·70	182·30	3000	3000	-	3000	3000	-	1000	1000	-
25-	खेलकूद एवं युवा कल्याण	321·50	7·50	13·90	-	-	13·20	-	-	33·2	-	-
26-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	4887·10	1847·50	4375	3500	3100	4025	3500	3100	6291	4655	3050
27-	जल निगम	138769·00	38448·00	45000	45000	45000	55000·00	55000	55000	50000	50000	50000
28-	हरिजन पेयजल योजना	2818·00	597·00	800	800	-	800·00	800	-	1000	1000	1000
29-	आवास स्थल विकास	-	60·00	- 60	60	-	60·00	60	-	60	60	60
30-	निर्बल वर्ग आवास	1929·00	1973·00	600	600	-	600·00	600	-	720	720	720

क्रमशः-----4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सूचना एवं जनसम्पर्क	15·00	12·00	45	–	–	45·00	–	–	120	–	–
शिल्पकार प्रशिक्षण	267·50	16·90	2595	2595	–	2595·00	2595	–	4154	4154	–
सेवा योजन	–	–	–	–	–	–	–	–	170	78	–
श्रम कल्याण	3705·00	472·00	497	497	–	497·00	497	–	–	–	–
अनुसूचित जाति तथा अन्यपिछडी जातियों का कल्याण	1176·32	324·00	631	–	–	598·00	–	–	643	–	–
जनजाति विकास कार्यक्रम	882·00	200·00	50	50	–	50·00	50	–	55	55	–
समाज कल्याण	1250·90	1700·00	1657·5	–	–	1657·50	–	–	2747	–	–
सैनिक कल्याण	–	–	848	848	–	848·00	848	–	1030	1030	–
पुष्टाहार शिक्षा तथा समाज कल्याण	729·00	–	765	–	765	765·00	–	765	770	–	770
योग:-	348772·22	113675·51	141961·0	81453·5	83078	148573·04	89876·5	92978	131184·9	104729	95544

जी0एन0-2 की सूची

प्रस्तावित जिला विकेन्द्रित योजना
वर्ष 1987-88

****

जनपद-टिहरी गढ़वाल

::अनुक्रमणिका::

क्रमांक	विभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	कृषि विभाग	1-2
	उद्यान एवं फलोपयोग	3-5
	लघु सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता	6
	भूमि संरक्षण	7
	पशुपालन	8-12
	मत्स्य	13
	वन विभाग	14
	कृषि विपणन	15
	एकीकृत ग्राम्य विकास	16
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	17
	सूखोन्मुख कार्यक्रम	18
	पंचायत राज	19
	प्रादेशिक विकास दल	20
	ग्राम्य विकास(सा0विकास)	21
	जिला परिषदों एवं विकास खण्डों को अनुदान	22
	सहकारिता	23-27
	निजी लघु सिंचाई	28
	राज्य सिंचाई	29
	विद्युत	30
	उद्योग निदेशालय	31-33
21-	हथकरघा निदेशालय	34
22-	पर्यटन	35
23-	शिक्षा	36-40
24-	प्राविधिक शिक्षा	41
25-	खेलकूद एवं युवा कल्याण	42
26-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	43-46
27-	जल निगम	47
28-	हरिजन पेयजल	48
29-	आवास स्थल विकास	49
30-	निर्बल वर्ग आवास	49
31-	सूचना एवं जनसम्पर्क	50
32-	शिल्पकार प्रशिक्षण	51
33-	सेवा योजन	52
34-	श्रम कल्याण	53
35-	अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण	54-55
36-	जनजाति विकास	56
37-	समाज कल्याण	57
38-	सैनिक कल्याण	58
39-	पुष्टाहार(शिक्षा तथा समाज कल्याण)	59

योजना व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

विभाग- कृषि विभाग

सेक्टर- कृषि उत्पादन एवं पर्वतीय योजना

(हजार रुपये में)

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डों में कम्पोजिट उर्वरक प्रदर्शन	79·59	26·16	30	-	-	30	-	-	33	-	-
2-	पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डों में बीज विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों पर राज सहायता	167·30	50·00	58	-	-	58	-	-	64	-	-
3-	दलहनी फसलों की सघन खेती	79·10	21·00	35	-	-	35	-	-	39	-	-
4-	कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण	830·23	251·83	330	-	-	330	-	-	360	-	-
5-	रासायनिक उर्वरकों के परिवहन पर राज सहायता तथा 10 कि0ग्रा0 पैकेटों की व्यवस्था-											
	(अ)- उर्वरक के ग्राम परिवहन हेतु 10 कि0ग्रा0 पैकेट्स की व्यवस्था	60·00	40·00	70	-	-	70	-	-	77	-	-
	(ब)- उर्वरक के परिवहन पर अनुदान की योजना	65·00	220·00	180	-	-	180	-	-	198	-	-

क्रमश:--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6-	सघन कृषि एवं बहुफसली योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन की योजना	-	-	600	-	-	215.10	-	-	220	-	-
7-	गुणात्मक बीजों के उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण की योजना	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(अ)	वर्तमान प्रक्षेत्र के स्थापना एवं सुदृढीकरण की योजना	-	94.90	116	-	-	98.64	-	-	205	90	-
(ब)	नये प्रक्षेत्र की स्थापना की योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	221	221	-
(स)	बीज भाण्डार/भवन निर्माण की योजना	-	-	584	584	-	584	584	-	116	100	-
8-	तिलहन उत्पादन की योजना	96.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग पुरानी योजना:-	1602.40	703.89	2003	584	-	1600.74	584	-	1533	411	-
	नई योजना:-											
9-	पर्वतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-	-
	योग नई योजना:-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-	-
	महायोग पुरानी+नई योजना:-	1602.40	703.89	2003	584	-	1600.74	584	-	1815	411	-

विभाग-उद्यान एवं फलोपयोग, उ0प्र0

जी0एन0-2

हजार रूपये में

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित व्यय			1986-87का अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न इनपटस यथा फल पौध,सब्जी बीज के परिवहन कीट एवं व्याधियों कुरमुला कीट की रोकथाम ,औद्यानिक ऋण एवं संयन्त्रों के वितरण पर राज सहायता											
	1-फल पौध ,सब्जी (बीज) आदि के परिवहन पर राज सहायता	498	120	110	-	-	128	-	-	145	-	-
	2-औद्यानिक फसलों की कीट एवं व्याधियों की रोकथाम हेतु पौध रक्षा कार्यों पर राज सहायता 50% राज्य अंश	195	100	120	-	-	120	-	-	140	-	-
	3-वितरित किये गये दीर्घ कालीन औद्यानिक ऋण के मूलधन पर राज सहायता	155	34	40	-	-	40	-	-	-	-	-
	4- औद्यानिक औजार संयन्त्रों के वितरण पर राज सहायता (50% राज्यांश)	21	5	12	-	-	7	-	-	15	-	-
	5- आलू एवं सब्जी की फसल पर कुरमुला कीट के विरूद्ध उपचार 75% राज्य अंश	188	71	75	-	-	75	-	-	90	-	-
	योग:-	1057	338	357	-	-	370	-	-	390	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2- नवीन उद्यान स्थापना खुम्ब उत्पादन इकाई तथा शीतगृहों की स्थापना हेतु कृषकों को दीर्घकालिक ऋण वितरण												
§1§ दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण §तकावी§ का वितरण §विकास खण्ड जौनपुर सहित	6350	961	1000	1000	–	1100	1100	–	1000	1000	–	
§2§ कूलहाउस की स्थापना	90	90	75	75	–	75	75	–	90	90	–	
§3§ खुम्ब उत्पादन इकाई की स्थापना	31	–	50	50	–	50	50	–	50	50	–	
योग:-	6471	1051	1125	1125	..	1225	1225	–	1140	1140	–	
3- उद्यान एंव पौध रक्षा प्रसार सेवा का विस्तार एंव सुदृढ़ीकरण तथा विकास क्षेत्र स्तर पर औद्यानिकी कार्यक्रमों का समन्वय												
§1§ पर्वतीय क्षेत्र के विकास खण्डों में औद्यानिक कार्यक्रमों का विस्तार एंव समन्वय	–	–	60	–	–	..	–	–	29 ~~471~~	–	–	
§2§ उद्यान एंव पौध रक्षा प्रसार सेवा का सुदृढ़ीकरण	130	193	330	–	–	308	–	–	471	–	–	
योग:-	130	193	390	–	–	308	–	–	500	–	–	
4- आलू विकास को सघन करने की योजना												
§1§ सब्जी बीज एंव आलू बीज संवर्द्धन एंव प्रमाणीकरण की योजना	–	–	60	–	–	–	–	–	95	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	आलू विकास को सघन करने की योजना	117	90	70	-	-	70	-	-	100	-	-
	योग:-	117	90	130	-	-	70	-	-	195	-	-
5-	अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में सघन फल एंव सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन देने की योजना	25	6	60	-	-	60	54	-	65	59	-
6-	सब ट्रापिकल औद्यानिक नर्सरी की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	152	100	-
	योग:-	25	6	60	-	-	60	54	-	217	159	-
	कुल योग:-	7800	1678	2062	1125		2033	1279	-	2442	1299	-

टिप्पणी:- ~~इस योजना को प्रथम अनुदानों के माध्यम से स्वीकृत करने का प्रस्ताव है ।~~

जी0एन0-2

योजनावार व्यय/परिव्यय

(हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग सेक्टर- ग्राम्य विकास-लघु एवं सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	लघु एवं सीमान्त कृषकों को उत्पादन वृद्धि हेतु सहायता योजना											
1-	लघु सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता	846·4	1168·7	2500	-	-	2500	-	-	2500	-	-
2-	उक्त योजना पर लघु सिंचाई एवं भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0आर0डी0पैटर्न पर अतिरिक्त अनुदान	-	-	309	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग:-	846·4	1168·7	2809	-	-	2500	-	-	2500	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम- कृषि विभाग (भूमि संरक्षण)   सेक्टर- कृषि एवं सम्वर्गीय सेक्टर   (हजार रुपये में)

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-86 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	भूमि एवं जल संरक्षण योजना-											
1-	नरेन्द्रनगर	3602·93	856·52	750	-	-	750	-	-	1840	-	-
2-	टिहरी	3392·90	841·81	750	-	-	750	-	-	1840	-	-
3-	कीर्तिनगर	4816·00	770·00	750	-	-	750	-	-	1840	-	-
	योग:-	11811·83	2468·33	2250·	-	-	2250	-	-	5520	-	-

योजना व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2 (हजार रुपये में)

विभाग का नाम- पशुपालन विभाग — सैक्टर- पशुपालन

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1985-86 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय: कुल	1986-87 अनुमोदित परिव्यय: पूँजीगत	1986-87 अनुमोदित परिव्यय: न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय: कुल	1986-87 अनुमानित व्यय: पूँजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय: न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 प्रस्तावित परिव्यय: कुल	1987-88 प्रस्तावित परिव्यय: पूँजीगत	1987-88 प्रस्तावित परिव्यय: न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना-											
1-	**पशुचिकित्सा सेवायें-**											
	1- खुरपका/मुँहपका रोग की रोकथाम की योजना 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित राज्यांश	36	30	15	-	-	15	-	-	15	-	-
	2- ऐन्टीरेबीज वायरस रोग की रोकथाम हेतु ऐन्टीरेबीज वैक्सीन का क्रय	70	25	8	-	-	8	-	-	25	-	-
	3- पशुचिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार विस्तार की योजना "ए" तथा "बी" श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में अतिरिक्त दवाओं एवं साज सज्जा का प्राविधान	55	21	26	-	-	26	-	-	40	-	-
2	**पशु विकास**											
	1- पशुपालन प्रक्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु सांडों के उत्पादन की योजना-											
	(1) सान्डों का क्रय एवं वितरण	75	30	30	30	-	30	30	-	40	40	-

क्र	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(2) प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु सुविधायें (प्रजनन) उपलब्ध कराने की योजना											
	(1) पर्वतीय क्षेत्रों में नैसर्गिक अश्वीय/प्रजनन केन्द्रों की स्थापना तथा साँड परिसर का प्राविधान	933·0	420	484	–	–	484	–	–	493	–	–
	(3) प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान ढाँचे के सुदृढ़ीकरण की योजना											
	(1) पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत कृत्रिम केन्दो का सुदृढ़ीकरण	–	–	40	–	–	40	–	–	100	–	–
	3- कुक्कुट विकास-											
	(1) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम की योजना	72	8	8	–	8	8	–	8	4	–	4
	(2) वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का सुधार एवं विस्तार तथा नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना	–	–	200	–	–	200	–	–	500	300	–
	1-भेड़ तथा ऊन विकास											
	1- भेड़ों को परजीवी कीटाणुओं से बचाने के लिये सामूहिक रूप से दवा पिलाने की योजना	75	90	70	–	–	70	–	–	70	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(2)	पर्वतीय क्षेत्रों में अंगोरा योजना	200	372·7	200	-	-	200	-	-	300	-	-
5-	अन्य पशुधन विकास-											
	पशुधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के प्रसार की योजना-											
(1)	ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु/भेड़ प्रदर्शनी का आयोजन-	5	5	5	-	-	5	-	-	10	-	-
(2)	हाडा परिसम्पत्तियों का पशुपालन विभाग को हस्तान्तरित की योजना	-	21	25	-	-	25	-	-	25	-	-
6-	चारा एवं भोज्य विकास											
(1)	चारा नर्सरी का सुदृढ़ीकरण	-	-	80	-	-	80	-	-	50	-	-
	योग चालू योजना	1526·9	1022·7	1191	30	8	1191	30	8	1672	340	4

क्रमशः--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	नई योजनायें:-											
	1- पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सुधार एवं विस्तार की योजनायें-											
	(क) पशु चिकित्सालयों की स्थापना	-	-	120	-	-	120	-	-	343	-	-
	(ख) पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना -	-	-	70	-	-	70	-	-	156	-	-
	(ग) पशु चिकित्सालयों पर टेलीफोन की व्यवस्था (प्रत्येक विकास खण्ड स्तर के प0चिकि0 में)-	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-
	2- पशु चिकित्सालयों तथा पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण	-	-	100	100	-	100	100	-	1850	1850	-
	3- पशु सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-	450	450	-
	2- पशु विकास-											
	1- प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशुप्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना-											
	(1) पर्वतीय क्षेत्र में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना तथा साँण्ड परिसर का प्राविधान	-	-	40	15	-	40	15	-	98	-	-

क्रमश:----5 पशुपालन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(2) राज्य में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
	(3) स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत स्थापित नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों का पशुपालन विभाग को हस्तान्तरित की योजना एवं साण्ड परिव्यय का प्राविधान	-	-	-	-	-	--	-	-	46	-	-
3-	भेड तथा ऊन विकास-											
	(1) पर्वतीय क्षेत्रों में नये भेड एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना	-	-	30	20	-	30	20	-	44	-	-
	(2) भेडों को परिवर्तन मार्गों पर लाईनेन स्ट्रस बहुदेशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-
4-	चारा एवं पोषण विकास-											
	(1) पशु चारा विकास के लिये नर्सरी का निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
	योग नई योजना:-		-	410	135	-	410	135	-	3185	2300	-
	योग चालू+ नई योजना-	1526·9	1022·7	1601	165	8	1601	165	8	4857	2640	4

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी०एन०-2

ग का नाम - मत्स्य विभाग सेक्टर कृषि एवं सम्बर्गीय सेक्टर (हजार रुपये में)

योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
			कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पर्वतीय क्षेत्र में ठंडे पानी की मछलियों का विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	2435	-	-
मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	1250	-
पर्यटनों केन्द्रों की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-
योग योजना :-	-	-	-	-	-	-	-	-	4285	1250	-

जी०एन०-2

योजनावार व्यय/परिव्यय

विभाग- वन विभाग | सेक्टर-कृषि एवं सम्बर्गीय सेक्टर | (हजार रुपये में)

क्र०सं०	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे पथ वृक्षारोपण	444	393	310	-	-	296	-	-	550	-	-
2-	ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण (राज्य अंश)	6716	1208	2125	-	-	2972	-	-	2720	-	-
3-	वन संचार साधन	995	308	500	294	-	353	318	-	755	730	-
4-	भवन निर्माण	621	350	274	274	-	244	244	-	450	450	-
5-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-	वन चेतना केन्द्र की स्थापना	-	100	505	480	-	505	480	-	260	240	-
7-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-	कोल सबसिडी	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग:-	8776	2359	3764	1048	-	4370	1042	-	4735	1420	-

जी०एन०-2

योजनावार व्यय/परिव्यय

(हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- कृषि विपणन सेक्टर- कृषि एवं सम्बद्धीय

क्र०सं०	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	पर्वतीय क्षेत्र की मंडियों के क्षेत्र में ग्रवतीय उत्पादन के एकत्र होने वाले शीत गृहों के निर्माण हेतु मण्डी परिषद को सहायक अनुदान देने की योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-
	योग:-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-

1/5

योजना व्यय/परिव्यय

जी0एस0-2 (हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग सेक्टर- एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	एकीकृत ग्राम्य विकास-											
1-	एकीकृत ग्राम्य विकास (50प्रतिशत राज्यांश)	14987	4025'5	5653'5	-	-	5653'5	-	-	5653'5	-	-
2-	एकीकृत ग्राम्य विकास (अतिरिक्त राज्यांश)	13892	3784	2212	-	-	2212	-	-	2212	-	-
	योग:-	28879	7809'5	7865'5	-	-	7865'5	-	-	7865'5	-	-

योजना व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2 (हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग

सेक्टर-एकीकृत ग्राम्य विकास विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम											
1-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	8257·5	2260·5	3316	-	-	3316	-	-	3647·6	-	-
	योग:-	8257·5	2260·5	3316	-	-	3316	-	-	3647·6	-	-

योजना व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग सेक्टर- सूखोन्मुख कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0) (हजार रुपये में)

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	सूखोन्मुख कार्यक्रम											
1-	सूखोन्मुख कार्य	-	778	2250	-	-	2250	-	-	2250	-	-
	योग:-	-	778	2250	-	-	2250	-	-	2250	-	-

जी0एन0-2 हजार रुपये में

जिला योजना व्यय/परिव्यय

विभाग का नाम- पंचायतराज   सेक्टर- ग्राम्य विकास विभाग

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1985-86 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	चालू योजना-											
1-	पंचायत उद्योगों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-	गाँव सभा स्तर पर पंचायतघर निर्माण	19·4	-	75	75	-	75	75	-	250	250	-
3-	पंचायतीराज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु उनकी आय में वृद्धि के लिये गाँव सभाओं को प्रोत्साहन	30	6	6	6	-	6	6	-	6	6	-
4-	ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिये खड़ंजा नाली निर्माण	-	20	112·5	112·5	-	112·5	112·5	-	250	250	250
5-	पंचायत उद्योगों की कार्यशालाओं का निर्माण	-	-	50	50	-	50	50	-	50	50	-
	योग:-	49·4	26	243·5	243·5	-	243·5	243·5	-	556	556	250
	नई योजना:-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग:-	49·4	26	243·5	243·5	-	243·5	243·5	-	556·	556	250

सैक्टर- ग्राम्य विकास

(हजार रुपये में)

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजनायें											
1-	ग्रामीण पोलकूद	13·5	13	25	-	-	25	-	-	40	-	-
2-	स्वंय सेवकों का सुदृढीकरण	52·5	40	84	-	-	84	-	-	110	-	-
3-	युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन	30	25	60	-	-	60	-	-	138	-	-
4-	व्यायशालाओं की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	210	-	-
	योग:- चालू यो0-	96	78	169	-	-	169	-	-	498	-	-
	नई योजना:-											
1-	जनजाति पर व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
2-	समाज सेवी कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
3-	सेमीनार	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
4-	कार्यालय साज सजा	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-
5-	10 ब्लाक कमाण्डरों का मानदेय	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
6-	10 महिला कार्यकर्ताओं का मानदेय	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
7-	85हल्का सरदारों का मानदेय	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-
	योग:-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	-	-
	योग-नई+चालू योजना	96	78	169	-	-	169	-	-	837	-	-

योजना व्यय/परिव्यय

जी0एस0-2 (हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग(सा0वि0) सेक्टर का नाम- ग्राम्य विकास

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
	प्रचार-प्रसार	-	-	15	-	-	200	-	-	20	20	-
	योग:-	-	-	15	-	-	200	-	-	20	20	-
	नई योजना:-											
	विकास खण्ड भवनों का निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-	3771	3771	-
	योग:-	-	-	-	-	-	-	-	-	3771	3771	-
	योग-नई-चालू योजना:-	-	-	15	-	-	200	-	-	3791	3791	-

सैक्टर- ग्राम्य विकास

(हजार रुपये में)

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत आवश्यकता कार्यक्रम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत आवश्यकता कार्यक्रम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत आवश्यकता कार्यक्रम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजनायें											
1-	ग्रामीण पोलकूद	13·5	13	25	-	-	25	-	-	40	-	-
2-	स्वंय सेवकों का उद्धीकरण	52·5	40	84	-	-	84	-	-	110	-	-
3-	युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन	30	25	60	-	-	60	-	-	138	-	-
4-	व्यामशालाओं की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	210	-	-
	योग:- चालू यो0-	96	78	169	-	-	169	-	-	498	-	-
	नई योजना:-											
1-	जनजाति पर व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
2-	समाज सेवी कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
3-	सेमीनार	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
4-	कार्यालय साज सजा	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-
5-	10 ब्लाक कमाण्डरों का मानदेय	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
6-	10 महिला कार्यकर्त्ताओं का मानदेय	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
7-	85हल्का सरदारों का मानदेय	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-
	योग:-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	-	-
	योग-नई+चालू योजना	96	78	169	-	-	169	-	-	837	-	-

योजना व्यय/परिव्यय

जी0एस0-2 (हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग (सा0वि0) सेक्टर का नाम- ग्राम्य विकास

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
	प्रचार-प्रचार	-	-	15	-	-	200	-	-	20	20	-
	योग:-	-	-	15	-	-	200	-	-	20	20	-
	नई योजना:-											
	विकास खण्ड भवनों का निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-	3771	3771	-
	योग:-	-	-	-	-	-	-	-	-	3771	3771	-
	योग-नई-चालू योजना:-	-	-	15	-	-	200	-	-	3791	3791	-

जी0एन0-2

जिला योजना व्यय/परिव्यय

(हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- जिला परिषदें सेक्टर - ग्राम्य विकास

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	जिला परिषदों को अनुदान-											
(1)	चालू योजना-											
	जिला परिषद को अनुदान	650·00	200·00	300·00	300·00	300·00	300·00	300·00	300·00	1318	1318	1318
(2)	नई योजनायें-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1) भवन दुकान निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-	220	220	-
	(2) मूत्रालयों का निर्माण एवं विद्युतीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	200 152	200 152	- 152
	महायोग-	650·00	200·00	300·00	300·00	300·00	300·00	300·00	300·00	1890	1890	1470
2.	विकास खण्डों को अनुदान	5000	500	1000	1000	-	1000	1000	-	1200	1200	-
		5000	500	1000	1000	-	1000	1000	-	1200	1200	-

विभाग का नाम- निबन्धक सहकारी समितियाँ उ0प्र0   सेक्टर:- सहकारिता

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(क)-	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना-											
1-	पैक्स के सचिवों को वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान	197	245	231	-	-	231	-	-	300	-	-
2-	जिला सहकारी बैंक की शाखाओं हेतु प्रबन्धकीय अनुदान	50	60	70	-	-	70	-	-	-	-	-
3-	जिला सहकारी बैंक नवीनीकरण हेतु अनुदान	60	20	20	-	-	20	-	-	-	-	-
4-	निर्बल वर्ग के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की अंश क्रय हेतु मध्यकालीन ऋण/अनुदान	60	40	40	-	-	40	-	-	40	-	-
5-	उपभोग ऋण पर रिस्क फण्ड अनुदान	-	-	2	-	-	2	-	-		-	-
6-	नगरीय बैंक को अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-	नगरीय सहकारी बैंक साज-सज्जा हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ऋण/अधिकोषण योग:-	367	365	363	-	-	363	-	-	340	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(ख) क्रय-विक्रय एवं भण्डारण योजना-												
1- क्रय विक्रय समितियों को मूल्य उतार चढ़ाव हेतु अनुदान		-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-
2- नयी सोसाबीन समिति को-												
(1) ऋण अनुदान		40	20	40	-	-	40	-	-	20	-	-
(2) अंश पूँजी		40	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
3- जिला सहकारी संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन		-	20	20	-	-	20	-	-	-	-	-
4- ग्रा0कृ0 ऋण समि0 ( ) को केन्द्र/खण्ड केन्द्र में आधार उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्तधन		-	75	75	-	-	75	-	-	150	-	-
5- क्रय विक्रय समितियों को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु सीमान्तधन		-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
6- क्र0वि0समितियों को लघु सिंचाई/कृषि यंत्रों की व्यवस्था हेतु सीमान्तधन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7- कृषि सेवा समि0 को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु सीमान्त धन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग:-	80	115	141	-	-	141	-	-	200	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ग§ उपभोक्ता योजना:-											
	1- केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार चढाव हेतु अनुदान	73·5	25	25	-	-	25	-	-	25	-	-
	2-प्रा0कृषि ऋण समितियों§पैक्स§ उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्तधन	-	200	200	-	-	200	-	-	300	-	-
	3-प्रा0उप0भण्डारों को सीमान्त धन	5·0	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	4-केन्द्रीय उप0भण्डारों/जि0सह0 संघ यातायात को अनुदान	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-
	योग:-	78·5	225	245	-	-	245	-	-	350	-	-
	§घ§ भेषज/जड़ी बूटी योजना-											
	1- पैक्स को जड़ी बूटी हेतु प्रबन्धकीय अनुदान	50	95	190	-	-	190	-	-	200	-	-
	2- पैक्स को जड़ी बूटी संग्रहण हेतु अंशपूँजी	-	95	95	-	-	95	-	-	50	-	-
	3- हर्बोमास को जड़ी बूटी संग्रहण वितरण हेतु प्रा0अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
	4- हर्बोमास को जड़ी बूटी संग्रहण वितरण हेतु अंशपूँजी	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-

क्र०सं०	योजना	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5-	जड़ी बूटी एवं भेषज विकास संघों को अधिक सहायता											
(अ)	भेषज संघों को प्रबन्धकीय अनुदान	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-
(आ)	भेषज संघों की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
(इ)	भेषज संघों की गोदाम किराया अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
(ई)	भेषज संघ को यातायात अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
(उ)	भेषज संघों को अंशपूँजी	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
(ऊ)	भेषज संघ की शाखाओं का गोदाम किराया	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
	योग:-	50	190	295	-	-	295	-	-	695	-	-

क्रमश:--- सहकारिता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(इ) श्रम योजना											
(1)	पुर्नगठित समिति यों को प्रबन्धकीय अनुदान की द्वितीय किस्त	75	10	5	-	-	5	-	-	-	-	-
(2)	सहकारिता श्रम समिति के पुर्नगठिन हेतु प्रबन्धकीय समितियों को पत्र उपकरण अनुदान	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)	सह०श्रम समितियों को अंशपूजी	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)	सह०श्रम समितियों को मार्जिन मनी पूजी	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग:-	165	10	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	कुल योग:-	704·5	905	1049	-	-	1049	-	-	1585	-	-

योजना व्यय/परिव्यय

जी०एन०-2 (हजार रुपये में)

विभाग का नाम- निजी लघु सिंचाई   सेक्टर- कृषि एवं सम्वर्गीय

क्र०सं०	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	ऋण	3205	443	270	270	-	270	270	-	250	250	-
2-	अनुदान	1543·9	290	210	-	-	210	-	-	150	-	-
3-	उपकरण/संयंत्र	70	10	10	-	-	10	-	-	10	-	-
4-	हाईड्रम	6800	1450	970	450	-	970	450	-	2540	1200	-
5-	हाईड्रम योजनाओं का सुदृढ़ीकरण	192	212	275	-	-	275	-	-	375	-	-
	योग चालू योजना	11810·9	2405	1735	720	-	1735	720	-	3325	1450	-
	योग- नई योजना	शून्य										
	योग-चालू+नई योजना	11810·9	2405	1735	720	-	1735	720	-	3325	1450	

-28-

(हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- सिंचाई विभाग सेक्टर :- राजकीय सिंचाई

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमोदित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजनायें:-											
1-	पर्वतीय नहरें	26622	9444	12900	11093	-	10770	9368	-	10500	9052	-
2-	नलकूप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	नई योजनायें-											
1-	पर्वतीय नहरें	-	-	-	-	-	-	-	-	4500	3855	-
	कुल योग-चालू+नई योजना-	26622	9444	12900	11093	-	10770	9368	-	15000	12907	-

योजना व्यय/परिव्यय

जी०एन०-2 हजार रुपये में

विभाग का नाम- राज्य विद्युत परिषद सेक्टर- विद्युत

क्र०सं०	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	ग्रामों का विद्युतीकरण	43661	24136	20800	-	20800	20800	-	20800	22880	-	22880
	योग:-	43661	24136	20800	-	20800	20800	-	20800	22880	-	22880

योजना व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम- उद्योग निदेशालय

सेक्टर:- उद्योग एवं खनन

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजनायें:-											
	औद्योगिक सहकारी समितियों (अवस्थापना) का प्रसार-											
	(अ) अंश पूँजी	51·75	20	20	-	-	20	-	-	30	-	-
	(ब) कार्यशाला/गोदाम अनुदान	30·00	25	25	-	-	25	-	-	30	-	-
	(स) प्रबन्धकीय राज्य सहायता	10·60	10·8	12·6	-	-	12·6	-	-	7·2	-	-
2-	जिला उद्योग केन्द्र ऋण/मार्जिन मनी ऋण	901	200	100	-	-	100	-	-	100	-	-
3-	हरिजन एवं कमजोर वर्ग की विशेष औद्योगिक सहकारी समितियों को अंश पूँजी ऋण	50	18	18	-	-	18	-	-	36	-	-
4-	एकीकृत मार्जिन मनी ऋण	1919·2	150	600	-	-	150	-	-	600	-	-
	योग:-	2962·55	423·8	775·6	-	-	325·6	-	-	803·2	-	-

क्र०सं०	योजना	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	हस्तकला योजनायें:-											
5-	हस्तकला सहाकारी समितियों का विकास/गठन एवं उन्हे वित्तीय सहायता देने की योजना											
	(अ) हिस्सा पूँजी में	10	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-
	(ब) प्रबन्धकीय सहायता	1·5	-	9	-	-	9	-	-	5·4	-	-
6-	कच्चामाल एवं वाणिज्यिक क्रिया योजना	245·05	10	200	-	-	15	-	-	15	-	-
7-	सहारनपुर काष्ठकला केन्द्र का पुनर्गठन एवं प्रसार	129·52	53·90	65	-	-	65	-	-	65	-	-
8-	अनुसूचित जाति/जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगिकीकरण की योजना	56·02	64·90	100	-	-	50	-	-	70	-	-
9-	उद्यमियों के माध्यम से कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	184·3	199	296	-	-	296	-	-	199	-	-
10-	जिला प्रदर्शनी तथा मण्डलीय सेमिनार	-	25	25	-	-	25	-	-	25	-	-
11-	उद्यमियता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	17·97	-	-	-	20	-	-	25	-	-
12-	शहरी क्षेत्र के दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता	-	7	75	-	-	-	-	-	-	-	-
		626·39	377·77	780	-	-	490	-	-	414·4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	नई योजना:-											
	हथकरघा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1) अंशपूँजी	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
	(2) आधुनिक साजसज्जा हेतु अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	नई योजनायोग:-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
	चालू योजना:-	3588·94	801·57	1555·6	-	-	815·6	-	-	1217·6	-	-
	कुल योग:-	3588·94	801·57	1555·6	-	-	815·6	-	-	1252·6	-	-

डी०एस०-2 हजार रूपये में

योजना व्यय/परिव्यय

विभाग का नाम- हथकरघा   सेक्टर-

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	रेशम योजना के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों एवं कीट पालकों की प्रशिक्षण योजना	-	4.0	8.0	-	-	8.0	-	-	9	-	-
2	रेशम कीट पालन प्रसार योजना अन्तर्गत माडल चाकी बार्जे शहतूत उद्यानों की स्थापना योजना	-	-	85	-	-	85	-	-	94	-	-
3.	कालीन बुनाई एवं प्रशिक्षण	199.03	30.12	60	-	-	60	-	-	60	-	-
	योग:-	199.55	34.12	153	-	-	153	-	-	163	-	-

हजार रूपयों में

योजना व्यय/परिव्यय

विभाग का नाम- पर्यटन निदेशालय   सेक्टर- परिवहन एवं यातायात

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ऋण उपादान योजना	17	46	100	-	100	100	-	-	100	-	-
	योग:-	17	46	100	-	100	100	-	-	100	-	-

नोट:- ऋण उपादान योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा वर्ष 1981 से वर्ष 1986 तक 6·25 लाख का आवंटन किया गया है। तथा जनपद में 63,000 हजार रूपये का वितरण उद्यमियों को अनुदान के रूप में किया जा चुका है तथा भविष्य में तीव्र गति से ऋण उपादान योजना का सम्पादन किया जा रहा है ।

सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

(हजार रुपयों में)

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता का क्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता का क्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता का क्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(क)-	प्राथमिक शिक्षा-											
1-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में भवन रहित जू0बे0स्कूलों को भवन निर्माण हेतु अनुदान नया-	1409	1772	2332	2332	2332	2332	2332	2332	2332	2332	2332
2-	प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त सी0बे0स्कूलों को प्रान्तीय करण एवं उच्चीकरण हेतु चालू-	5202	114	503	-		503	503	-	503	1185	-
	नया-	-	-	396	-		396	396	-	396	480	-
3-	असहायिक मान्यता प्राप्त सी0बे0स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान चालू-	1716	44	190	-		190	190	-	190	454	-
	नया-	-	-	-	-		-	-	-	-	14	-
4-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के सी0बे0स्कूलों में भवन निर्माण हेतु अनुदान नया-	1540	1980	1980	1980		1980	1980	1980	1980	1980	1980
5-	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जू0 बे0स्कूल खोलने हेतु अनुदान चालू-	6072	3013	700	-		700	700	-	-	900	-
	नया-	-	-	3752	3265		3752	3752	3265	3752	3850	3265

क्रमशः----

						7	8	9	10	11	12	13
6- जू0नि0बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	नया	255	42	42	–	42	42	–	42	42	–	42
7- ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण	नया	56	13	35	–	35	35	–	35	5	–	5
8- ग्रामीण क्षेत्र में बालक/बालिकाओं के जू0बे0स्कूलों के खोलने हेतु अनुदान	चालू	49✓80	639	213	540	213	213	540	213	194	–	194
	नया	–	–	762	–	762	762	–	762	1235	900	1235
9- ग्रामीण/नगर क्षेत्रों के वय वर्ग 6-11 के बच्चों के लिये अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान	चालू	1106	505	556	–	556	556	–	556	569	–	569
	नया	–	–	100	–	100	100	–	100	–	–	–
10-प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6 में 15/- रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिये छात्रवृत्ति	चालू-	84	24	45	–	45	45	~~45~~	45	58	–	58
	नया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- वयवर्ग 6-11 के बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु छात्र वृत्ति अभियान	नया	12·5	–	-5	–	5	5	–	5	5	–	5
- बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार	नया	–	2	2	–	-2	2	–	2	3	–	3
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करने हेतु जू0बे0स्कूलों में पाठ्यपुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान	नया	180	20	20	–	20	20	–	20	20	–	20

अनुदान संख्या:-उ शिक्षा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14-	ग्रामीण क्षेत्र के सी०बे०स्कूलों के लिये साजसज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान नया	129	60	75	–	75	75	–	75	75	–	75
15-	जू०बे०स्कूलों में साजसज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान नया	480	300	320	–	320	320	–	320	320	–	320
16-	निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था नया	242	–	180	–	180	180	–	180	180	–	180
17-	विद्यालय भवनों का निर्माण नया	–	–	50	–	50	50	–	50	50	–	50
18-	जू०बे०स्कूलों में प्रा०अ० की नियुक्ति तथा सी०बे०स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनुदान चालू-	5973	–	45	–	45	45	–	45	105	–	105
19-	सहायक/सहायता प्राप्त सी०बे० स्कूलों को भवन अनुदान नया-	515	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
20-	सी०बे०स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान नया-	144	210	210	–	210	210	–	210	105	–	105
	योग:-प्राथमिक शिक्षा- चालू	25133	4339	2207	540	2207	2207	540	2207	3465	–	3465
	नई	4962·5	4507	10414	7685	10414	10414	7685	10414	10804	8535	10804
	महायोग-	30095·5	8346	12621	8225	12621	12621	8225	12621	14269	8585	14269

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=4

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0- 2

विभाग का नाम- शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा

सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं

हजार रूपये में

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 का अनुमोदित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
छ-	माध्यमिक शिक्षा											
1-	खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों व युवक कल्याण हेतु प्राविधान (चालू)	12	15	18	-	-	18	-	-	25	-	-
(2)	अन्य कार्यक्रम											
1-	संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान	-	-	5	-	-	5	-	-	5	-	-
(3)	कला संस्कृति व सार्वजनिक पुस्तकालय											
1-	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान	-	5	5	-	-	5	-	-	5	-	-
2-	वर्तमान जिला पुस्तकालयों का विकास व नये जिला पुस्तकालयों की स्थापना (नया)	-	45	50	-	-	50	-	-	50	-	-
	माध्यमिक शिक्षा का योग:-	12	65	78	-	-	78	-	-	85	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी०एन०-2

विभाग का नाम- शिक्षा

सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं

हजार रुपये में

क्र०सं०	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4-	**प्रौढ शिक्षा**											
	चालू योजना											
1-	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में अंशकालिक, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना (नया)	-	-	384	-	384	384	-	384	1073	-	1073
	योग:-	-	-	384	-	384	384	-	384	1073	-	1073
	योग चालू	25145	4459	2225	540	2207	2225	540	2207	3490	-	3465
	नया	4962·5	4552	10858	7685 ~~8225~~	10798	10858	7685 ~~8225~~	10798	11937	8585	11877
	महायोग:-	30107·5	9011	13083	8225	13005	13085 ~~13078~~	8225	13005	15427	8585	15342

योजनावार व्यय/परिव्यय

(हजार रुपये में)

विभाग का नाम- प्राविधिक शिक्षा   सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1985-90 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	चालू योजना- बहुधान्धी संस्था का एकीकरण											
	(अ) भवन निर्माण	13.3	1.5	2004 (3.0)	2004 (3.0)	-	3000	3000	-	-	-	-
	(ब) संस्था की स्थापना	1.4	180.8	-	-	-	-	-	-	300	300	-
	(स) छात्र सुविधा छात्रावास के लिये साज सज्जा बर्तन आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-
	नई योजना- जल सम्पूर्ति (अपरिहार्य)	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	-
	महायोग:-	14.7	182.3	2004 (3.0)	2004 3.0	-	3000	3000	-	1000	1000	-

जिला योजना परिव्यय/व्यय

(हजार रुपये में) जी.एन.ओ.-2

विभाग का नाम- खेलकूद एवं युवा कल्याण सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	खेलकूद प्रतियोगिताओं का अयोजना	300	6·5	10	-	-	10	-	-	30	-	-
2-	ग्रामीण खेलकूद केन्द्रों का विकास	21·5	1	3·9	-	-	3·2	-	-	3·2	-	-
योग:-		321·5	7·5	13·9	-	-	13·2	-	-	33·2	-	-

स्वास्थ्य—एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक सेवाएं

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985–90

जा0प्र0–2
(हजार रु0 में)

क्र0सं0 योजना		छठी योजना 1985–86 वास्तविक व्यय	1985–86 वास्तविक व्यय	1986–87 अनुमोदित परिव्यय			1986–87 अनुमानित व्यय			1987–88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1– प्रा0स्वास्थ्य केन्द्र/ आवश्यकता कार्यक्रम												
1–प्रा0स्वा0केन्द्रों की स्थापना		953·1	122·7	250	–	250	250	–	250	300	–	300
2– प्रा0स्वा0उपकेन्द्रों की स्थापना निर्माण		85·0	210	50	50	50	50	50	50	400	400	400
3–प्रा0स्वा0की स्थापना		492·6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4–प्रा0स्वा0उप केन्द्रों का निर्माण		59	43	500	500	500	500	500	500	250	250	250
5–प्रा0स्वा0केन्द्रों व उप केन्द्रों का नवीनीकरण, जलापूर्ति एवं विद्युतीकरण		59	–	100	–	100	100	–	100	100	–	100
6–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (उच्चीकरण प्रा0 स्वास्थ्यकेन्द्र)		–	500·5	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2000 ~~2200~~	2000 ~~2200~~	2000 ~~2200~~
उपयोग		1649·5	876·2	3100	2750	3100	3100	2750	3100	3050	2650	3050

–43–

अनुलग्नक [illegible]
जी0एन0-2
हजार रुपये में

विभाग का नाम- चिकित्सा

योजना व्यय/परिव्यय
सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें।

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2- चिकित्सालय व औषधालय											
	1-राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय का निर्माण	187	700	400	400	-	400	400	-	1000	1000	-
	(2) स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-विशिष्ठ चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत (हड्डी अनुभाग-रेडियोलाजी 2-ई0एन0टी0 की स्थापना)	1184·6	6	20	-	-	20	-	-	150	-	-
	3-ग्रामीण चिकित्सालयों में स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार परिवर्तन परिवर्धन	-	10	40	-	-	40	-	-	40	-	-
	योग:-	1371·6	716	460	400	-	460	400	-	1190	1000	-
	3-संचारी रोगों की रोकथाम											
	1-यात्रा मार्गों का स्वच्छता में सुधार एवं सुलभ शौचालयों का निर्माण	1836	-	20	-	-	20	-	-	425	305	-
	2-मलेरिया नियन्त्रण	-	79	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-क्षयरोग औषधियों की व्यवस्था	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग:-	1836	179	370	-	-	20	-	-	425	305	-

विभाग का नाम- चिकित्सा

योजना व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2
हजार रु0 में

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90

क्र0सं0 योजना	छठी योजना 1985-86 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
			कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4- भारतीय चिकित्सा पद्धति											
1- जिला स्तर पर आयुर्वेदिक एवं युनानी अधिकारियों के कार्यालय भवन निर्माण जीप, टेलीफोन की व्यवस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
2- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना	1274	22	60	-	-	60	-	-	80	-	-
3- 25 शैयायुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय की मयाली में स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-
4- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का उन्नयन	45	-	-	-	-	-	-	-	190	-	-
5- गैर सरकारी आयु0औषधियों को अनु0	-	-	5	-	-	5	-	-	10	-	-
6- राजकीय आयुर्वेदिक, चिकित्सालयों का निर्माण	-	-	350	350	-	350	350	-	700	700	-
योग:-	1319	22	415	350	-	415	350	-	1260	700	-

विभाग का नाम – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जिला योजना व्यय/परिव्यय — जी0एन0–2
सेक्टर– सामाजिक एवं सामुदायिक — हजार रूपये में
सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985–90

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980–85 वास्तविक व्यय	1985–86 वास्तविक व्यय	1986–87 अनुमोदित परिव्यय			1986–87 अनुमानित व्यय			1987–88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5–होम्योपैथिक सेवाएं											
	1–होम्योपैथिक औषधालयों हेतु अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था	3·6	–	10	–	–	10	–	–	10	–	–
	2– होम्योपैथिक औषधालय की स्थापना	290·8	–	–	–	–	–	–	–	20	–	–
	6–अन्य स्वास्थ्य सेवाएं											
	1–चूनिसेफ सहायता	69	8·3	20	–	–	20	–	–	20	–	–
	2–उपचारिका आवास गृह के लिए साज–सज्जा एवं स्टाफ (नर्सिंग होम नरेन्द्रनगर के लिए)	–	–	–	–	–	–	–	–	40	–	–
	3–अस्पतालों के साज–सज्जा एवं अन्य आवश्यक सामग्री (उपकरण)	–	46	–	–	–	–	–	–	100	–	–
	4–नये अतिरिक्त प्रा0स्वा0केन्द्रों में एक जी0एच0ओ0 के पद का सृजन	–	–	–	–	–	–	–	–	176	–	–
	उप–योग:–	69	54·3	20	–	–	20	–	–	336	–	–
	महायोग:–	4887·1	1847·5	4375	3500	3100	4025	3500	3100	6291	4655	3050

योजना व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2 (हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- उत्तर प्रदेश जल निगम   सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	चालू ग्रामीण पेयजल योजना	134620	37109	32218	32218	32218	32218	32218	32218	22000	22000	22000
2-	नई ग्रामीण पेयजल योजना	4149	1339	12782	12782	12782	22782	22782	22782	28000	28000	28000
3-	ग्रामीण पेयजल योजना पुनर्कठन	-	-	-	-	-	-	-	-	~~11000~~	~~11000~~	~~11000~~
	योग:-	138769	38448	45000	45000	45000	55000	55000	55000	~~61000~~ 50000	~~61000~~ 50000	~~61000~~ 50000

योजना व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

(हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1986-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजनायें											
1-	हरिजन पेयजल योजना	2818	597	800	800	-	800	800	-	1000	1000	-
	योग:-	2818	597	800	800	-	800	800	-	1000	1000	-

योजना परिव्यय/व्यय

जी0एन0-2

(हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास

सेक्टर- सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	1986-87 अनुमोदित परिव्यय पूँजीगत	1986-87 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूँजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 प्रस्तावित परिव्यय कुल	1987-88 प्रस्तावित परिव्यय पूँजीगत	1987-88 प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजनायें-											
1-	निर्बल वर्ग आवास	1929	1973	600	600	-	600	600	-	720	720	-
	योग:-	1929	1973	600	600	-	600	600	-	720	720	-

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2 (हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- पर्वतीय विकास

सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

.	आवास स्थलों का विकास	5	60	60	60	-	60	60	-	60	60	-
	योग:-	-	60	60	60	-	60	60	-	60	60	-

जी0एन0-2

योजना व्यय/परिव्यय

(हजार रुपये में)

विभाग का नाम- सूचना एवं सम्पर्क   सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	सामुदायिक दूर दर्शन योजना के अन्तर्गत टी0वी0 सेटों का क्रय	15	12	45	-	-	45	-	-	120	-	-
	योग:-	15	12	45	-	-	45	-	-	120	-	-

-50-

विभाग का नाम-शिल्पकार व प्रशिक्षण

जिला योजना वर्ष 1987-88

योजना व्यय/परिव्यय

सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं

जी0एच0-2

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / ब्रान्च आई0टी0आई0 की स्थापना	-	16.9	225	225	-	225	225	-	274	274	-
2-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	-	-	75	75	-	75	85	-	903	903	-
	नई योजना											
1-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / ब्रान्च आई0टी0आई0 की स्थापना	-	-	2275	2275	-	2275	2275	-	1880	1880	-
2-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार एवं सुदृढीकरण /नये व्यवसायों का खोला जाना टिहरी व मुनिकीरेती	267.5	-	20	20	-	20	20	-	1097	1097	-
	योग:-	267.5	16.9	2595	2595	-	2595	2595	-	4154	4154	-

टिप्पणी:-वर्ष 1987-88 की प्रस्तावित योजनान्तर्गत(नई प्रस्तावित ब्रान्च आई0टी0आई0) को छोड़कर 2808 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें 1806 हजार अनार्वतक व्यय व 942 हजार आर्वतक व्यय है ।

जिला योजना वर्ष 1987-88

जी0एस0-2
हजार रु0 में

योजना व्यय/परिव्यय
सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ

विभाग का नाम- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	नई योजना											
1-	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	170	78	-
	योग:-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	78	-

योजनावार व्यय/परिव्यय

विभाग का नाम- विमुक्त बंधित श्रमिक पुर्नवास योजना सैक्टर -सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं जी0एन0-2
हजार रूपये में

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1-	बन्धुवा श्रमिकों का पुनर्वास (राज्य अंश)	3705•00	472	497•00	497•00	-	497•00	497•0	-	-	-	-

नोट:- अनुमोदित परिव्यय में जो धनराशि अंकित की गई है वह 50% की दर से राज्यांश दिखाया गया है इस राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय अंश के रूप में 50% की दर से 497•00 (हजार रु0 में) भी 86-87 में व्यय किये जायेंगे ।

2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के अनुसार 86-87 में पुनर्वासित किये जाने वाले श्रमिकों के अलावा पुनः सत्यापन कराया जा रहा है ।

योजनावार व्यय/परिव्यय

विभाग का नाम—विमुक्त बंधित श्रमिक पुर्नवास योजना   सेक्टर —सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें   जी0एन0—2
हजार रुपये में

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1-	बन्धुवा श्रमिकों का पुनर्वास (राज्य अंश)	3705.00	472	497.00	497.00	-	497.00	497.0	-	-	-	-

नोट:- अनुमोदित परिव्यय में जो धनराशि अंकित की गई है वह 50% की दर से राज्यांश दिखाया गया है इस राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय अंश के रूप में 50% की दर से 497.00 (हजार रु0 में) भी 86-87 में व्यय किये जायेंगे।

2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के अनुसार 86-87 में पुनर्वासित किये जाने वाले श्रमिकों के अलावा पुनः सत्यापन कराया जा रहा है।

विभाग का नाम - हरिजन एवं समाज कल्याण

जनपद टिहरी गढ़वाल ।
जी0एन0-2
हजार रुपये में

योजना व्यय/परिव्यय

सेक्टर-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं

क्रम सं0	योजना	छठीयोजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजनाएं											
1-(क)	अनुसूचित जातियों का कल्याण											
	शैक्षिक कार्यक्रम:-											
(1)	छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य उपकरण हेतु अनावर्तीय सहायता :-											
1-	कक्षा 1 से 5 तक (प्राइमरी स्तर)	153•32	90	90	-	-	90	-	-	100	-	-
(2)	कक्षा 6 से 8 तक (जूनियर स्तर)	160	100	200	-	-	200	-	-	210	-	-
2:-	अनुसूचित जाति की छात्राओं को अपारच्युनिटी कास्ट अनुदान	55	-	51	-	-	51	-	-	51	-	-
3:-	पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुरस्कार	15	-	7	-	-	4	-	-	7	-	-
4-	विभाग द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों पुस्तकालयों एवं पाठशालाओं का सुधार, विस्तार	97	-	26	-	-	26	-	-	26	-	-
	योग:-	480.32	120	374	-	-	371	-	-	394	-	

----2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	आर्थिक उत्थान											
1-	कृषि/बागवानी अनुदान	201	30	60	-	-	60	-	-	60	-	-
2-	लघु कुटीर उद्योग अनुदान	285	30	70	-	-	70	-	-	77	-	-
	योग:-	486	60	130	-	-	130	-	-	143	-	-
	स्वास्थ्य आवास/अन्य योजना											
1-	गृह निर्माण/सुधार हेतु अनुदान	210	50	70	-	-	70	-	-	77	-	-
	योग:-(क)	1176·32	300	574			571			614		
ख-	अन्य पिछड़ी जाति:-											
	शैक्षिक कार्यक्रम:-											
	छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तके क्रय हेतु अनावर्तीय सहायता ।											
(1)	कक्षा 1 से 5 तक (प्राईमरी स्तर)	-	7	20			7			7		
(2)	कक्षा 6 से 8 तक (जूनियर स्तर)	-	17	37			20			22		
	योग:-		24	57			27			29		
	चालू योजना योग:-	1176·32	324	631			598			643		

योजनावार व्यय/परिव्यय

विभाग का नाम- जनजाति विकास | सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं | जी०एन०-? हजार रूपयों में

क्र०सं०	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 का वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	जनजाति क्षेत्रों का विकास											
	अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को कृषि-बागवानी तथा कुटीर उद्योगों के लिए अनुदान	882•9	200•00	50•00	50•00	-	50•00	50•00	-	55•00	55•00	-

विभाग का नाम-समाज कल्याण

जिला योजना वर्ष 1987-88

योजनावार व्यय/परिव्यय

सेक्टर:- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ

जी0एन0-2 टिहरी गढ़वाल।
हजार रुपये में

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	निर्धन एवं निराश्रित महिलाओं को उनके पुर्नवासन हेतु सिलाई/बुनाई/कढाई मशीनों के क्रय हेतु अनुदान	56	19	19	-	-	19	-	-	30	-	-
2-	समन्वित बाल विकास परियोजना की स्थापना	919.3	520	520	-	-	520	-	-	602	-	-
3-	निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान	218	979	935	-	-	935	-	-	1800	-	-
4-	शारीरिक रूप से अक्षम विकलांग छात्रों को कक्षा 8 तक शिक्षा तथा वृत्तिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	-	5	5	-	-	5	-	-	6	-	-
5-	शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम विकलांग अभिभावकों के बच्चों को वृत्तिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	-	6	5	-	-	5	-	-	6	-	-
6-	शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांगों को कृत्रिम अंग तथा श्रवण यन्त्र आदि क्रय करने हेतु अनुदान	-	-	2.5	-	-	2.5	-	-	3	-	-
7-	निराश्रित तथा विकलांग व्यक्तियों को भरण पोषण हेतु अनुदान	57.6	171	171	-	-	171	-	-	300	-	-
	योग:-	1250.9	1700	1657.5	-	-	1657.5	-	-	2747	-	-

विभाग का नाम-सैनिक कल्याण

योजनावार व्यय/परिव्यय
सेक्टर-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

जी0एम0-2
हजार रु0 में

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	नये टिहरी नगर में नये सैनिक कल्याण कार्यालय हेतु भवन तथा सैनिक विश्राम गृह	-	-	848	848	-	848	848	-	-	-	-
2-	चम्बा में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-	1030	1030	-
	योग			848	848		848	848		1030	1030	

विभाग का नाम- पुष्टाहार

योजनावार व्यय/परिव्यय

सेक्टर-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ

जी0एन0-2,
हजार रु0 में

क्र0सं0	योजना	छठी योजना 1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम											
	(क) शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ख) समाज कल्याण विभाग	729	-	765	-	765	765	-	765	770 (1100)	-	770 (1100)

- ५७ -

जी0एन0-3 की सूची

प्रस्तावित जिला विकेन्द्रित योजना वर्ष 1987-88

जनपद-टिहरी गढ़वाल

::अनुक्रमणिका::

क्रमांक	विभाग का नाम	पृष्ठ संख्या	क्रमांक	विभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
1	2	3	1	2	3
-	कृषि विभाग	1-2	21-	हथकरघा निदेशालय	28
-	उद्यान एवं फलोपयोग	3-4	22-	पर्यटन	29
-	लघु सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता	5	23-	शिक्षा	30-34
-	भूमि संरक्षण	6	24-	प्राविधिक शिक्षा	35
-	पशुपालन	7-9	25-	खेलकूद एवं युवा कल्याण	36
-	मत्स्य	10	26-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	37-38
-	वन विभाग	11	27-	जल निगम	39
-	कृषि विपणन	12	28-	हरिजन पेयजल	40
-	आई0आर0डी0/अतिरिक्त आई0आर0डी0	13	29-	आवास स्थल विकास	41
-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	14	30-	निर्बल वर्ग आवास	41
	सुखोन्मुख कार्यक्रम	15	31-	सूचना एवं जनसम्पर्क	42
	पंचायतराज	16	32-	शिल्पकार प्रशिक्षण	43
	प्रादेशिक विकास दल	17	33-	सेवा योजन	44
	ग्राम्य विकास (सा0वि0)	18	34-	श्रम कल्याण	45
	जिला परिषद् एवं विकास खण्डों को अनुदान	19	35-	अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण	46-47
	सहकारिता	20-23	36-	जनजाति विकास	48
	निजी लघु सिंचाई	24	37-	समाज कल्याण	49
	राज्य सिंचाई	25	38-	सैनिक कल्याण	50
	विद्युत	26	39-	पुष्टाहार (शिक्षा तथा समाज कल्याण)	51
	उद्योग निदेशालय	27			

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

विभाग का नाम- कृषि विभाग

सेक्टर- कृषि

क्र०सं०	योजना	इकाई	छठी योजना 80-85 लक्ष्य	छठी योजना 80-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रस्तावित लक्ष्य	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1-	पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डों में उर्वरकों के कम्पोजिट प्रदर्शनों की योजना	है०/सं०	104/1040	120/1203	25/250	327/327	37•5/375	33•8/338	37/370
2-	पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डों में बीज विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों पर राज सहायता की योजना	कुन्तल.	1300	1334	212•35	292	350	300	320
3-	पर्वतीय क्षेत्र में दलहनी फसलों को सघन खेती की योजना	हेक्टेयर	1020	952	207	180	250	290	325
4-	पर्वतीय क्षेत्र में कृषि रक्षा सेवा सुदृढ़ीकरण की योजना-								
	(अ) आच्छादित क्षेत्रफल	हेक्टेयर	290000	309320	86750	90039	95000	95000	100000
	(ब) कृषक प्रशिक्षण	संख्या	-	-	-	7706	1600	1600	9200
5-	पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरकों के परिवहन पर राज सहायता तथा 10 कि० ग्राम पैकेटों की व्यवस्था-								
	(अ) 10 कि०ग्रा० पैकेटों की व्यवस्था	,,	16100	16180	7500	8000	14000	14000	15400
	(ब) उर्वरक परिवहन पर राजसहायता-								
	1-नत्रजन	मी०टन	-	-	-	-	400	400	440
	2-फास्फेट	,,	-	-	-	110	275	275	300
	3-पोटास	,,	-	-	-	-	50	50	55

क्रमशः-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6- पर्वतीय क्षेत्र में महान कृषि एवं बहुफसली योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन-								
(अ) धान	संख्या	–	–	–	–	800	800	1000
(ब) मक्का	,,	–	–	–	–	200	–	100
(स) गेहूं	,,	–	–	–	–	1000	1000	1100
7- पर्वतीय क्षेत्र में गुणात्मक बीजों के उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण की योजना								
(अ) वर्तमान प्रक्षेत्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण की योजना	क्वन्तल	–	–	–	90	140	140	150
(ब) नये प्रक्षेत्र को स्थापना की योजना	,,	–	–	–	–	–	–	100
(स) बीज भण्डार एवं भवन निर्माण की योजना	संख्या	2	2	2	–	2	2	1
8- पर्वतीय क्षेत्र में तिलहन उत्पादन की योजना	हेक्टेयर	434	410	24	–	–	–	–
नई योजना-								
9- पर्वतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना	क्वन्तल							
(अ) प्रमाणित बीज वितरण की योजना	,,	–	–	–	–	–	–	560
(ब) वृहद प्रदर्शन की योजना	हे0/सं0	–	–	–	–	–	–	40/400
(स) कृषि उपकरण वितरण की योजना	संख्या	–	–	–	–	–	–	110
(द) कृषिक प्रशिक्षण की योजना	,,	–	–	–	–	–	–	75

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि **जी०एन०-3**

विभाग का नाम- उद्यान एवं फलोपयोग सेक्टर- कृषि एवं सम्बर्गीय

क्र०सं०	योजना/मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न इनपुट तथा फल पौधा सब्जी के परिवहन एवं व्याधियों (कुरपुला सहित) की रोकथाम, औद्यानिक यन्त्रों के वितरण पर राजसहायता -								
(1)	पौधा वितरण	लाख सं०	13·90	14·363	4·267	753	3	3	3·25
(2)	शाभाकार/अन्य पौधा वितरण	,,	-	-	-	-	1·25	1·25	1·25
(3)	सब्जी बीज वितरण	कि०ग्रा०	32000	37261	6069·	7894	8500	8500	9000
(4)	सब्जी पौधा वितरण	लाख में	125000	122·114	27	26·07	40-	40	40
(5)	पौधा सुरक्षा कार्य	हे०	15000	16706	4046	3819	2500	2500	4000
(6)	कुरपुला नियंत्रण सामान्य पौधा सुरक्षा कार्यक्रम	हे०	-	524	524	240	1500	1500	525
(7)	औद्यानिक औजार वितरण	हे०	-	-	-	207	130	130	300
(8)	सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल	हे०	-	-	-	202	200	200	200
(9)	उद्यानों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल	हे०	-	-	-	2000	625	625	650
(10)	पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार	हे०	-	-	-	1083	10 75	1075	1100

0	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	उद्यानों के अर्न्तगत क्षेत्रफल	हे0	944	1000	-	154	225	225	225
(2)	मुम्ब उत्पादन इकाई	सं0	6	5	-		5	5	5
(3)	शीत गृह निर्माण	,,	5	6	-	6	5	5	6
3-	उद्यान एंव पौध रक्षा प्रसार सेवा का सुदृढ़ीकरण		समन्वय का कार्य होता है ।							
4-	आलू विकास एंव प्रमाणित आलू तथा सब्जी बीज उत्पादन का सघनीकरण									
(1)	आलू बीज प्रमाणीकरण	कुन्तल	-	-	-		-	-	-	
(2)	आलू बीज उत्पादन नये क्षेत्रों में	,,	-	-	-		-	-	-	
(3)	रोग रहित आलू बीज वितरण	,,	-	-	-		1000	1000	1200	
(4)	आलू के अर्न्तगत लाया जाने वाला अतिरिक्त क्षेत्रफल	हे0	742	742	-	112	50	50	60	
5-	जनजाति बाहुल्य विकास-खण्डों में सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन देने ,लोक प्रिय बनाने की योजना									
(1)	निःशुल्क सब्जी प्रदर्शन	सं0	235	250	-	60	300	60	650	
6-	सब ट्रापीकल औद्यानिक नर्सरी की स्थापना	सं0								
(1)	फल पौधा उत्पादन	,,	-	-	-		-	-	5000	
(2)	सब्जी पौध उत्पादन	लाख में	-	-	-		-	-	5	

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

जी0एन0-3

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास-~~लघु~~ सेक्टर:- लघु सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता

क्रमांक	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि			वर्ष 86-87 लक्ष्य	वर्ष 86-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	लघु सीमान्त कृषकों की उत्पादन वृद्धि हेतु सहायता योजना-								
1-	लाभान्वित कृषक	संख्या	-	-	-	-	-	-	-

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

विभाग का नाम- भूमि संरक्षण कृषि विभाग   सेक्टर- कृषि एवं सम्वर्गीय सेक्टर

क्र०सं०	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भिक स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	निर्माण कार्य अनुदान								
1-	भूमि संरक्षण नरेन्द्रनगर	हे०	1750	1665	-	570	400	400	400
2-	भूमि संरक्षण टिहरी	,,	1750	1216	-	488	400	400	400
3-	भूमि संरक्षण कीर्तिनगर	~~1750~~	1750	2034	-	507	400	400	400
	योग:---		5250	4915	-	1565	1200	1200	1200

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम- पशुपालन विभाग   सैक्टर- पशुपालन

क्र०सं०	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चालू योजनायें-								
1-	खुरपका ×मुहपका रोग की रोकथाम की योजना (50% केन्द्र पोषित राज्यांश	संख्या हजार	12	12	6	2	6	6	6
2-	ऐन्टीरेबीज वायरस रोग की रोकथाम हेतु ऐन्टीरेबीज वैक्सीन का क्रय	टीके संख्या	4	4	4	1	1	1	0·6
3-	"ए" तथा "बी" श्रेणी के पशुओं के चिकित्सालयों में अतिरिक्त दवाई एवं साज-सज्जा की व्यवस्था		347	396	7	112	100	100	100
4-	साँण्डों का क्रय एवं वितरण की योजना	संख्या	84	84	166	8	8	8	16
5-	नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना	के०सं०	45 −6	45	10	5	3	3	2
6-	संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार एवं कुक्कुट उत्पादन कार्यक्रम		6	6	10	6	2	2	1
7-	वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं नये कुक्कुट प्रक्षेत्र की स्थापना	प्र०सं०	1	1	1	1	1	1	–

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8-	परजीवी कीटाणुओं से बचाने के लिये भेड़ों को सामूहिक रूप से दवा पिलाना	भेड़ों की संख्या ह0	120	180	20	35	35	35	35
9-	पर्वतीय क्षेत्र में अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना	प्रक्षे0संख्या	1	1	1	1	1	1	1
10-	ग्रामीण प्रचार कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु/भेड़ प्रदर्शनी का आयोजन	प्रद0संख्या	2	2	2	5	2	2	2
11-	हाडा परिसम्पत्तियों का पशुपालन विभाग को हस्तान्तरित	जीपचालक/गाड़ी	-	-	-	-	-	-	-
12-	चारा एवं पोषण विकास चारा नर्सरी का सुदृढीकरण	नर0संख्या	-	-	-	-	-	-	-
	नई योजनायें:-								
1-	पशु चिकित्सा सेवायें एवं स्वास्थ्य (क) पशु चिकित्सालयों की स्थापना	(प0चि0सं0)	5	5	13	-	4	4	2
2-	पशुसेवा केन्द्रों की स्थापना	,,	28	28	66		-	6	2
3-	पशु चिकित्सालयों पर (विकास खण्ड स्तर से) प्रत्येक टेलीफोन की व्यवस्था	टेलीफोन संख्या	-	-	-	-	-	10	5
4-	पशु चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण	भ0संख्या	12	12	12		-	3	3
5-	पशु सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण	,,	-	-	-	-	-	2	2

क्रमशः:- 5 पशुपालन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6- प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर्वतीय क्षेत्रों में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना	केन्द्रों की संख्या	46	46	65	17	–	3	2
7- स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत स्थापित नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों का पशुपालन विभाग को हस्तान्तरित	,,	3	–	3	–	–	–	3
8- भेड़ तथा ऊन विकास पर्वतीय क्षेत्र में नये भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना	,,	8	3	11	–	–	1	–
9- भेड़ों के परिवर्तन मार्गों पर (माईग्रेटरी रूट्स) बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना	,,	–	–	–	–	–	1	1
10- चारा विकास चारा घास पौधालयों तथा नर्सरी की स्थापना	नर्सरी सं०	–	–	–	–	–	2	–

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम मत्स्य विभाग   सेक्टर- कृषि एवं सम्बर्गीय

क्र०सं०	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 85-90 का प्रारम्भिक स्तर	वर्ष 1935-86 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 96-87 लक्ष्य	वर्ष 96-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1-	अंगुलिका उत्पादन								
	(अ) महाशीर	लाख में	–	–	0·00045	0·00045	–	–	0·20
	(ब) मिररकार्प	,,	–	–	–	–	–	–	–
	(स) ट्राउट	,,	–	–	–	–	–	–	0·80
	(द) कामनकार्प	,,	–	–	–	–	–	–	–
	(य) मेजरकार्प	,,	–	–	–	–	–	–	–
2-	अंगुलिका वितरण								
	(अ) मेजरकार्प	लाख में	–	–	–	–	–	–	–
	(ब) मिररकार्प	,,	–	–	–	–	–	–	0·20
	(स) कामनकार्प	,,	–	–	–	–	–	–	–
3-	मत्स्य उत्पादन	कुन्तल	–	–	–	–	–	–	–

जी०एन०-3

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

विभाग का नाम- वन विभाग   सेक्टर- कृषि एवं सम्बन्धीय सेक्टर

क्र०सं०	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 का प्रस्तावित स्तर	1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1-	सा०नि०विभाग की सड़कों के किनारे पथ वृक्षारोपण	रो०कि० मीटर	100	100	100	60	70	70	70
2-	ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजाति का वृक्षारोपण-								
	(क) वृक्षारोपण	हेक्टे०	2033	2044	2033	1041	1041	1070	1050
	(ख) अग्रिम मिट्टी कार्य	,,	2734	2833	2734	1041	1041	1050	1050
	(ग) वितरण हेतु पौधा उगाना	लाख सं०	-	-	-	-	-	-	-
3-	वन संचार साधन-								
	(क) जीर्णोद्धार	कि०मी०	55·5	55·5	55	29	35	95	132
	(ख) [illegible] पुल	,,	42	41	41	7	3	4	5
4-	भवन निर्माण (क) पूर्ण	संख्या	16	16	16	7	-	-	8
	(ख) आंशिक	सं०	-	-	-	-	7	7	-
5-	-		-	-	-	-	-	-	-
6-	वन चेतना केन्द्र की स्थापना	संख्या	-	-	1	1	5	5	2

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम- कृषि विपणन

सेक्टर- कृषि एवं सम्बद्ध

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 [illegible] का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 86-87 लक्ष्य	वर्ष 86-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	पर्वतीय क्षेत्र की मण्डियों के क्षेत्र में पर्वतीय उत्पादन के एकत्र होने वाले शीत गृहों के निर्माण हेतु मण्डी परिषद को सहायक अनुदान देने की योजना	संख्या	-	-	-	-	-	.	1

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग सेक्टर- एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना

क्र०सं०	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	एकीकृत ग्राम्य विकास								
1-	**नये लाभार्थी**								
(1)	कुल लाभार्थी	संख्या	30000	27117	28693	4940	2300	2300	2300
(2)	अनुसूचित जाति के लाभार्थी	संख्या	7200	6708	6958	1038	690	690	690
(3)	महिला लाभार्थी	संख्या	-	-	-	458	690	690	690
2-	**पुराने लाभार्थी-**								
(1)	कुल लाभार्थी	संख्या	-	-	-	4626	4500	4500	4500
(2)	अनुसूचित जाति लाभार्थी	संख्या	-	-	-	1285	1350	1350	1350
(3)	महिला लाभार्थी	संख्या	-	-	-	316	1350	1350	1350

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग

सेक्टर- ग्राम्य विकास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रस्तावित लक्ष्य	1985-86 की उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम								
1-	रोजगार सृजन	लाख मानव दिवस	9·60	12·13	12·13	4·06	2·88	2·88	3·17
		योग:-	9·60	12·13	12·13	4·06	2·88	2·88	3·17

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धियां

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास सेक्टर- सूखाग्रस्त कार्यक्रम (डी0पी0एपी0)

क्रम संख्या	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85		सातवीं योजना 1985-90	1985-86	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88
			लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रारम्भ का स्तर	वास्तविक उपलब्धियां	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1- सूखाग्रस्त कार्यक्रम से-

लाभान्वित कृषक संख्या - - - - - - -

योग:- - - - - - - -

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-2

विभाग का नाम- पंचायतीराज   सेक्टर- ग्राम्य विकास

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रस्तावित स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चालू योजना:-								
1-	पंचायत उद्योगों को तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता	संख्या	-	-	-	-	-	-	-
2-	गाँव सभा स्तर पर पंचायतघर निर्माण	संख्या	2	2	85	-	3	3	10
3-	पंचायतीराज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु उनकी आय में वृद्धि के लिये गाँव सभाओं को प्रोत्साहन	संख्या	15	15	15	3	3	3	3
4-	ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिये खड़ंजा तथा नाली निर्माण	संख्या	-	-	3	3	15	15	30
5-	पंचायत उद्योगों की कार्यशाला का निर्माण	संख्या	-	-	-	-	1	1	1

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास -प्रादेशिक विकास दल   सेक्टर- ग्राम्य विकास

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि			वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	ग्रामीण खेलकूद	संख्या	22	22	22	11	11	-	23
2-	स्वयं सेवकों का सुदृढ़ीकरण	संख्या	200	200	200	100	150	-	250
3-	युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन	संख्या	50	50	50	25	60	-	138
4-	व्यायाम शालाओं की स्थापना	संख्या	-	-	-	-	-	-	1
	नई योजना:-								
1-	जनजाति विकास पर व्यय	संख्या	-	-	-	-	-	-	30
2-	समाज सेवी कार्य	संख्या	-	-	-	-	-	-	50
3-	सेमिनार	संख्या	-	-	-	-	-	-	-11
4-	कार्यालय साज सज्जा		-	-	-	-	-	-	कार्यालय के उपयोग हेतु फर्नीचर, लेखन सामग्री गाडी क्रय पेट्रोल आदि पर व्यय
5-	10 ब्लाक कमाण्डरों का मानदेय		-	-	-	-	-	-	10
6-	10 महिला कार्यकत्री का मानदेय		-	-	-	-	-	-	10
7-	85 हल्का सरदारों का मानदेय		-	-	-	-	-	-	85

-17-

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास (ग्रा0वि0) सेक्टर- ग्राम्य विकास

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना (1985-90) प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वर्ष वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चालू योजना	.	-	-	-	-	-	-	-
1-	प्रचार एवं प्रसार	-	-	-	-	-	-	-	-
2-	विकास खण्डों को भवनों तथा आवासीय भवनों का निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-

विभाग का नाम- जिला परिषद् सेक्टर- ग्राम्य विकास

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भिक स्तर	1985-36 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1-	जिला परिषद को अनुदान								
	1- चालू योजना								
	जिला परिषद को अनुदान	कि0मी0	224	124	174	30	34.5	34.5	159.5
		पुल	4	1	3	2	3	3	3
	2- नई योजनायें:-								
	(1) सड़क निर्माण	कि0मी0	-	-	-	-	-	-	6.000
	(2) भवन(दुकान)	संख्या	-	-	-	-	-	-	2 (16)
	(3) पुस्तालय	संख्या	-	-	-	-	-	-	40
2-	विकास खण्डों को अनुदान		-	-			-	-	-

सहकारिता विभाग — सेक्टर- सहकारिता

क्र०सं०	योजना	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भिक स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क)	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना:-								
1-	पैक्स के सचिवों को वेतन हेतु कोषण फेडर अनुदान	संख्या	97	97	97	85	97	97	97
2-	जिला सह०बैंक की शाखाओं हेतु प्रबन्धकीय अनुदान	संख्या	9	6	37	6	7	7	-
3-	नगरीय सह०बैंक को साजसज्जा हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4-	निर्बल वर्ग/अनु०जाति/जनजाति के सदस्यों को अंशक्रय करने हेतु मध्यकालीन ऋण अनुदान	~~[illegible]~~	600	700	800	400	400	400	400
5-	उपभोग ऋण पर रिस्क फण्ड अनुदान	ला०रु०	-	-	4	-	2	-	-
6-	जिला सहकारी बैंक शाखाओं को नवीनीकरण	संख्या	10	6	5	2	2	2	-
7-	नगरीय सह०बैंकों को अनुदान	..	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	क्रय विक्रय एवं भण्डारों की योजना-								
1-	क्रय विक्रय समितियों को मूल्य उत्तर चढाव निधि अनुदान,	संख्या	-	-	5	-	3	-	-

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-	कमोडिटी क्रय विक्रय समितियों सैम्पस/सोयाबीन को-								
	(अ) प्रबन्धकीय अनुदान	ह0क0	4	4	30	2	4	4	2
	(ब) अंशदान	ह0क0	4	4	10	-	-	-	2
3-	जिला सहकारी संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन	,,	-	-	-	1	1	1	-
4-	प्रा0क0कृष समिति को कैश एण्ड कैरी के आधार पर उप0 व्य0 हेतु सीमान्तधन	,,	-	-	35	5	10	10	10
5-	कृ0वि0समिति को खाद्यान व्यवसाय हेतु सीमान्तधन	संख्या	-	-	-	-	-	-	1
	(ग) उपभोक्ता योजना-								
1-	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारण को मूल्य उतार चढाव हेतु अनुदान	संख्या	1	1	1	1	1	1	1
2-	प्रा0कृ0 समितियों को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्तधन	संख्या	-	-	40	20	20	20	30

		3	4	5	6	7	8	9
3- प्रा०उप०भण्डारों को सीमान्त दान	संख्या	1	1	1	-	-	-	1
4- के०उप०भण्डारों को सीमान्त दान/जि०सह०संघों को यातायात अनुदान	संख्या	-	-	-	-	1	1	1
(ख)- भेषज जड़ी बूटी योजना								
1- पैक्स को जड़ी बूटी संग्रहण हेतु प्र०अनुदान	संख्या	10	19	19	19	33	38	40
2- पैक्स को जड़ी बूटी संग्रहण हेतु अंशपूँजी	संख्या	-	19	19	19	19	19	10
3- लैम्पस को जड़ी बूटी संग्रह हेतु विपणन प्र०अनुदान	संख्या	-	-	-	-	-	-	10
4- लैम्पस की जड़ी बूटी संग्रह विपणन हेतु अंश पूँजी	संख्या	-	-	-	-	-	-	10
5- जड़ी बूटी एवं भेषज को आर्थिक सहायता	संख्या							
(अ)- भेषज संघों को प्रबन्धकीय अनुदान	संख्या	-	-	1	1	1	1	1
(आ) भेषज संघों की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान	संख्या	-	-	-	-	-	-	1
(इ) भेषज संघों को गोदाम किराया	संख्या	-	-			-	-	1
(ई) भेषज संघों की शाखाओं को गोदाम किराया	संख्या	-	-	-	-	-	-	1
(उ) भेषज संघों को अंशपूँजी	संख्या	-	-	1	1	-	-	-
(ऊ) भेषज संघों को यातायात अनुदान	संख्या	-	-	-	-	-	-	1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ड़) अन्य योजना:-									
1- पुर्नगठित समितियों को प्रबन्धकीय अनुदान द्वितीय किस्त		संख्या	15	15	6	2	-	-	-
2- श्रम समितियों को यंत्र उपकरण अनुदान		संख्या	2	2	6	-	-	-	-
3- सहकारी श्रम समितियों को अंशपूँजी		संख्या	1	1	-	-	-	-	-
4- सहकारी श्रम समितियों को मार्जिन मनी		संख्या	1	1	-	-	-	-	-

विभाग का नाम- लघु सिंचाई सेक्टर- कृषि एवं सम्बन्धित

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना लक्ष्य	छठी योजना उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भिक स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	चालू योजना									
1-	हौज निर्माण	संख्या	1249	1218	5427	177	90	100	100	
2-	गूल निर्माण	कि0मी0	170	163·96	1392	26·5	20·5	20·5	20	
3-	पम्प सेट	संख्या	-	3	11	1	-	-	-	
4-	ट्राईड्रम	संख्या	57	59	72	7	7	7	15	
5-	सिंचन क्षमता का सृजन	हेक्टेयर	22844	2447	11012	351	230	238	290	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

विभाग का नाम- सिंचाई विभाग सेक्टर- राजकीय लघु सिंचाई

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85		सातवीं योजना 1985-90	1985-86 वास्तविक	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रारम्भ का स्तर	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राजकीय लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन-								
1-	पर्वतीय नहरें-चालू-	हे0	1818	1842	2174	868	502	502	350
	नई-	हे0	-	-	-	-	-	-	175
2-	पर्वतीय नलकूप	हे0	-	-	-	-	-	-	-
		हे0	1818	1842	2174	868	502	502	525

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम- राज्य विद्युत परिषद   सेक्टर- विद्युत

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
0	1	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम:-									
1-	ग्रामों का विद्युतीकरण	संख्या	462	431	571	161	130	130	130
2-	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	,,	390	361	473	130	104	104	104

परिशिष्ट-3

विभाग का नाम- उद्योग निदेशालय   सेक्टर- उद्योग एवं खनन

क्र०सं०	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चालू योजनायें-								
1-	औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन (अवस्त्रीय)	संख्या	8	8	8	1	2	2	2
2-	जिला उद्योग केन्द्र ऋण	संख्या	89	68	68	9	20	10	10
3-	हरिजन एवं कमजोर वर्ग की विशेष औद्योगिक सहकारी समितियों को अंशपूँजी ऋण	संख्या	2	3	3	1	1	1	2
4-	एकीकृत मार्जिन मनी	संख्या	19	83	83	3	15	15	15
5-	हस्तशिल्प सहकारी समितियों का गठन	संख्या	6	4	4	-	1	1	1
6-	कच्चामाल एवं वाणिज्यिक क्रिया योजना	लाभान्वित व्यक्ति संख्या	-	-	-	-	50	30	30
7-	सापड़ी काष्ठकला केन्द्र का पुनर्गठन एवं प्रसार योजना	प्रशिक्षण संख्या	40	18	18	7	10	10	10
8-	अनु०जाति/जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगिकरण योजना	,,	-	-	-	-	30	30	30
9-	उद्यमियों के माध्यम से कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना		100	100	100	100	150	150	100
10-	जिला प्रदर्शनी तथा सेमिनार	संख्या	-	-	-	3	3	3	3
11-	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	संख्या	-	-	-	3	3	3	3

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

विभाग का नाम- हथकरघा (रेशम)   सेक्टर:-

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	रेशम योजना के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों एवं कीट पालकों को प्रशिक्षण योजना	प्रशिक्षणार्थी संख्या	-	40	78	20	20	20	30
2-	रेशम कीट पालन प्रसार योजना के अन्तर्गत माडल बागों एवं शहतूत उद्यानों की स्थापना	1-प्रदर्शन कक्ष की स्थापना संख्या	-	-	1	-	1	1	1
		2-शहतूत क्षेत्रफल एकड़	-	-	5	-	5	5	5
3-	कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षणार्थी	115	95	95	24	25	25	25

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम- पर्यटन निदेशालय सेक्टर:- परिवहन एवं यातायात

क्र०सं०	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ-त्मक स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 87-88 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	उपलब्धि	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आवासीय सुविधायें	संख्या	-	-	-	-	-	-	-

विभाग का नाम- शिक्षा   सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना लक्ष्य	छठी योजना उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(क) प्रारम्भिक शिक्षा:-								
1-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में भवन रहित जू0बे0स्कूलों को भवन निर्माण हेतु अनुदान	भवन	114	114	30	30	25	14	25
2-	प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त सी0बे0स्कूलों का प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण	विद्यालय	10	10	2	2	2	-	2
3-	अशासकीय मान्यता प्राप्त सी0बे0स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान	विद्यालय	10	10	2	2	2	-	2
4-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के सी0बे0स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	भवन	32	32	11	11	11	6	11
5-	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जू0बे0 स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान	वि0	72	72	32	32	35	35	35
6-	जू0बे0स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	किट	621	621	70	70	70	-	70
7-	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्बल वर्गों के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान	छात्र0सं0 संख्या	5600	5600	450	450	350	-	1500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8- ग्रामीण क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के सी0बे0 स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान	विद्यालय	39	39	3	3	3	3	5
9- ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के वय वर्ग 6-14 के वर्ष के बच्चों के लिये अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान	केन्द्र	440	440	100	100	441	441	-
10- प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 रुपये 15/- की दर से 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति	छात्र	-	-	-	-	-	-	195
11- वय वर्ग 6-11 के बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु छात्रवृद्धि अभियान	-	-	-	-	-	-	-	-
12- बेसिक स्कूल के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार	अध्यापक	-	-	2	2	5	-	6
13- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु सी0बे0 स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान	विद्यालय	99	99	20	20	16	"	16
14- ग्रामीण क्षेत्र के सी0बे0 स्कूलों के लिये साजसज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	विद्यालय	94	94	60	60	25	-	25
15- जू0बे0 स्कूलों में साजसज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	विद्यालय	480	430	300	300	320	-	320
16- निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक	पोशाक	14000	15000	1800	1800	1800	-	1800

क्रमशः----3 शिक्षा

①	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-	विद्यालय संकुलों का निर्माण	इकाई	-	"	-	-	194	-	194
18-	बुनियादी बेसिक स्कूलों में प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति तथा जी० बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनुदान	अध्यापक	333	333	-	-	208	-	355
19-	सहायता/सहायता प्राप्त जी०बे० स्कूलों को भवन अनुदान	स्कूल	12	12	2	2	2	-	2
20-	जी०बे०स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	यूनिट	144	144	42	42	42	-	21

विभाग का नाम- माध्यमिक शिक्षा   सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0 मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ग) माध्यमिक शिक्षा								
1- खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों व युवक कल्याण हेतु प्राविधान		–	–	–	1	18	1	1
2- अन्य कार्यक्रम								
(1) संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान		–	–	–	–	2	1	1
(2) राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के भवनों का निर्माण व विद्युतीकरण		–	–	–	–	1	–	1
3- कला संस्कृति व सार्वजनिक पुस्तकालय								
(1) सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान		–	–	.	1	1	1	1
(2) वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना		–	–	..	1	1	1	1

विभाग का नाम- प्रौढ शिक्षा

सेक्टर- सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना		सातवीं योजना 1985-90 का प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक		1986-87		1987-88 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि		उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9
44	प्रौढ शिक्षा-									
	1- ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में अंशकालिक प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	-	-	-		300		300	300	300

जी0एन0-3

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम- प्राविधिक शिक्षा राजकीय पालीटेकनिक

सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि	1987-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	छात्र प्रवेश	राजकीय पाली0 छात्र	90	90	115	86	115	115	115

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

सी0एस0-3

विभाग का नाम- खेलकूद एवं युवा कल्याण सेक्टर सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भिक स्तर	वार्षिक योजना 1985-86 उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	संख्या	800	400	150	130	400	400	450
2-	ग्रामीण खेलकूद केन्द्रों का विकास	संख्या	40	40	2	2	2	2	2

जिला योजना वर्ष 1987-88 जनपद-टिहरी गढ़वाल

विभाग का नाम- चिकित्सा एंव स्वास्थ्य — भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि सेक्टर-सामाजिक एंव सामुदायिक सेवाएं — जी0एस0-3

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र								
2-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	7	7	17	2	2	2	2
3-	प्राथमिक स्वा0उप केन्द्रों की स्थापना	,,	2	2	9	1	1	1	1
4-	उप केन्द्रों का निर्माण	,,	5	5	5	–	10	10	5
5-	उच्चीकरण प्रा0स्वा0केन्द्रों का निर्माण	,,	1	1	1	1	2	2	–
6-	वर्तमान प्रा0स्वा0 केन्द्रों में जलसम्पूर्ति /विद्युतीकरण	,,	–	–	–	–	1	1	1
1-	राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालयों का								
	1- निर्माण	,,	5	5	1	1	2	2	–
	2- स्थापना	,,	15	15	–	–	–	–	–
2-	विशिष्ट चिकित्सा सुविधा (हड्डी अनुभाग) की स्थापना, रेडियोलाजी (ई0एन0टी0)								
	1- पैथालाजी यूनिट की सं0	सं0	2	2	–	2	–	–	–
	2- ई0एन0टी0 यूनिट सं0	,,	1	1	–	1	–	–	1
	3- एनेस्थेसिया यूनिट संख्या	,,	1	1	6	1	–	–	1
	4- रेडियोलाजी	,,	–	–	–	–	–	–	2
	5- हड्डी अनुभाग	सं0	–	–	–	– –	–	–	1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(3) संचारी रोगों की रोकथाम		सं0							
	1-मलेरिया नियन्त्रण								
	2-क्षयरोग औषधियों की व्यवस्था-								
	3-यात्रा मार्गों पर स्वच्छता में व्यवस्था सुधार								
(4) भारतीय चिकित्सा पद्धति									
	1-जिला स्तर पर यूनानी अधिकारी के कार्यालय भवन निर्माण, जीप टेलीफोन आदि की व्यवस्था	सं0	-		-	-	-	-	1-जीप 1-टेलीफोन
	2-आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना	सं0	10	8	54	1	5	5	1
	3-25 शैयाओं युक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना (मयाली)	सं0	-	-	-	-	-	-	1
	4-राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों का उन्नयन	सं0	-	-	-	-	-	-	7
	5-गैर सरकारी औषधालयों को अनुदान	सं0	-	-	-	-	-	-	-
	6-राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों का निर्माण	सं0	-	-	-	-	-	1	2
2- होम्योपैथिक अस्पतालों की स्थापना									
	1-मुन्सिफ सहायता	सं0	-	-	-	-	-	-	-
	2-उपचारिका आवास गृहों के लिए साजसज्जा एवं स्टाफ	,,	-	-	-	-	-	-	-
	3-अस्पतालों के लिए साजसज्जा एवं अन्य आवश्यक सामग्री	,,	-	-	-	-	-	-	-

---3

जी०एन०-3

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम- जल निगम

सेक्टर - सामुदायिक एवं सेवायें

क्र०सं०	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भिक स्तर	1985-86 का वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	ग्रामीण पेयजल योजना योजना	लाभान्वित ग्राम	619	696	1109	117	169	169	125

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास | सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र०सं०	मद	इकाई	छठी योजना 19880-85		सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87		वर्ष 87-88 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	उपलब्धि	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1-चालू योजनायें								
1-	हरिजन पेयजल योजना		276	343	343	29	40	40	50

जी०एन०-3

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास   सेक्टर - सामुदायिक सेवायें

क्र०सं०	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमोदित उपलब्धि	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चालू योजनायें								
1-	निर्बल वर्ग आवास	संख्या	594	594	200	1147	200	200	240

विभाग का नाम- पर्वतीय विकास   भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि   जी०एन०-3

सेक्टर- सामाजिक सेवायें

	आवास स्थलों विकास	आवास संख्या	-	-	-	-	-	-	-

विभाग का नाम- सूचना एवं जनसम्पर्क सेक्टर सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 87-88 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	संशोधित उपलब्धि	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चालू योजना								
1-	सामुदायिक दूरदर्शन योजना के अन्तर्गत टेलीविजन सेटों की स्थापना	संख्या	-	5	9	4	15	15	40

विभाग का नाम- प्रशिक्षण (शिल्पकार)

जिला योजना वर्ष 1987-88

भौतिक लक्ष्य /उपलब्धि

जी0एन0-3

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 87-88 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चालू योजना								
1-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	सं0	-	-	1	-			
2-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	,,	-	-	-	-	-	-	-
	नई योजना								
1-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ग्राम्य औ0प्र0 संस्थानों की स्थापना	,,	-	-	1		1	1	-
2-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार एवं सुदृढीकरण (टिहरी व नरेन्द्रनगर)	,,	-	-	-	-	-	-	-
3-	स्वीकृत सीटों की संख्या	,,	-	-	-	-	262	252	-

भौतिक लक्ष्य /उपलब्धि

जी0एस0-3

विभाग का नाम- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन — सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	नई योजना								
1-	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना	सं0	-	-	-	-	-	-	1

जिला योजना वर्ष 1987-88

विभाग का नाम- विमुक्त बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना   सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं   जी0एन0-3

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना के प्रारम्भ का स्तर 1985-90	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वासन	सं0	1786	1786	1786	237	159	159	-

जिला योजना बर्ष 1987-88 जनपद-टिहरी गढ़वाल जी0एन0-3

विभाग का नाम-हरिजन एवं समाज कल्याण भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	बर्ष 1986-87 लक्ष्य	बर्ष 1986-87 सम्भावित उपलब्धि	बर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) चालू योजनायें									
अनुसूचित जाति का कल्याण									
1	**शैक्षिक कार्यक्रम :-**								
(1)	कक्षा 1 से 5 तक (प्राइमरी स्तर)	छात्र सं0	1249	1249	6000	900	900	900	1000
(2)	कक्षा 6 से 8 तक (जूनियर स्तर)	,,	1800	3450	3450	156	371	400	500
2-	अनुसूचित जाति के छात्रों को अपॉरच्युनिटि कास्ट	परिवार	311	311	725	-	145	-	145
3-	पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को पुरूस्कार	छात्र	32	12	12	-	17	10	17
4-	विभाग द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों /पुस्तकालयों एवं पाठशालाओं का सुधार, विस्तार	छात्रावास	1	1	1	1	1	1	1

---2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आर्थिक उत्थान								
(1) कृषि बागवानी अनुदान	सं0	201	201	360	30	60	60	70
(2) लघु कुटीर उद्योग अनुदान	,,	285	285	350	30	70	70	77
योग:-	,,	486	486	710	60	130	130	147
स्वास्थ्य आवास एवं अन्य योजनाएं								
1- गृह निर्माण मरम्मत हेतु अनुदान	आवास	80	80	80	26	20	20	25
क- अन्य पिछड़ी जाति								
शैक्षिक कार्यक्रम:-								
छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तक हेतु अनावर्तीय सहायता ।								
1- कक्षा 1 से 5 तक (प्राईमरी स्तर)	छात्र	18	18	18	-	540	54	90
2- कक्षा 2 से 8 तक (जूनियर स्तर)	,,	124	124	124	72	385	100	110
योग:-	,,	142	142	142	72	925	154	200

विभाग का नाम- जनजाति विकास

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
सैक्टर -सामाजिक एंव सामुदायिक सेवाएं

जी0एन0-3

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85		सातवीं योजना 1985-90	1985-86	वर्ष 1986-87		वर्ष 87-88
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रारम्भ का स्तर	वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जनजाति क्षेत्रों का विकास								
	अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को कृषि बागवानी तथा कुटीर उद्योगों के लिए अनुदान	सं0	621	621	621	113	35	35	35

जिला योजना बर्ष 1987-88 जनपद-टिहरी गढ़वाल सी0एस0-3

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम- समाज कल्याण

सेक्टर-

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	बर्ष 1986-87 लक्ष्य	बर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	बर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	निर्धन एवं निराश्रित महिलाओं के पुर्नवासन हेतु सिलाई, कढाई, बुनाई, मशीन क्रय हेतु अनुदान	सं0	172	172	36	–	38	30	60
2-	समन्वित बाल विकास परियोजना	,,	3	3	3	–	–	–	–
3-	निराश्रित विधवा भरण पोषण हेतु अनु0	,,	1317	1317	1317	2000	1317	1317	2000
4-	शारीरिक रूप से अक्षम विकलांग छात्रों को कक्षा 8 तक शिक्षा वृत्तिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अनुदान छात्र	,,	16	16	8	–	20	20	30
5-	शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से अक्षम विकलांग अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति	,,	–	–	–	–	20	20	30
6-	शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांगों को कृत्रिम अंग तथा श्रवण यन्त्र आदि क्रय करने हेतु अनुदान	,,	–	–	–	–	5	5	5
7-	निराश्रित विकलांगों को भरण पोषण हेतु अनुदान	व्यक्ति	276	276	276	500	276	276	500

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

विभाग का नाम- सैनिक कल्याण

सेक्टर-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना लक्ष्य	छठी योजना उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 प्रत्याशित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	नये टिहरी नगर में नये सैनिक कल्याण कार्यालय हेतु भवन तथा सैनिक विश्राम गृह का निर्माण	सं0	-	-	-	-	2	2	-
2-	चम्बा " " " " "		-	-	-	-	-	-	1

भौतिक लक्ष्य /उपलब्धि

विभाग का नाम- पुष्टाहार

सेक्टर- सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं

जी0स0- 3

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 80-85 लक्ष्य	छठी योजना 80-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम								
क-	शिक्षा विभाग								
	1-6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों तथा धात्री महिलाओं को पुष्टाहार (लाभार्थी सं0)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	समाज कल्याण								
1-	पूरक पुष्टाहार कार्यक्रम लाभान्वित महिला/बच्चे	हजार	-	-	-	-	16	-	25 /16

विकेन्द्रित जिला योजना वर्ष 1987-88

-:: ऑपरेशन डाक्यूमेंट प्लान ::-

//विषय-सूची//

परिव्यय/भौतिक लक्ष्य

क्र0सं0	विभाग	पृष्ठ सं0
1	2	3
1-	कृषि विभाग	1
2-	उद्यान एवं फलोपयोग	2
3-	लघु सीमान्त कृषकों को उत्पादन वृद्धि हेतु वित्तीय सहायता	3
4-	भूमि संरक्षण	3
5-	पशुपालन	4
6-	वन विभाग	5
7-	ग्राम्य विकास-आई0आर0डी0/अतिरिक्त आई0आर0डी0	6
8-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	6
9-	युवोन्मुख कार्यक्रम	6
0-	पंचायत	7
1-	प्रान्तीय विकास दल	7
2-	ग्राम्य विकास	7
3-	सहकारिता	8
4-	निजी लघु सिंचाई	9
5-	राजकीय सिंचाई	9
6-	विद्युत	9
7-	उद्योग	10
8-	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग (रेशम)	10
9-	प्राथमिक शिक्षा	11-12
20-	माध्यमिक शिक्षा	12
21-	प्रौढ़ शिक्षा	13
22-	प्राविधिक शिक्षा	13
23-	खेलकूद	13
24-	जल निगम	13
25-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	14
26-	हरिजन पेयजल योजना	15
27-	आवास स्थलों का विकास	15
28-	निर्बल वर्ग आवास	15
29-	सूचना एवं जनसम्पर्क	15
30-	शिल्पकार प्रशिक्षण	16
31-	सेवा योजन	16
32-	हरिजन एवं समाज कल्याण	17-18
33-	समाज कल्याण	18
34-	पुष्टाहार (समाज कल्याण)	18

पाल

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एक दृष्टि में)

1987–88

..ं	विभाग का नाम	कुल परिव्यय वर्ष 1987–88	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 1987–88 का परिव्यय	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1–	कृषि विभाग	1815	202•40	11•1
2–	उद्यान एवं फलोपयोग	2442	321•00	13•1
3–	लघु सीमान्त कृषकों को सहायता	2500•00	500•00	20
4–	भूमि संरक्षण	5520	1200	22
5–	पशुपालन	4327	138•00	3•1
6–	मत्स्य	4285	400•00	9•3
7–	वानिकी	4735	490•00	
8–	आई0आर0डी0/अतिरिक्त आई0आर0डी0	7865•5	2360	30
9–	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	3647•6	729•5	20
10–	सुखोन्मुख कार्यक्रम	2250	450	20
11–	पंचायतराज	556	56•00	10
12–	प्रादेशिक विकास दल	837	100•00	11 9
13–	ग्राम्य विकास (प्रसार एवं प्रचार)	8791	112•00	15
14–	जिला परिषदों को अनुदान एवं विकास खण्डों को अनुदान	1333 12[illegible]	255•00 24[illegible]•00	13 2[illegible]
5–	सहकारिता	*585	300•00	19
6–	निजी लघु सिंचाई	3325	300•00	9
7·	राज्य सिंचाई	15000	3530•00	23•5

----क्रमशः ---2

2		3	4	5
8-	विद्युत विभाग	22880	4756·00	20
9-	उद्योग विभाग	1252·6	187·20	15
0-	हथकरघा	163	4·5	3
1-	पर्यटन	100·0	20·00	20
2-	(अ) प्राथमिक शिक्षा	14269	3964·00	27·7
	(ब) माध्यमिक शिक्षा	85	–	–
	(स) प्रौढ शिक्षा	1073	536·00	50·0
23-	प्राविधिक शिक्षा	1000	200·00	20
24-	खेलकूद	33·2	3·00	10
25-	चिकित्सा	6291	2638·00	42
26-	जल निगम	50000	9300·00	18·6
27-	हरिजन पेयजल योजना	1000	1000·00	100
28-	आवास स्थल विकास	60	48·00	80
29-	निर्बल वर्ग आवास	720	576·00	80
30-	सूचना	120	12·00	10
31-	शिल्पकार प्रशिक्षण	4154	747·00	18
32-	सेवायोजन	170	34·00	20
33-	श्रम कल्याण	–	–	–
34-	अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का कल्याण	643	614	95·5
35-	जनजाति विकास	55	–	–
36-	समाज कल्याण	2747	549·00	20
37-	सैनिक कल्याण	1030	–	–
38-	पुष्टाहार	770	220·00	28·6
	= योग:-	181184·9	37092·6	20·5

वर्ष 1987-88 का जिला योजना में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- कृषि विभाग

क्र०सं०	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 का अनुमानित परिव्यय तथा लक्ष्य		मांगाकृत धनराशि का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चालू योजनायें:-							
1-	पर्वतीय क्षेत्र में दलहन के उत्पादन की सघन खेती की योजना	5	300	5·00	500	7·00	700	20
2-	पर्वतीय क्षेत्र में सुगम परिवहन हेतु 10 किग्रा० उर्वरक पैकेट की व्यवस्था	7	400	20·00	1000	23·00	12·00	30
3-	पर्वतीय क्षेत्र में पौधा सुरक्षा सेवा सुदृढ़ीकरण की योजना	20	802	55·00	1500	61·00	17·00	25
4-	पर्वतीय क्षेत्र में तिलहन विकास योजना	-	-			56·40	1500	20
5-	पर्वतीय क्षेत्र में सघन कृषि एवं बागवानी योजना	-	-	50·00	500	55·00	550	25
	योग:-	32·00	-	130·00		202·40		[illegible]

[illegible]

क्र.सं०	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 का अनुमानित परिव्यय व लक्ष्य		वास्तुकृत धनराशि का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि कृषक हित में	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि कृषक हित में	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	फल पौधा तुब्जी बीज पौधा आदि के परिवहन पर राजसहायता	-	-	23.10	-	29.00	-	20
2-	औद्यानिक फसलों एवं कीट व्याधियों की रोकथाम हेतु पौधा सुरक्षा कार्य पर राज सहायता	-	-	28.00	100 कास्तकार	28.00	100 कास्तकार	20
3-	कृषि अधिकारियों एवं सेवारत कर्मचारियों को औद्यानिक प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-
4-	दीर्घकालीन औद्यानिक फसल विस्तरण	-	-	231.20	130 कास्तकार	210.00	45 हे०	21
5-	औद्यानिक पौधों के विस्तरण पर राजसहायता	-	-	2.00	96	3.00	60	20
6-	सब्जी एवं आलू की फसल पर करमुना कीट के विरुद्ध रोकथाम पर राजसहायता	-	-	15.00	150 हे०	10.00	100 हे०	20
7-	सब्जी बीज एवं आलू बीज सम्वर्द्धन एवं प्रमाणीकरण	-	-	10.50	52 कास्तकार	39.00	250/12 कु०/हे०	20
	योग:-	-	-	309.80	-	321.00	-	12.1

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग

क्र०सं०	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 का अनुमानित परिव्यय व लक्ष्य		पात्राकूल धनराशि का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	भौतिक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	लघु सीमान्त कृषकों की उत्पादन वृद्धि हेतु सहायता योजना	-	-	500	-	500	-	20
	योग:-	—	—	500	-	500	-	20

विभाग का नाम- भूमि संरक्षण:-

क्र०सं०	मद का नाम	3	4	5	6	7	8	9
1-	भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	24·9	5·9	100·00	20 हे०	400	40 हे०	22
2-	भूमि संरक्षण अधिकारी, टिहरी।	11·9	2·9	100·00	20 हे०	400	40 हे०	22
3-	भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर	-	-	100·00	20 हे०	400	40 हे०	22
	योग:-	36·8		300·00		1200		21·7

विभाग का नाम- पशुपालन

क्र०सं०	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		वर्ष 1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 प्रस्तावित परिव्यय व लक्ष्य		पात्राद् अन्तर्ग का प्र
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चालू योजनायें:-							
1-	माहपका/खुरपका रोग की रोकथाम की योजना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	10	1	5	1	3	1	20
2-	ऐन्टीरैबीज वायरस रोग की रोकथाम हेतु ऐन्टीरैबीज वैक्सीन का क्रय	5	800	5	200	5	100	20
3-	"ऐ" तथा "बी" श्रेणी के पशुओं के चिकित्सालयों में अतिरिक्त दवाई एवं साज सज्जा की व्यवस्था	5	1400	5	2000	5	2000	13
4-	सांडों का [illegible] की योजना	5	4	10	2	10	4	25
5-	नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना	84	-	86	-	98	-	20
6-	संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पोषाहार एवं कुक्कुट उत्पादन कार्यक्रम	2	-	2	-	1	-	25
7-	परजीवियों के आक्रमणों से बचाने के लिये भेडों को सामूहिक रूप से दवा पिलाना	20	7	14	7	14	7	20
8-	ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु/भेड प्रदर्शनी का आयोजन	1	-	1	-	2	-	20
	योग:-	132	-	128	-	138	-	6

विभाग का नाम- वन विभाग

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 का अनुमानित परिव्यय व लक्ष्य		मात्रा/धनराशि का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे पथ वृक्षारोपण	87	10 रो0कि0मी0	35	8 रो0कि0मी0	82	10 रो0कि0मी0	15
2-	ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण	322	150 हे0	200	1 लाख पौधा उगाना 40 हे0वृ0रो0 40 हे0अ0मृ0का0	408	157 हे0वृक्षारोपण 157 हे0अ0मृ0का	15
	योग:-	409		235		490		10

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास अभिकरण

क्र0सं0	पद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 का अनुमानित परिव्यय व लक्ष्य		मात्रात्मक धनराशि का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	आई आर0डी0	1068	1038	1696·00	690	1696	690	30
2-	अतिरिक्त आई0आर0डी0	536	1785	664·00	1350	664	1350	30
	योग:-	1604	-	2360·00	-	2360		30

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास:-

क्र0सं0	पद का नाम	3	4	5	6	7	8	9
1-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	277	99000 मानव दिवस	663	58000 मा0दि0	729·5	63000 मा0दि0	20
		277		663		729·5		20
1-	गुणोन्मुख कार्यक्रम	171	-	450	-	450	-	20
	योग:-	171		450		450		20

विभाग का नाम- पंचायत

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 का प्रस्तावित परिव्यय व लक्ष्य		मात्राकृत धनराशि का सम्बद्ध प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	पंचायत विभाग	-	-	-	-	56	-	10
	योग:-	-	-	-	-	56	-	10

विभाग का नाम- प्रादेशिक विकास दल:-

क्र0सं0	मद का नाम	3	4	5	6	7	8	9
1-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
2-	युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन	-	-	16·00	16	56·00	56 सं0	40
3-	स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण	-	-	24·00	60	44·00	100 सं0	40
	योग:-					100·00		11·9

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास

क्र0सं0	मद का नाम	3	4	5	6	7	8	9
1-	प्रचार एवं प्रसार	-	-	-	-	-	-	-
2-	विकास खण्ड भवनों का निर्माण	-	-	-	-	-	112	15
	योग:-		-			-	112	15

विभाग का नाम- सहकारिता

क्र०सं०	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 का अनुमानित परिव्यय व लक्ष्य		मात्रात्मक लाभान्वित का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	सहकारी बैंक शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान	-	-	10·00	1 सं०	-	-	14·5
2-	निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अंश क्रय हेतु ब्याज रहित मध्यकालीन ऋण	-	-	~~10000-~~ 10·00	~~100~~ 100 व्य०	40·00	80 व्यक्ति	10
3-	प्राथमिक ऋण समितियों के सचिवों को वेतन हेतु अनुदान	-	-	30·00	10सं०	30·00	10 सं०	10
4-	जड़ी बूटी विपणन संग्रहण हेतु पैक्स को प्रबन्धकीय अनुदान	-	-	10·00	2 सं०	40·00	8	20
5-	नई सोयाबीन समितियों को अनुदान/ऋण/अंशपूँजी	-	-	-	-	10·00	1	25
6-	ग्रा०कृ० ऋण समिति को केरा खण्ड केरी के आधार पर उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन	-	-	-	-	30·00	2	20
7-	ग्रा०कृ०ऋण समिति (पैक्स) व्यवसाय हेतु सीमान्तधन	-	-	-	-	60·00	1	20
8-	लैम्पस को जड़ी बूटी संग्रहण हेतु अनुदान	-	-	-	-	20	2	20
9-	लैम्पस को जड़ी बूटी संग्रहण हेतु अंशपूँजी	-	-	-	-	50	2	20
10-	भेषज भंडारों को गोदाम किराया अनुदान	-	-	-	-	20	1	40
	योग:-	-	-	60·00	-	300·00		19

1	2	व्यय तथा उपलब्धि: वास्तविक व्यय (3)	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित (4)	व्यय तथा उपलब्धि [illegible]: अनुमानित व्यय (5)	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित (6)	[illegible]: अनुमानित परिव्यय (7)	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित (8)	[illegible] का प्रतिशत (9)
1-	कूप	-	1 हौज संख्या	125	20	50	10	20
2-	अनुवेधन	-	2 मूल किमी0	25	1·5	30	2	20
3-	छोटे उपकरण संयंत्र							
4-	हाईड्रम		3- सिंचन हेक्टे0	-	25	220	30	
			क्षमता का	"	-	-	-	7·5
5-	[illegible] योजना का [illegible]करण	-	सृजन	-	-	-	-	
	योग:-			150	-	300	-	9·0

विभाग का नाम- राजकीय सिंचाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-								
1-	राजकीय सिंचाई [illegible] नहरें	1000	30	2720·00	91·40 हे0	3530·00	25·40	23·5
	योग:-	1000	30	2720·00	91·40	3530·00	25·40	23·5

विभाग का नाम- विद्युत

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	ग्रामों का विद्युतीकरण	-	-	-	-	-	-	-
2-	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	4827·00	130	4160·00	104	4576	104	20
	योग:-	4827·00	130	4160·00	104		104	20

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 का अनुमानित परिव्यय व लक्ष्य		[illegible] का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	जिला उद्योग केन्द्र ऋण/मार्जिन मनी ऋण	50·00	2 सं0	30·00	2·00	40·00	2 सं0	40
2-	एकीकृत मार्जिन मनी ऋण	–	–	20	2 सं0	60·00	5 सं0	10
3-	हरिजन एवं कमजोर वर्ग की [illegible] औद्योगिक सहकारी समितियों को अंशपूंजी ऋण	18·00	1 सं0	18·00	1 सं0	36·00	2 सं0	100
4-	उद्यमियों [illegible] पाठ्यक्रम से कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	30;70	53	44·00	40 सं0	44·00	40	73
5-	अनु0जाति/जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगीकरण की योजना	– ~~98·70~~	–	7·20	12 सं0	7·20	12	10
	योग:-	98·70		119·2		187·2		+5·

विभाग का नाम- हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग (रेशम)

1-	रेशम योजना के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों एवं कीटपालकों का प्रशिक्षण	1·4	7 सं0	3·00	10 सं0	4·5	15	50
2-	रेशम कीटपालन प्रसार योजना के अन्तर्गत चाउल चौकी एवं शहतूत उद्यानों की स्थापना	–	–	–	–	–	–	–
	योग:-	1·4		3·00		4·5		3

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 का अनुमानित परिव्यय व लक्ष्य		मात्राकृत आच्छादित का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	400·00	8 भवन	653·00	7 भवन	653·00	7 भवन	26
2	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	360·00	2 भवन	720·00	4 भवन	720·00	4 भवन	36
3-	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित ज0हा0 स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान	845·00	8 विद्यालय	1780·00	14	1780·00	14 वि0	37
4-	जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार तथा विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	14·00	24 किट	16·00	26 किट	16·00	26 किट	38
5-	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या वृद्धि तथा उन्हें स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तक वितरण	58·00	580 सेट	28·00	280 सेट	28·00	280 सेट	40
6-	ग्रामीण क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के सी0बे0 स्कूल खोलने हेतु अनुदान	357·00	2 विद्यालय	390·00	1 वि0	390·00	1 वि0	31
7-	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के वयवर्ग 6-14 के बालकों के लिये अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान	465·51	80 केन्द्र	394·00	265 केन्द्र	394·00	265 केन्द्र	69
8-	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु सी0बे0 स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंकों की स्थापना	18·00	14	12·00	10 वि0	12·00	10 वि0	60

क्रमशः--- शिक्षा विभाग

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9-	ग्रामीण क्षेत्रों के सी0ए0स्कूलों के लिये काष्टोपकरण/साजसज्जा हेतु अनुदान	24·00	8 वि0	30·00	10 वि0	30·00	10 वि0	40
10-	यू0ए0स्कूलों के काष्टोपकरण साजसज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	80·00	30 वि0	128·00	128 वि0	128·00	128 वि0	40
11-	निर्धन वर्ग के बच्चों को पोशाक वितरण	144·00	440	108·00	1080	108·00	1080 पो0	60
12-	छात्र संख्या अनुपात कम करने हेतु जूनियर/सीनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति	-	-	9·00	48 अध्यापक	9·00	48 अ0	9
13-	सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान तथा गृह-विज्ञान शिक्षण हेतु अनुदान	30·00	16 किट	90·00	18 किट	90·00	18 किट	86
	योग:-	2795		4350		5964		27·9

(ब) माध्यमिक शिक्षा:-

1-	माध्यमिक शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-
	योग:-	-	-	-	-	-	-	-

क्र०सं०	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 का अनुमानित परिव्यय व लक्ष्य		प्रस्तावित धनराशि का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	प्रौढ़ शिक्षा	-	-	192	150	536	150	50
	योग:-	-	-	192	150	536	150	50
	विभाग का नाम- प्राविधिक शिक्षा-							
1-	प्राविधिक शिक्षा-	-	-	-	-	200·00	-	20
	योग:-	-	-	-	-	200·00	-	20
	विभाग का नाम- खेलकूद-							
1-	खेलकूद	-	-	-	-	300·00	-	10
	योग:-	-	-	-	-	300·00	-	10
	विभाग का नाम- जल निगम-							
1-	ग्रामीण पेयजल योजना	5838·00	77 हरि०ब०	10000	84 हरि०ब०	7500	54 ह०ब०	15
	योग:-	5838·00	77	1000		7500		15

क्र०सं०	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 वास्तविक परिव्यय व लक्ष्य		मात्राकृत धनराशि का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	550	-	200	-	20000·00	-	100
2-	प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण	555	-	-	-	150·00	3	60
3-	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण	-	-	100	-	150·00	-	15
4-	यात्रा [illegible] पर स्वच्छता [illegible]	-	-	- 5	-	20·00	-	5
5-	प्राथमिक [illegible] केन्द्रों की स्थापना	-	-	-	-	125	1	47
	होम्योपैथिक सेवायें							
1-	होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना	-	-	-	-	20·00	1	100
2-	अतिरिक्त होम्योपैथिक की व्यवस्था	-	-	3·00	-	3·00	-	30
	आयुर्वेदिक चिकित्सा							
1-	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना	-	-	-	-	170	1	100
	योग:-	1105		308		2638		42

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 वास्तविक परिव्यय व लक्ष्य		मात्राकृत अनुपूर्ति का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	हरिजन पेयजल योजना	597	29	800·00	40 डिग्गी	1000·00	50	100
	योग-	597		800·00		1000·00		100
पर्वतीय विकास विभाग-								
1-	आवास स्थलों का विकास	60·00	-	48·00	-	48·00	-	80
	योग:-	60·00		48·00		48·00		80
ग्राम्य विकास-								
1-	निर्बल वर्ग आवासीय योजना	1973·000	,140	600·00	200	576	240	80
	योग:-	1973·00		600·00		576		80
विभाग का नाम- सूचना एवं जनसम्पर्क								
1-	सामुदायिक दूरदर्शन योजना	-	-	4·00	1 टी0वी0	12·00	1 टी0वी0	10
	योग:-	-	-	4·00		12·00		10

विभाग- कृषि-

क्र०सं०	2	3	4	5	6	7	8	9
5-	कृषि एवं बागवानी अनुदान	30	30	60	60	65	70	100
6-	कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	30	30	70	70	77	77	100
7-	गृह निर्माण/विस्तार	50	26	70	20	77	26	100
	योग:-	300		571		614		100

विभाग का नाम- समाज कल्याण-

1-	समाज कल्याण	-	-	245		549		20
	योग:-	-	-	245		549		20

विभाग का नाम- पुष्टहार एवं समाज कल्याण

1-	पुष्टहार समाज कल्याण	-	-	175	-	154	-	20
	योग:-	-	-	175		154		20

विकेन्द्रित जिला योजना वर्ष 1987-88

ट्राइबल सब प्लान

विषय-सूची

परिव्यय/भौतिक लक्ष्य

क्र0 सं0	विभाग	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1-	कृषि विभाग	1
2-	उद्यान एवं फलोद्योग	1
3-	लघु सीमान्त कृषकों को उत्पादन बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता	2
4-	भूमि संरक्षण	2
5-	मत्स्य	2
6-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	2
7-	पशुपालन	3-4
8-	प्रादेशिक विकास दल	5
9-	एकीकृत ग्राम्य विकास	5
10-	सूखोन्मुख	5
11-	पंचायती राज	6
12-	ग्राम्य विकास, विकास खण्ड भवनों का निर्माण	6
13-	जिला परिषद एवं विकास खण्डों को अनुदान	6
14-	सहकारिता	7
15-	निजी लघु सिंचाई	7
16-	राजकीय सिंचाई	8
17-	विद्युत विभाग	8
18-	उद्योग	9
19-	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	9
20-	पर्यटन	9
21-	प्राथमिक शिक्षा	10-11
22-	माध्यमिक शिक्षा	11
23-	प्रौढ़ शिक्षा	11
24-	प्राविधिक शिक्षा	11
25-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	12
26-	खेलकूद एवं युवा कल्याण	12
27-	जल निगम	12
28-	हरिजन पेयजल	13
29-	निर्बल वर्ग आवास	13
30-	आवास स्थलों का विकास	13
31-	सूचना एवं जन सम्पर्क	13
32-	शिल्पकार प्रशिक्षण	14
33-	सेवा योजन	14
34-	वानिकी	14
35-	हरिजन एवं समाज कल्याण अनुसूचित जाति का कल्याण	15
36-	जनजाति का विकास	15
37-	समाज कल्याण	15

* * * * *

1	2	कुल परिव्यय वर्ष 1987-88 3	ट्राइबल सब प्लान का परिव्यय 1987-88 4	प्रतिशत 5
1-	कृषि विभाग	1815	97·00	5·34
2-	उद्यान एवं शलोपयोग	2442	65·00	3·6
3-	लघु सीमान्त कृषकों को सहायता	2500·00	250·00	10
4-	भूमि संरक्षण	5520	552	10
5-	पशुपालन	4327	282·5	4·4
6-	मत्स्य	4285	429	10·1
7-	खनिकी	4735	1300	27·5
8-	आई0आर0डी0/अतिरिक्त आई0आर0डी0	7865·5	786	10
9-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	3647·6	331·6	10
10-	सुखोन्मुख कार्यक्रम	2250	-	-
11-	प्रादेशिक विकास दल	837	29	3·5
12-	पंचायतराज	556	56	10
13-	ग्राम्य विकास (प्रचार एवं प्रसार) विकास खण्डों के निर्माण	8791	417	4·7
14-	जिला परिषदों को अनुदान	1888	240	12·7
	विकास खण्डों को अनुदान	1200	120	10
15-	सहकारिता	1585	142	19
16-	निजी लघु सिंचाई	3325	85	2·6

1	2	3	4	5
17-	राज्य सिंचाई	15000	1900	12·7
18-	विद्युत	22880	4620	20
19-	उद्योग	1252·6	90	7·2
20-	हथकरघा	163	60	36·8
21-	पर्यटन	100	10	10
22-	प्राथमिक शिक्षा	14269	1521	10·7
	माध्यमिक शिक्षा	85	-	-
	प्रौढ शिक्षा	1073	215	20
23-	चिकित्सा	6291	373	5·9
24-	प्राविधिक शिक्षा	1000	-	-
25-	खेलकूद	33·2	3·3	10
26-	जल निगम	50000	6500	13
27-	हरिजन पेयजल	1000	100	10
28-	आवास स्थल विकास	60	6	10
29-	निर्बल वर्ग आवास	720	72	10
30-	सूचना	120	12	10
31-	शिल्पकार प्रशिक्षण	4154	415	10
32-	सेवा योजन	170	170	100
33-	श्रम कल्याण	-	-	-
34-	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति का कल्याण	643	74	11·5
35-	जनजाति विकास	55	55	100
36-	समाज कल्याण	2747	275	10
37-	पुष्टाहार	770	-	-
38-	सैनिक कल्याण	1030	-	-
	योग:-	181184·9	21653·4	11·9

जनपद-टिहरी गढ़वाल

वर्ष 1987-88 की जिला योजना में ट्राइबल सब प्लान

परिव्यय एवं उपलब्धि

(हजार रुपयों में)

विभाग का नाम- कृषि विभाग

क्र०सं०	मद का नाम	वर्ष 1985-86 का वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि		1986-87 का अनुमानित व्यय तथा उपलब्धि		1987-88 का अनुमानित परिव्यय एवं लक्ष्य		मात्राकृत धनराशि का प्रतिशत
		वास्तविक व्यय	वास्तविक उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित व्यय	अनुमानित उपलब्धि इकाई सहित	अनुमानित परिव्यय	अनुमानित लक्ष्य इकाई सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डों में अधिक उपजाई प्रजाति के अन्तर्गत बीज विनिमय की योजना	50·00	292	58·00	330 कुन्तल	6400	320 कुन्तल	100
2-	पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डों में कम्पोनेन्ट उर्वरक प्रदर्शन की योजना	26·16	32·7/327 हे०	30·00	33·8/338 हे०	33·00	37/370 सं०/ हे०	100
	योग-	76·16		88·00		97·00		5·34

विभाग का नाम- उद्यान एवं फलोपयोग-

क्र०सं०	मद का नाम	3	4	5	6	7	8	9
1-	जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में उद्यान फल एवं सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन देने की योजना	6·0	60 काश्तकार	60	60 काश्तकार	65	650 काश्तकार	100
	योग:-	6·0	60	60	60	65	650	3·6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4- भेड तथा ऊन विकास								
(1) भेडों को परजीवी कीटाणुओं से बचाने के लिये इन्हें सामुहिक रूप से दवा पिलाना	5	7 भेड	5	7 भेड	5	7 भेड	7·1
5- अन्य पशुधान विकास-								
(1) पशुधान विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के प्रचार की योजना	2·5	1 प्रद0	2·5	1 प्रद0	2·5	1 प्रद0	25
नई योजना:-								
1- पशु चिकित्सालयों सेवायें एवं स्वास्थ्य								
(क) पशु चिकित्सालयों की स्थापना	–	–	30	1	55	–	16
(ख) पशुसेवा केन्द्रों की स्थापना	–	–	12	2	20	–	12·8
(ग) पशु चिकित्सालयों पर टेलीफोन की व्यवस्था (प्रत्येक विकास खण्डों के स्तर के पशुचिकित्सालयों पर)	–	–	3	1	3	1	10
2- पशु विकास-								
(1) पर्वतीय क्षेत्रों में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना तथा सांड परिचर का प्राविधान	–	–	17	1	30	1	65
(3) स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत स्थापित नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों का पशुपालन विभाग को हस्तातरित	–		–	–	15	1	60
3- भेड तथा ऊन विकास-								
(1) पर्वतीय क्षेत्रों में नये भेड एवं ऊन								

- 4 -

विभाग का नाम- प्रादेशिक विकास दल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-ग्रामीण खोलकूद		-	-	4.0	3	4.0	3	10
2- युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन		-	-	4.0	4	14	4	10
3- स्वयं सेवकों को सुदृढीकरण		-	-	6.0	15	11.0	15	10
योग:-		-	-			29	22	3.5

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग-

1- आई० आर० डी०	430	848		565	680	565	680	10
2- अतिरिक्त आई०आर०डी०	215.5			221		221		10
योग:-	645.5			786		786		10

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग-

1- उद्योन्मुख कार्यक्रम		-	-	-	-	-	-	-
योग:-		-	-	-	-	-	-	-

विभाग का नाम- पंचायतीराज

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	पंचायत	-	-	-	-	56	-	10
	योग:-	-	-	-	-	56	-	10

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास-

1-	विकास खण्ड भवनों का निर्माण	-	-	-	-	417	1	4.7
	योग:-	-	-	-	-	417	1	4.7

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास-

नई योजना-

1-	जिला परिषदों को भवन एवं मुद्रालय निर्माण हेतु	-	-	-	-	240	2 भवन	12.7
2-	विकास खण्डों को लघु विकास कार्यों हेतु अनुदान	-	-	-	-	120	-	10
	योग:-	-	-	-	-	360	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- ऋण एवं अधिकोषण योजना-								
(अ) अनुसूचित जनजाति/अनुजाति को ~~अल्पकालीन~~ अंश क्रय हेतु ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण		4·00	40 व्यक्ति	20·00	200	40·00	400	100
2- क्रय विक्रय एवं भण्डारण योजना:-								
(अ) पैक्स को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन		-	-	10·00	2 सं०	75·00	5 -	50
(ब) क्रय विक्रय समितियों को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु सीमान्त धनराशि		-	-	10·00	1 सं०	2·0	-	20
3- जड़ी बूटी एवं भेषज विक्रय योजना-								
(अ) पैक्स को जड़ी बूटी संग्रहण हेतु प्रबन्धकीय अनुदान		40·00	4 सं०	20·00	4 सं०	20·00	4 सं०	10
(ब) पैक्स को जड़ी बूटी संग्रहण हेतु अंशपूँजी		100·00	10	20·00	4	5·00	1 सं०	10
	योग:-	144·00	-	80·00		142·00		9
विभाग का नाम- निजी लघु सिंचाई-								
1- ऋण		53·00	(1) 5 हौज	45	10 हौज	25·00	10 हौज	10
2- अनुदान		30·00	(2) 2·5 कि०मी०	25	1·5 कि०मी० गूल			
			(3) 15·0 हेक्टे० सिंचन		18.0 सिंचन क्षमता	5·00	2·00 कि०मी० 30·00 हे० सिंचन क्षमता	10
3- हाईड्रम योजना का सुदृढीकरण		-	-	-	45·00	-	-	12

विभाग का नाम- राजकीय सिंचाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- 13·70	कि0मी0 पर्वतीय नहरें	660·00	30·00(हे0)	500·00	30 (हे0)	400·00	15 (हे0)	100
2- 12·00	,,	700·00	40 "	500·00	12 "	400·00	15 "	100
3- 13·00	,,	170·00	7·00 "	500·00	20 "	800·00	30 "	100
4- 10·50	,,	-	-	200·00	6·00 "	300·00	10 "	100
योग-		1530·00		1700·00		1900·00		12·7

विभाग का नाम- विद्युत विभाग-

1- ग्रामों का विद्युतीकरण	1664	28 सं0	4200	39 सं0	4620	22 सं0	20
2- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण- ~~1664~~-		28 "		36 "		20 "	
योग:-	1664	-	4200	-	4620	-	20

विभाग का नाम- उद्योग विभाग

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	जिला उद्योग केन्द्र ऋण/मार्जिन मनी ऋण	40·00	2	20·00	10	20·00	2	20
2-	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगिकरण की योजना का विस्तार	64·90	-	70·00	30 संस्था	70·00	30 संस्था	100
	योग:-	104·90	-	90·00		90·00		7·2

विभाग का नाम- हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	कालीन बुनाई केन्द्रों की स्थापना-		-	60	25	60	25	100
	योग:-			60	25	60	25	36·3

विभाग का नाम- पर्यटन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	पर्वतीय क्षेत्रों में ऋण अनुदान की योजना	-	-	-	-	10·00	-	10
	योग:-	-	-	-	-	10·00	-	10

विभाग का नाम- प्राथमिक शिक्षा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में भवन रहित जू०बेसिक स्कूलों के लिये भवन निर्माण अनुदान	350	6	187	2	187	2	8
2-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के सी०बे०स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	360	2	180	1	180	1	9·1
3-	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जू०बे०स्कूल खोलने हेतु अनुदान	528	5	604	4	604	4	12·7
4-	जू०बे०स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं सज्जा हेतु अनुदान	3	5	6	10	6	10	14·3
5-	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण	14	-	7	70	7	70	
6-	ग्रामीण क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के सी०बे०स्कूल खोलने हेतु अनुदान	238	1	328	1	328	1	23·0
7-	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध कराने हेतु सी०बे०स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंकों की स्थापना	7	-	15	3	15	3	75
8-	ग्रामीण क्षेत्रों के सी०बे०स्कूलों के लिये काष्ठोपकरण/साजसज्जा हेतु अनुदान	18	6	18	6	18	6	24
9-	जू०बे०स्कूलों में साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	45	45	45	45	45	45	14·1
10-	निर्बल वर्ग के बच्चों के लिये पोशाक	36	-	36	100	36	100	20

क्रमशः- प्राथमिक शिक्षा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-	सी०बे० स्कूलों में विज्ञान शिक्षण सुधार तथा साज सज्जा अनुदान	60	12	95	2	95	2	90
	योग:-	-60 1659	+2-	1521		1521		10·7

विभाग का नाम- माध्यमिक शिक्षा-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	माध्यमिक शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-
	योग:-	-	-	-	-	-	-	-

विभाग का नाम- प्रौढ शिक्षा-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में अंशकालिक प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	-	-	524	150 केन्द्र	215	60 केन्द्र	20
	योग:-	-	-	524		215		70

प्राविधिक शिक्षा-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	प्राविधिक शिक्षा-	-	-	-	-	-	-	-
	योग:-	-	-	-	-	-	-	-

विभाग का नाम- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	उप केन्द्रों का निर्माण	5	-	150	3	50	1	20
2-	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण	45	-	200	-	300	-	30
~~3- एनजकीम~~ 3-	विशिष्ट चिकित्सा सुविधा एनेस्थिसिया यूनिट की स्थापना	6	-	20·2	-	20·00	-	13
4-	अतिरिक्त होम्योपैथिक दवाई की व्यवस्था	-	-	3	-	3	-	30
	योग:-	56	-	673·2	-	373	-	5·9

विभाग का नाम- खेलकूद एवं युवा कल्याण-

1-	क्रीडा प्रतिष्ठानों का निर्माण	-	-	50·00	1 हे०	3·3	45 प्रतियोगिता	10
	योग-	-	-	50·00		3·3		10

विभाग का नाम- ज. निगम

1-	ग्रामीण पेयजल योजना	1116	14	9500	31	6500	27	10·7
	योग:-	1116		9500		6500		10·7

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना	-	-	-	-	100	5	10
	योग:-	-	-	-	-	100		10

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास-

1-	निर्बल वर्ग आवासीय योजना	15·00	5 आवास	48·00	16·00	72	24	10
	योग:-	15·00	-	48·00	-	72	-	10

विभाग का नाम- पर्वतीय विकास विभाग-

1-	आवास स्थलों का विकास	-	-	4·80	-	6·00	-	10
	योग:-	=	-	4·80	-	6·00		10

विभाग का नाम- सूचना एवं जनसम्पर्क-

1-	सामुदायिक दूरदर्शन योजना के अन्तर्गत टी०वी० सेटन का क्रय	-	-	8·00	2 टीवी	12·00	4 सेट	10
	योग:-	-	-	8·00	-	12·00	-	10

विभाग का नाम- प्रशिक्षण एवं सेवा योजन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना	-	-	-	-	415	-	10
	योग:-	-	-	-	-	415	-	10

विभाग का नाम- सेवा योजन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	सेवा योजन	-	-	-	-	170	1	100
	योग-	-	-	-	-	170	1	100

विभाग का नाम- वानिकी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	सा0नि0वि0 के सड़कों के किनारे तथा वृक्षारोपण योजना	33	6 रो0कि0 मी0	-	-	-	-	-
2-	ईंधन प्रजाति की वृक्षारोपण योजना	244	300 हे0	800	400 हे0	800	400 हे0	15
3-	भवन निर्माण योजना	210	3 भवन	100	3 भवन	300	4 भवन	66
4-	वन संचार योजना	10	1 पुल	20	1 पुल 1 कि0मी0 मार्ग	200	31 कि0 मी0 मार्ग	26
	योग:-	497	820	920		1300		27.5

	3	4	5	6	7	8	9
1- अनुसूचित जन जातियों का कल्याण-							
(अ) शिक्षा							
(1) छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तकें उपकरण हेतु अनावर्तीय सहायता (जूनियर हाईस्कूल कक्षा 6 से 8 तक)							
(क) निर्धनता के आधार पर	~~0-9-~~ -	-	0·9	9 छात्र	5·0	50 छात्र	5
(ख) योग्यता के आधार पर	-	-	0·9	9 छात्र	5·0	50 छात्र	5
प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक-							
(क) निर्धनता के आधार पर	-	-	0·1	1 छात्र	10·5	25 छात्र	5
(ख) योग्यता के आधार पर	-	-	0·1	1 छात्र	10·5	25 छात्र	5
(ब) आर्थिक उत्थान-							
1- कृषि/बागवानी हेतु अनुदान	-	-	10·00	10 परि0	13·00	14 परिवार	20
2- लघु कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	-	-	40·00	40 परि0	15	15 "	20
3- गृह निर्माण/विस्तार	-	-	42·00	14	15	15 "	20
योग:-	-	-	94·00		74·00		12·0
विभाग का नाम- जनजाति विकास-							
1- बागवानी एवं कुटीर उद्योग	-	-	-	-	55	35	100
योग:-	-	-	-	-	55	35	100
2- समाज कल्याण-	-	-	-	-	/(-275		×सु 10

विकेन्द्रित जिला योजना 1987-88

जनपद-टिहरी गढ़वाल विभिन्न विभागों के पी0एल0ए0 में अवशेष धनराशि (हजार रुपयों में)

क्र0सं0	सेक्टर/कार्यक्रम	पंचम योजना तक	षष्ठम योजना काल में					योजना के अन्त में	सप्तम योजना काल	
			1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85		1985-86	अनुमानित 1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	लघु, सीमान्त कृषक	-	-	-	-	1210	1210	1210	1652	-
2-	आई0आर0डी0	-	-	145·70	74	-	586	586	-	-
3-	अतिरिक्त आई0आर0डी0	-	-	640·00	- -	-	295	295	-	-
4-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	-	-	-	1406	1504	232	232	-	-
5-	पंचायतीराज	-	0·6	-	-	40·0	-	-	30·9	-
6-	उद्योग	-	-	-	-	-	184·30	184·30	350·00	173·30
7-	पर्यटन	-	1·25	2·25	3·50	5·55	5·83	5·83	-	-
	योग:-----	-	1·85	787·95	1483·50	2759·55	2513·13	2513·13	2032·9	173·30

NIEPA DC
D03697

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 3697
Date 22/4/87